

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPL BENCH, NEW DELHI

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF MUNICIPAL CORPORATION, GORAKHPUR

Reference: O.A. No. 613/2022; Misc. Application in disposed of Case No. 57/2015; Orders dated 05.12.2025

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

This Compliance Report is prepared on behalf of Municipal Corporation, Gorakhpur (MUNICIPAL CORPORATION GORAKHPUR) in view of the observations and directions issued by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) dated 05.12.2025. The table below summarizes the directions and the present status of compliance by MUNICIPAL CORPORATION GORAKHPUR.

**COMPLIANCE IN VIEW OF OBSERVATIONS & DIRECTIONS ISSUED BY HON'BLE NGT
DATED 05.12.2025**

Sr. No.	Directions of Hon'ble NGT Court	Compliances by Municipal Corporation, Gorakhpur
18	<p>This tribunal in its order dated 30/01/2024 observed that that stand taken in the report does not show any effective compliance of MSW rules 2016 and standoff Municipal Commissioner Gorakhpur is only for future steps instead of effective remedial measures in the present it has also been observed that waste generation estimate by Municipal Corporation grouper which is 434.6 TPD is not matching with the plant waste processing facilities and their nature mix of charcoal waste plant bio CNG etc are proposed without having proper qualitative assessment and its quantification be remediated is not clarified in totality this tribunal finds that a careful review is required and the firm timelines with budget allocation is necessary</p>	<p>Complied. At present 215 TPD of Wet waste is managed through 12 pit-based composting, vermicomposting, and community/home composting system located at: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bandhu Singh Nagar 2) Basantpur 3) Civil Line Dwitiya 4) Netaji Subhash Chandra Bos Nagar 5) Betiyahata 6) Civil Line Pratham 7) Madhav Nagar 8) Giridharganj 9) Raptinagar 10) Civil Line Dwitiya 11) Gopalpur 12) Kanha Upvan Nagar <p>While 173.8 TPD dry waste is processed through 05 Material Recovery Facilities having capacity 190 TPD and located at: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Material Recovery Facility Neta Ji Subash Chandra Bose, Bilandpur Khatta 2) Material Recovery Facility Mahewa

		<p>3) Material Recovery Facility BRD Medical College</p> <p>4) Material Recovery Facility, Lal Diggi</p> <p>5) Material Recovery Facility Bhairapur</p> <p>Nagar Nigam Gorakhpur has completed the waste quantification and characterization study for all 80 wards, to identify the nature of the waste generated with in the city through third Party agency i.e Black Globe Ecocare Pvt. Ltd. Based on this quantification and characterization of the waste generated in the city Municipal Corporation Gorakhpur has prepared a comprehensive plan for collection and transportation of waste and its processing as per follows: -</p> <p>A 500-TPD waste-to-charcoal plant has been established in Suthani which is currently under trial, with a budget of approximately ₹250 crore and expected commissioning by March 2026.</p> <p>An MoU of approximately ₹120 crore has been signed with Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for the establishment of a 200 TPD Bio-CNG plant in Suthani.</p> <p>The Public Sector Undertakings (PSUs), like NTPC, IOCL are funding these projects, wherein Nagar Nigam Gorakhpur provides the required land and other logistical support, infrastructure having approximately cost of 80 Crores funded by its own sources and other state government schemes to the PSUs for effective implementation of waste management initiatives.</p> <p>Construction work of a 5 TPD domestic Hazardous waste processing plant costs approximated ₹6.50 crore is completed under NCAP and will be operationalized by january-2026.</p> <p>The Integrated Waste Management Facility at Suthani not only processes the municipal solid waste generated by Nagar Nigam Gorakhpur, but also caters to the waste management needs of neighboring Urban Local Bodies (ULBs) in the Gorakhpur district,</p>
--	--	---

2

u

		<p>thereby functioning as a regional hub for sustainable waste management. Nagar Nigam Gorakhpur is in the process signing MoU with nearby ULB's for processing of their solid waste.</p> <p>Copy of City Solid Waste Profile includes capacity of waste processing facilities and their locations, List of Ragpickers, is attached as Annexure-1</p>
19	Ensure all processing facilities are duly authorized under SWM Rules, 2016	<p>Complied.</p> <p>Copy of CTE of Waste to charcoal Plant, CBG Plant, Animal Carcass Plant, C&D Waste Processing Plant attached as Annexure-2</p>
29.19	Prohibition of open burning of waste on lands, including at landfill sites	<p>Complied / Implemented.</p> <p>Public notifications issued for prohibiting open burning, environmental compensation ₹5,000 (simple) & ₹25,000 (bulk burning) publicized, and enforcement activities are carried out at regular time intervals to ensure effective implementation of the above notifications.</p> <p>MUNICIPAL CORPORATION GORAKHPUR's actions align with these directives.</p> <p>Copy of State Byelaws and Photographs of Newspapers and video media display of public notification attached as Annexure- 3</p>
29.32.4.3	Waste generators to pay user fee for solid waste management as specified in byelaws of the local bodies.	<p>Complied/ Implemented.</p> <p>Copy of byelaws and Published Gazette Notification attached as Annexure-4</p>
34.11.f	Identification and allocation of land to the local bodies within one year for setting up of processing and disposal facilities for solid wastes	<p>Complied.</p> <p>Land identified and 05 material recovery facilities, at (Neta Ji Subash Chandra Bose, Bilandpur Khatta, Mahewa, BRD Medical College, Lal Diggi, Bhairapur) is already established and are operational.</p> <p>02 Garbage Transfer Stations (200 TPD at Lal Diggi, and 200 TPD at Chargawan) are fully operational.</p> <p>A 50 TPD Construction and Demolition plant at Mahesra is operational.</p>

		<p>12 pit composting units, (Bandhu Singh Nagar, Basantpur, Civil Line Dwitiya, Netaji Subhash Chandra Bos Nagar, Betiyahata, Civil Line Pratham, Madhav Nagar, Giridharganj, Raptinagar, Civil Line Dwitiya, Gopalpur, Kanha Upvan Nagar) are already operational.</p> <p>At Suthani, the establishment of an Integrated Solid Waste Management Facility (ISWMF) is currently underway. The facility is being designed as a comprehensive hub to process diverse waste streams with the following planned capacities: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 TPD Waste-to-Charcoal Plant • 200 TPD Bio-CNG Plant • 05 TPD Domestic Hazardous Waste Plant. • 10 TPD Common Biomedical Waste Treatment Facility. • 10 TPD Tyre Waste Management Plant. <p>Photographic evidence of Integrated Solid Waste Management Facility attached as Annexure- 5</p>
34.11.m	Start a scheme on registration of waste pickers and waste dealers	<p>Complied.</p> <p>Informal Rag-pickers are formalized, also enrolled under NAMASTE Scheme and engaged in SWM services.</p> <p>Copy of list of rag-pickers attached as Annexure-6</p>
36.15.a	Prepare a comprehensive Solid Waste Management (SWM) Plan & Strategy; align with SWM Rules, 2016	<p>Complied.</p> <p>Copy of City Solid Waste Action plan approved by MoHUA is attached as Annexure -7</p>
36.15.b	Door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial institutions and other non-residential premises	<p>Complied.</p> <p>A total of 239 motorized vehicles and 110 Tricycles are used in daily door to door collection in Gorakhpur. These Door-to-door waste collection vehicles are four-compartment vehicles to ensure proper segregation of waste at the source. These vehicles are GPS-enabled and equipped with a public address system to facilitate</p>

		<p>communication and awareness among citizens. The route coverage and real-time monitoring of these vehicles is managed through the Integrated Command and Control Center (ICCC) and the Vehicle Tracking and Monitoring System (VTMS), ensuring efficiency and transparency in operations. Additionally, Nagar Nigam Gorakhpur has deployed trained staff to oversee all field activities, leveraging technology to strengthen accountability, improve service delivery, and enhance overall waste management outcomes.</p> <p>Nagar Nigam Gorakhpur through Information, Education, and Communication (IEC) activities, Magic Shows, Swachh Vidyalaya Competition is being raise awareness among citizens about the importance of source segregation and importance of waste management.</p> <p>In the financial year 2024–25, revenue of approximately ₹4.97 crore was generated through user charges for door-to-door waste collection services. Similarly, in the financial year 2025–26, the revenue stood at approximately ₹5.16 crore (Till 30th December, 2025).</p> <p>Photographic evidence of Activities and list of Vehicles is enclosed as Annexure-8</p>
36.15.d	Facilitate formation of Self-help groups, provide identity cards and encourage integration in SWM including door to door collection of waste.	<p>Complied.</p> <p>In the narrow lanes and areas inaccessible to light motor vehicles, Self-Help Groups (SHGs) are engaged in door-to-door waste collection. To facilitate this, gender-neutral, lightweight tricycles are provided to the SHGs, ensuring ease of use and equitable participation. To promote livelihood opportunities, 80 percent of the collected user charges from these areas are reimbursed to the SHGs.</p> <p>List of Self-help groups enclosed as Annexure-09</p>
36.15.h	Setup MRFs or secondary storage facilities with sufficient space for sorting of recyclable material	<p>Complied.</p> <p>173.8 TPD of dry waste is processed through five Material Recovery Facilities (MRFs) having an aggregate capacity of 190 TPD.</p>

Handwritten marks: a blue scribble and a blue signature.

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Material Recovery Facility Neta Ji Subash Chandra Bose, Bilandpur Khatta having capacity 50 TPD is operational. 2) Material Recovery Facility Mahewa having capacity 30 TPD is operational 3) Material Recovery Facility BRD Medical College having capacity 30 TPD is operational 4) Material Recovery Facility, Lal Diggri having capacity 30 TPD is operational 5) Material Recovery Facility Bhairampur capacity having 50 TPD is operational. <p>Copy of photographic evidence of MRF Centres attached as Annexure-1</p>
36.15.1	Provide training on solid waste management to waste pickers and waste collectors	<p>Complied.</p> <p>Regular sessions are being conducted for capacity building of waste pickers and waste collectors under NAMASTE Scheme and through other capacity building workshops. Indian Tobacco Company, Samvedna Development Society, Shristi Waste Management Society and NGOs are engaged for the capacity building of sanitary workers. Photographic evidence attached as Annexure-10</p>
36.15.u	Phase out the use of chemical fertilizer in two years and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction.	<p>Complied.</p> <p>Compost produced from decentralized wet waste processing facilities are used in all gardens and parks maintained by Municipal corporation. The vermi-compost produced from Kanhaa Upwan is also sold to the farmers and to the nursery owners. Photographic Evidence and test report of the produced compost is attached as Annexure- 11</p>
52	It appears from the material on the ground that the Municipal Corporation, Gorakhpur did not take any material/effective steps before filing the present petition. Serious violation of the SWM rules 2016 is evident from the existence of legacy waste measuring about 1.96 lakh metric ton at Ekla Bandha site is in the floodplain of river rapti causing serious water pollution particularly during monsoon and floods.	<p>Complied.</p> <p>MUNICIPAL CORPORATION GORAKHPUR has processed 1,96,000 MT legacy waste at Ekla Bandha through biomining and reclaimed 40 acres of land. The reclaimed area at Ekla Banda has been barricaded and developed as City Forest. Through the Miyawaki forestation, more than 70,000 saplings have</p>

<p>Steps have been taken for construction of integrated waste management plant and bio CNG plant at Suthani, 1 Garbage Transfer Station, 5 material recovery facilities, one construction and demolition of waste plant at Maheshra besides one material recovery facility and one garbage transfer station already set up but the scheduled dates for operationalization of the same are not yet mentioned. One MRF is stated to be functional and five are stated to be in progress of being set up but there is no mention even regarding the places where one MRF is already set up and five MRF's are being set up. Same is the case regarding second garbage transfer station. 1.96 lakh metric ton legacy be waste is stated to have been cleared but requisite details/ particulars regarding the manner of processing and disposal of the same have not been given. The fact that there are serious violation of custom rule 2016 by multiple corporation Gorakhpur is evident from a comparative reading of SWM Rules 2016 and the reports file in the case and we do not intended to catalogue all the violations here.</p>	<p>been planted, ensuring rapid growth of dense greenery and compliance with flood-prone area management guideline. This green space has now evolved into a vibrant urban forest ecosystem, attracting both tourists and local citizens, especially during cultural and religious occasions such as Ganesh Chaturthi and Durga Puja.</p> <p>The RDF produced from the legacy waste is sent to cement factories for disposal, the inert and black soil is used in low-lying areas.</p> <p>Garbage Transfer Stations: Two Garbage Transfer Stations of 200 TPD capacity are operational at Laldiggi and Chargawa.</p> <p>Photographic evidence of GTS and Legacy Waste Remediated site Ekla bandha attached as Annexure-12 and Annexure- 1 respectively.</p> <p>At Integrated Waste Management Plant Suthani the construction work of 05 TPD Domestic Hazardous Waste Plant is completed and work of following facilities is under progress.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 TPD Waste-to-Charcoal Plant • 200 TPD Bio-CNG Plant • 10 TPD Common Biomedical Waste Treatment Facility. • 10 TPD Tyre Waste Management Plant <p>Photographic evidence of Bio-CNG Plant attached as Annexure -5</p> <p>Material recovery Facilities: 5 material recovery facilities i.e., Laldiggi, Netaji Subhash Chandra Bose, BRD Medical College, Bhairapur, kanha Upwan are operational.</p> <p>Construction & Demolition Waste: 50 TPD C&D Waste Management Plant at Maheshra is operational.</p>
--	---




		Photographic Evidence of MRFs and C&D Plant is attached as Annexure-1
55	As mandated by the Rule 17 of SWM Rules 2016 all manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging etc., or brand owners who introduce such products in the market have to provide necessary financial assistance to Local Authorities for establishment of waste management system and all such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable's have also to put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production. No information whatsoever has been provided by Chief Secretary Government of Uttar Pradesh or the Commissioner, Municipal Corporation Gorakhpur regarding financial assistance to local authorities for establishment of waste management system and putting in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production by the concerned manufacturers and brand owners.	The communication letters already shared with industries to follow SWM Rules 2016 for PIBOs. Copy of letters attached as Annexure- 13
56	Wide order dated 22 December 2016 passed in O.A. No. 199 of 2014 titled as “ Mrs. Almitra H. Patel and another Vs. Union of India and others. ” This Tribunal specifically directed the state Governments, Local Authorities, Pollution Control Boards of the respective States, Pollution Control Committees of the UTs and the concerned Departments to ensure that they open or cause to be opened in discharge of Extended Producer Responsibilities, appropriate number of centers in every colony of every district in the State which would collect or require residents of the locality to deposit the domestic hazardous waste like fluorescent, tube, bulbs, batteries, electronic items, syringe, expired medicines and such other allied items. Hazardous waste so collected by the centers should be either sent for recycling, wherever possible and the remnant thereof should be transported to hazardous waste disposal facility. No response has been filed by the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh regarding compliance of above said direction. In the progress report filed by	Complied. A total of 239 motorized vehicles and 110 tricycles are used in daily door to door collection in Gorakhpur. These Door-to-door waste collection vehicles are four-compartment vehicles to ensure proper segregation of waste at the source. These vehicles are GPS-enabled and equipped with a public address system to facilitate communication and awareness among citizens. The route coverage and real-time monitoring of these vehicles is managed through the Integrated Command and Control Center (ICCC) and the Vehicle Tracking and Monitoring System (VTMS), ensuring efficiency and transparency in operations. In addition to existing facilities, 05 RRR centers(Reduce, Reuse, Recycle) have been established across various ward locations (Durgawadi, Hatti Mata, Betihata, Jail Road,

	<p>District Magistrate, Gorakhpur and the Commissioner Municipal Corporation, Gorakhpur also there is no mention regarding compliance with the above said directions.</p>	<p>Old RTO) 02 RRR centers are under construction (Phulwariya and Nausad near Vijeta Hotel) with dedicated provisions for the safe storage of hazardous waste, including fluorescent tubes, bulbs, batteries, electronic items, syringes, expired medicines, and other allied materials. From there, it is transported to authorized agencies for further treatment, recycling, or disposal in compliance with environmental regulations. Construction work of a 5 TPD domestic Hazardous waste processing plant costs approximated ₹6.50 crore is completed under NCAP and will be operationalized by January-2026. Photographic Evidence of Operational RRR centers is attached as Annexure- 8</p>
59	<p>The District magistrate, Gorakhpur has filed joint action taken report with Commissioner, Municipal Corporation, Gorakhpur and has not filed any separate report regarding compliance with rule 12 of the SWM Rules 2016 as to facilitating, identification and allocation of suitable land for setting up solid waste processing and disposal facilities to local authorities in the District including Municipal Corporation, Gorakhpur and quarterly reviewing of performance of local bodies on waste segregation, processing, treatment and disposal and take corrective measures.</p>	<p>Complied. Land identified and 05 material recovery facilities, at (Neta Ji Subash Chandra Bose, Bilandpur Khatta, Mahewa, BRD Medical College, Lal Diggi, Bhairapur) is already established and are operational.</p> <p>02 Garbage Transfer Stations (200 TPD at Lal Diggi, and 200 TPD at Chargaawan) are fully operational.</p> <p>A 50 TPD Construction and Demolition plant at Mahesra is operational.</p> <p>12 pit composting units, (Bandhu Singh Nagar, Basantpur, Civil Line Dwitiya, Netaji Subhash Chandra Bose Nagar, Betiyahata, Civil Line Pratham, Madhav Nagar, Giridharganj, Raptinagar, Civil Line Dwitiya, Gopalpur, Kanha Upvan Nagar) are already operational.</p> <p>At Suthani, the establishment of an Integrated Solid Waste Management Facility (ISWMF) is currently underway. The facility is being designed as a comprehensive hub to process</p>



		<p>diverse waste streams with the following planned capacities: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 TPD Waste-to-Charcoal Plant • 200 TPD Bio-CNG Plant • 10 TPD Common Biomedical Waste Treatment Facility. • 10 TPD Tyre Waste Management Plant. • 05 TPD Domestic Hazardous waste processing plant. <p>Photographic evidence of Integrated Solid Waste Management Facility attached as Annexure- 5</p>
61	<p>The commissioner, Municipal Corporation, Gorakhpur has filed action taken reports but in action taken reports the Commissioner Municipal Corporation, Gorakhpur has not provided any information regarding discharge by Municipal Corporation, Gorakhpur of its statutory obligations under Rule 15 (a) to (zk) of SWM Rules 2016 particularly with respect to (i) preparation of Solid Waste Management plan as per state policy and strategy on solid waste management as required by Rule 15 (a), (ii) establishment of a system to recognize of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of authorized pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste as required by Rule 15 (c), (iii) facilitating formation of Self Help Groups provide identity cards and thereafter encourage integration in solid waste management including door to door collection of waste as required by Rule 15 (d), (iv) prescribing from time to time user fee and collecting the user fee from waste generators as required by Rule 15 (f), (v) setting up requisite number of material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space or sorting of recyclable materials as required by Rule 15(h), establishing waste disposal Centers for domestic hazardous waste as required by Rule 15(i), involving communities in waste management and promotion of home composting, biogas generation ,decentralized processing of waste</p>	<p>Complied.</p> <p>Solid Waste Management Plan, establishment of system to recognize waste pickers, collection of User fees, establishment of hazardous waste disposal facility and authorization from UPPCB for setting up waste disposal facilities and framing of byelaws for levying spot fines is attached as Annexure- 1, 2, 6 & 7.</p> <p>Also, enforcement activities are carried out at regular time intervals to ensure effective implementation of the above notifications and activities, during the financial year 2025-2026, approximately ₹72 lakhs were collected as fines from defaulters.</p>




	at community level subject to control of odor and maintenance of hygienic conditions around the facility as required by Rule 15 (t), facilitating construction, operation and maintenance of solid processing facilities and sanitary landfill and associated infrastructure as required by Rule 15v) and (w) obtaining authorization from UPPCB for setting up waste processing, treatment or disposal facility and sanitary landfill if the volume of waste is exceeding 5 metric tons per day as required by Rule 15(y) and framing of by-laws and prescribed criteria for levying of sports fine for persons who litters or failed to comply with the provision of SWM Rules 2016 and delegate powers as required by Rule 15 (zf)	
67	As mandated by Rule 19 of SWM Rules 2016, the operator of solid waste processing and treatment facility has to design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Control and the manual on solid waste management prepared by the Ministry of Urban Development. The operator has to obtain necessary approvals from UPPCB and has to submit annual reports to UPPCB.	Complied. Copy of CTE of Waste to charcoal Plant, CBG Plant, Animal Carcass Plant, C&D Waste Processing Plant attached as Annexure-2
69	The Commissioner, Municipal Corporation, Gorakhpur is directed to look into these aspects and prepare within three months, if not already prepared a Solid Waste Management plan as per State Policy and Strategy on Solid Waste Management for ensuring compliance with Rule 15 (a) to (zk) of SWM Rules 2016 and the directions issued by honorable Supreme Court and this tribunal with all requisite details regarding budgetary allocation and timelines for completion/ compliance and submit action taken for with copies of all relevant documents in this regard.	Complied. Solid Waste Management Plan as per state policy for ensuring compliance of SWM Rule 2016 is prepared and attached as Annexure- 07 A 500-TPD waste-to-charcoal plant has been established which is currently under trial, with a budget of approximately ₹250 crore and expected commissioning by March 2026. An MoU of approximately ₹120 crore has been signed with Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for the establishment of a 200 TPD Bio-CNG plant . These funds are utilized through Public Sector Undertakings (PSUs), wherein Nagar Nigam Gorakhpur provides the required land and extends logistic support to the PSUs for effective implementation of waste management initiatives.



		Construction work of a 5 TPD domestic Hazardous waste processing plant costs approximately ₹6.50 crore is completed under NCAP and will be operationalized by January-2026.
72	Even though Local Authorities/ Municipalities/ Panchayats are empowered to make By-Laws for imposition of fines on persons littering or dumping garbage at unauthorized places and Rule 15(zf) of SWM Rules 2016 also casts an obligation on Local Authorities/ Municipalities/ Panchayats yet, either the bylaws are not framed or the same are not effectively implemented. The Commissioner, Municipal Corporation, Gorakhpur has not submitted any information regarding framing and implementation of bylaws in this regard and imposition any recovery of fines from the violators. In the present original application allegations of non-compliance and dumping of garbage at unauthorized places have been made against the Municipal Corporation, Gorakhpur itself.	Complied. Bylaws are prepared and published through Gazette Notification. Enforcement activities are carried out at regular time intervals to ensure effective implementation of the above notifications. Also, enforcement activities are carried out at regular time intervals to ensure effective implementation of the Through the above notifications and activities, during the financial year 2025–2026, (Upto 31 st December 2025) approximately ₹72 lakhs were collected as fines from defaulters. Copy of Published Gazette Notification and user charge collection attached as Annexure 03 and 04 respectively.
74	In view of environmental degradation caused by instances of burning of leaves, this Tribunal had wide order dated 22 nd December 2016 passed in O.A No. 199 of 2014 titled as “ Mrs. Almitra H. Patel and another Vs. Union of India and others ” directed that there shall be complete prohibition on open burning of waste on land including of landfill sites and directed that violators shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 5000/- in case of simple burning and in case of bulk waste burning Rs. 25,000/- which was made recoverable as arrears of land revenue by the competent authority in accordance with law.	Complied / Implemented. Byelaws are framed, public notifications are issued prohibiting burning, environmental compensation ₹5,000 (simple) & ₹25,000 (bulk burning) publicized. .Municipal Corporation Gorakhpur’s actions align with these directives. Enforcement activities are carried out at regular time intervals to ensure effective implementation of the above notifications Copy of Byelaws & public notifications. attached as Annexure-03 and 04.

Date: 30 December 2025


Municipal Commissioner
Municipal Corporation Gorakhpur

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

Municipal Solid Waste Characterization Report

Report To: M/s NTPC, Vatsal Vyapar Nigam Limited,
NTPC EHC Building, 5th Floor
A-8 A, Sector-24, Noida-201 301 (R.P.)
Location: Garaskpur (R.P.)



Report By: Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.
#304, 3rd Floor, Gupta Complex,
Indralok, Delhi -110035.
Mobile No. #9818282411

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.: 304 Gupta Complex, Old Rohtak Road,
Indralok, New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341, #9818282411
E-mail ID: shivendra.verma@blackglobeenviro.com/vermashivendra70@gmail.com

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

Contents

- 1. Methodology & Sampling Details... 3-5
- 2. ICM Physical & Chemical Reports & Sampling Photographs... 6-38

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.:304 Gupta Complex, Old Rohtak Road, Indralok , New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341,#9818282411
E-mail ID:shivendra.verma@blackglobeenviro.com/vermashivendra70@gmail.com

शिवेंद्र वर्मा आयुक्त
कक्षा नं. ३०४, गुप्ता कॉम्प्लेक्स

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

Report No.: BGE/MSW/PHY/23-24/2557

Date:17/02/2024

Report Issued To: M/s NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited

NTPC EOC Building, 5th Floor,

A-8-A, Sector-24, Noida-201301 (UP)

Sampling Location: Gorakhpur (UP)

Methodology MSW Characterization:

The characterization procedures for each of the waste streams are described below:

MSW Sampling Methodology:

As per the preliminary discussion with Municipal Corporation representative, the MSW Location was identified and it was decided that: -

Vehicle carrying MSW had been transferred to the identified site for the sampling. MSW was dropped on plastic sheet/tarpaulin sheet, so that there is no intermixing with the existing components in the transfer station. The contents were physically separated for the components. Each of these fractions was weighed individually using a suitable weighing device. The net weight of the content for sampling was determined by weighing on a suitable weighing machine. MSW sample was collected for chemical analysis and were transferred to the laboratory.

MSW Stream Characterization

Sample Characterization for Municipal Solid Waste (MSW) at Gorakhpur (UP) has been carried out using the traditional material-based classification approach as adopted by ASTM D5231-92 (2016) – “Standard test method for determination of the composition of unprocessed municipal solid waste” ASTM D5231-92 is a methodology used for determining the mean composition of municipal solid waste (MSW) – that is MSW generated from household, commercial, institutional outlets - based on manual sorting of a number of waste samples into individual waste components over a selected time period. ASTM D5231-92 is commonly applied to MSW compositional analysis at landfill sites, waste processing facilities, and transfer stations.

NTPC believe that the number of main/sub-categories depends on the objectives of a study. As such, the 13-material classification template developed by ASTM D5231-92 can be modified to account for additional waste streams. As advised by NTPC few more waste materials under the MSW category added.

Main and sub-component waste categories for dry waste:

S. No.	Main waste category	Examples of sub-component waste category
1	Mixed paper	Office paper, computer paper, magazines, glossy paper, waxed paper, and other paper not fitting the categories of newsprint and corrugated including packaging, cardboard.
2	High-Grade Paper	Computer printout and other office paper.
3	Newsprint	Newspaper.

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.: 304 Gupta Complex, Old Rohtak Road, Indralok, New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341, #9818282411
E-mail ID: shivendra.verma@blackglobeenviro.com / vermashivendra70@gmail.com

अपर नगरी आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

S. No.	Main waste category	Examples of sub-component waste category
4	Corrugated	Corrugated medium, corrugated boxes or cartons, packaging, composite packaging, cardboard and brown (Kraft) paper, i.e., corrugated bags.
5	Plastics	All Plastics (PET bottles, HDPE bottles, films, and other plastics, PVC, PE bottles, other plastic bottles, other PE plastic bottles, other PE plastic, other plastic materials).
6	Yard waste	Branches, twigs, leaves, grass, and other plant materials.
7	Food waste (Organic waste)	All food waste except bones.
8	Wood	Lumber, wood products, pallets, and furniture.
9	Other organics / combustibles	Textiles, diapers, rubber, leather, composite packaging and other primarily burnable materials not included in the above component categories.
10	Ferrous	Iron, steel, tin cans, and bi-metal cans.
11	Aluminum	Aluminum, aluminum cans, and aluminum foil.
12	Glass	All glass (clear, brown and green glasses) including glass bottles and other glass.
13	Other inorganics / non-combustibles	Rock, sand, dirt, ceramics, plaster, non-ferrous, non-aluminum metals (copper, brass, etc.) and bones.
14	Hazardous waste	Domestic batteries, hazardous.
15	Electronic wastes	Other waste and fines.

Vehicles have been selected at random for sampling.

2. MSW Sorting Procedure

- Trained person has sorted manually the waste at a designated sorting area into individual waste components;
- Waste components is placed in the respective containers during the sorting process for weighing on digital scales (± 0.05 kg);
- Empty storage containers weighed prior to sampling to record true weight and then the containers have been labelled accordingly;
- The weight fraction of each component in the sorting sample is calculated from gross weights of components;
- After recording the gross weights, the storage containers have been emptied and re-weighed;
- The weight of each waste components has been stored in a database;
- An oversize item (that composes a large weight percentage) has been noted on the data sheet and it weighed;
- All containers have been emptied prior to sampling;
- Composite items found in the waste has been separated into individual materials where practicable;

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.: 304 Gupta Complex, Old Rohtak Road, Indralok, New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341, #9818282411
E-mail ID: shivendra.verma@blackglobeenviro.com / vermashivendra70@gmail.com

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

- All the waste materials have been cleaned from the storage containers and loaded in the vehicles for the discharge area prior to the next sorting sample arriving.

3. Training

Some degree of errors can possibly occur during the sampling of waste streams. In order to avoid these errors, appropriate training on the use of sorting equipment has been given to all workers involved and waste samples has sorted the same day as samples are delivered sorting area to avoid errors due to physical and chemical changes.

MSW Sampling Details:

MSW sampling details is given below:

Sample Number	1
Date of Sampling	13-02-2024
Location	Civil Line, Miya Bazar
Vehicle Number	CNG -9, CNG-13
Total Weight (Kg)	1040.65 (MSW Fresh Waste)
Weather	Clear
Temperature (°C)	22

h

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.: 304 Gupta Complex, Old Rohtak Road,
Indralok , New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341,#9818282411
E-mail ID: shivendra.verma@blackglobeenviro.com / vermashivendra70@gmail.com

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

MSW PHYSICAL SEGREGATION REPORTS:

Location: Civil Line, Miya Bazar

Vehicle No.: CNG-9, CNG-13

Weight (Kg): 1040.65(Fresh Waste)

S. No.	Type of Waste	Total Weight (Kg)	Percentage (%)
1	Kitchen waste	85.77	8.24
2	Vegetables Chhilka / Maiz Chhilka	405.19	38.93
3	Fruits Chhilka	27.87	2.68
4	Dry Sugar Canes	0	0
5	Coconut shell/hair	31.51	3.03
6	Straw/Hey	0	0
7	Flowers	0	0
8	Green leaves/Green Matter	21.71	2.09
9	Dry leaves/Dry Matter	10.75	1.03
10	Wooden Pieces	8.77	0.84
11	Broom	6.26	0.6
12	Cardboard (wooden)	0	0
13	Paper/Cardboard	75.87	7.29
14	Textile/cotton/Jute	91.46	8.79
15	Rubber/Leather/ Tyre	7.09	0.68
16	Polythene/plastic	131.74	12.66
17	PVC	7.47	0.72
18	Thermocol	2.09	0.2
19	Metals	12.5	1.2
20	Glass	10.03	0.96
	Inert and other		
21	Sand/soil/earth	36.38	3.5
22	Stones/brick/concrete	65.56	6.3
23	Ceramic and other	0	0
24	Human Hair	0.54	0.05
25	Batteries	0	0
26	Hazardous waste (if any)	0	0
27	Egg shell	2.09	0.2
28	Row Meat	0	0
		1040.65 kg	100%

Bulk Density (kg/m ³)	531.91
-----------------------------------	--------

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.: 304 Gupta Complex, Old Rohtak Road,
Indralok , New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341,#9818282411
E-mail ID: shivendra.verma@blackglobeenviro.com/vermashivendra70@gmail.com


अपर नगर आयुक्त
जनक निगम, गोरखपुर

Black Globe Ecocare

Go Green


AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY

MSW Weight (kg)



- Fish/Waste
- Vegetables/Onions/ Mas/Choke
- Fruit/Onion
- Dry Sugar Cakes
- Coconut shell/half
- Straw/stray
- Flowers
- Green wastes/Green Matter
- Dry leaves/Dry Matter
- Wooden Pieces
- Wood
- Cardboard/Wooden
- Paper/Cardboard
- Textile/cotton/foam
- Rubber/leather/foam
- Polythene/plastic
- PET
- Thermoplastic
- Metals
- Glass
- Inorganic waste
- Sand/soil/earth
- Stones/brick/concrete
- Cement and other
- Human Hair
- Batteries
- Household waste (plastic)
- Egg shell

MSW Percentage (%)



- Fish/Waste
- Vegetables/Onions/ Mas/Choke
- Fruit/Onion
- Dry Sugar Cakes
- Coconut shell/half
- Straw/stray
- Flowers
- Green wastes/Green Matter
- Dry leaves/Dry Matter
- Wooden Pieces
- Wood
- Cardboard/Wooden
- Paper/Cardboard
- Textile/cotton/foam
- Rubber/leather/foam
- Polythene/plastic
- PET
- Thermoplastic
- Metals
- Glass
- Inert and other
- Sand/soil/earth
- Stones/brick/concrete
- Cement and other
- Human Hair
- Batteries
- Household waste (plastic)
- Egg shell
- Dry Matter


Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.: 304 Gupta Complex, Old Rohtak Road, Indralok , New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341,#9818282411
E-mail ID:shivendra.verma@blackglobeenviro.com/vermashivendra70@gmail.com

शुभ
आपरा नंगा आयुक्त
कस्तूर निवास, गोरखपुर

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY



lv

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.:304 Gupta Complex, Old Rohtak Road,
 Indralok , New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341,#9818282411
 E-mail ID:shivendra.verma@blackglobeenviro.com/vermashivendra70@gmail.com

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY



h

Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.:304 Gupta Complex, Old Rohtak Road, Indralok , New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341,#9818282411 E-mail ID:shivendra.verma@blackglobeenviro.com/vermashivendra70@gmail.com

Black Globe Ecocare

Go Green

AN ISO 9001: 2015, 14001:2015 & 45001:2018 CERTIFIED COMPANY



** Report End**

For Black Globe Ecocare Pvt. Ltd

Authorized Signatory



Black Globe Ecocare Pvt. Ltd.:304 Gupta Complex, Old Rohtak Road,
Indralok , New Delhi -110035, Phone No.# +91 11 45054341,#9818282411
E-mail ID:shivendra.verma@blackglobeenviro.com/vermashivendra70@gmail.com

अपरिणीत आयुक्त
कल मित्र, गोरखपुर

Gorakhpur Municipal Corporation Brief Profile						
Population						
2011 Census:			Current:			
770772			965777			
Household			193155			
No. of Zone -			10			
No. of Wards -			80			
Total Waste Generated (TPD)- 434.6 TPD						
Wet (TPD)	Dry (TPD)		Domestic Hazardous & Sanitary (TPD)	C&D Waste (TPD)		
239.5	173.8		21.3	43.4		
Door To Door Collection (%): 100			Source Segregation (%): 70			
Mechanized road sweeping:			Yes, 3 Existing (1 owned, 2 outsourced)			
1. Collection & Transportation – ULB						
Wards			80			
By the ULB (In-house)						
Total Workers-			4475			
No. of Vehicles-			(239 Compartmentalized Mini Tipper & 110 Tricycle for collection)			
2. Processing Facilities						
WET	DRY	STP	C&D	GTS	Domestic Hazardous waste	
12 Plant (09 Pit Based 15 TPD each, 1 Pit Based 20 TPD, 2 Vermi 30 TPD each)	Remaining 24.5 TPD processed by Home composting and Community Composting	MRFs- 5 Plant (2 MRF 50 TPD each, 3 MRFs 30 TPD each)	3 Plant	1 Plant	2 GTS (200 TPD each operational) 1. Laaldiggi 2. Chargawan	MoU with MPCC (Medical Pollution Control Committee Khalilabad)
Total - 215 TPD		Capacity- 190 TPD	Capacity- 60 MLD	Capacity- 50 TPD	Capacity – 400 TPD	
3. Under Construction Plants						
WET	DRY	E-waste	Domestic Hazardous waste	Animal Carcassing		
MoU signed with IOCL for Bio CNG Plant -200 TPD on PPP mode.	Waste to Energy 500 TPD by NTPC Trail run is ongoing.	Proposed- 5 TPD (EOI has been floated	construction work completed will be operationalize in January-2026.	Operational		

City Facilities: Material Recovery Facilities (Total Capacity- 190 TPD)

SN	Plant Name	Plant Type	Ward Number	Ward Name	Capacity (TPD)
1	Neta Ji Subash Chandra Bose, Bilandpur Khatta	Material Recovery Facility (MRF)	66	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOS NAGAR	50
2	Material Recovery Facility Mahewa		38	KANHA UPVAN NAGAR	30
3	BRD Medical College MRF		2	BABA RAGHAV DAS NAGAR	30
4	Material Recovery Facility, Lal Diggi		44	BASANTPUR	50
5	Material Recovery Facility Bhairampur		1	MAHADEV JHARKHANDI TUKRA NO. 1	30

NETAJI SUBHASH CHANDRA BOS NAGAR



Material Recovery Facility Mahewa



BRD Medical College



Lal Diggi, Basantpur



Bhairampur, Mahadev Jharkhandi Tukra No. 1




अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर


City Facilities: C&D Waste Collection Points

Sn.	Type	Ward Name	Ward Number	Area Name	Landmark
1	C & D Collection Points	BASANTPUR	44	Basantpur Awasiya Colony	Lal Diggi GTS
2	C & D Collection Points	BANDHU SINGH NAGAR	55	Bandhu Singh Nagar	Ilahibagh
3	C & D Collection Points	MAHADEV JHARKHANDI TUKRA NO. 2	7	Maurya Tola	TB Hospital Gate, Nanda Nagar
4	C & D Collection Points	BETIYAHATA	26	Sardar Bhagat Singh Chowk	Overhead Water Tank
5	C & D Collection Points	SALIKRAM NAGAR	35	Salikram Nagar Sector 3	Pappu Katra Gas Godown
6	C & D Collection Points	GULARIHA	30	Gulariha	Primary School
7	C & D Collection Points	CIVIL LINE DWITIYA	72	Paidleganj	Vehicle Stand, University Chowk


Lal Diggi GTS



Vehicle Stand, University Chowk



BETIYAHATA




Pappu Katra Gas Godown




अपर नंगा आयुक्त
जनक मिश्र गोरखपुर

City Facilities: C&D Waste Collection Points


TB Hospital Gate, Nanda Nagar



Illahibagh, BANDHU SINGH NAGAR



GULARIHA, Near Primary School




अपर नगा आयुक्त
जनक सिविल, गोरखपुर

City Facilities: C&D Waste processing Plant (Total Capacity- 50 TPD)

SN	Plant Name	Plant Type	Ward Number	Ward Name	Capacity (TPD)
1	Construction & Demolition Waste Plant Mahesra	C & D Waste Processing Facility	10	MADHAV NAGAR	50

C & D Waste Processing Facility



C & D Waste finished Products



अपर नगा आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

City Facilities: Pit Composting (Total Capacity- 215 TPD)

SN.	Ward Number	Ward Name	Plant Name	Plant Type	Landmark	Capacity (TPD)
1	55	BANDHU SINGH NAGAR	Ilahibagh WTC	Waste to Compost	Old Kuuda Padav	15
2	44	BASANTPUR	Lal Diggi WTC	Waste to Compost	Lal Diggi GTS	15
3	72	CIVIL LINE DWITIYA	University Chowk WTC	Waste to Compost	Vehicle Stand	15
4	66	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOS NAGAR	Vermi Composting, Bilandpur Khatta	Waste to Compost	Neta ji Subhas Chandra Bose Nagar	30
5	26	BETIYAHATA	Betiayahata WTC 02	Waste To Compost	Aayukt Aawas	15
6	79	CIVIL LINE PRATHAM	Chakbandi WTC	Waste to Compost	Vending Zone	15
7	10	MADHAV NAGAR	Mahesra WTC	Waste to Compost	Maheshra Charging Station	15
8	25	GIRIDHARGANJ	Girdharganj, Jharkhandi WTC	Waste to Compost	Jharkhandi Mandir	15
9	80	RAPTINAGAR	Sports College WTC	Waste to Compost	Sports College	15
10	72	CIVIL LINE DWITIYA	DDU Zero Waste Campus WTC	Waste to Compost	DDU	20
11	19	GOPALPUR	Sahara Estate WTC	Waste to Compost	Sahara Estate	15
12	38	KANHA UPVAN NAGAR	Vermi Composting Mahewa	Waste to Compost	Kanha Upavan	30

अपर नगा आयुक्त
कान्हा निगम पोस्टबुड

City Facilities: Pit Composting


Near Sports College ,
Rapti Nagar



Ilahibagh, Bandhu Singh
Nagar



Kanha Upvan Nagar



Lal Digg, Basantpur



Aayukt Aawas,
Betiyahata



Chakbandi, Civil Line
Pratham




अपर नगर आयुक्त
कचरा विभाग, गोरखपुर

City Facilities: Pit Composting


Sahara Estate




DDU Zero Waste Campus



University Chowk




Neta ji Subhas Chandra Bose Nagar



Mahesra WTC



Near Jharkhandi Mandir, Giridhar Ganj




अपर मेगा आयुक्त
सर्वेक्षण संख्या 1974

Remediation of Legacy waste at Ekla Bandha:

श्री. वि. वि. वि.
श्री. वि. वि. वि.
श्री. वि. वि. वि.
श्री. वि. वि. वि.

Before



After





Acknowledgement of Material Receipt

Certificate No.: DLCW/17/23-24


This is to certify that we have received the following quantities of **Sorted MSW/ Plastic Waste** sent by M/s. **Ecostan Infra Pvt. Ltd**, under the purview of **Gorakhpur Nagar Nigam** for co-processing at our Cement Plant (**Dalla Cement Works**), from **Bandha (Gorakhpur)** in **Uttar Pradesh** as declared by M/s. **Ecostan Infra Pvt. Ltd** in our Cement Kiln during the period **01-12-23** to **31-12-23**. The quantity mentioned is not issued to any other entity.

This document is for submission to Gorakhpur Nagar Nigam only.

Receipt details for the period **01-12-23** to **31-12-23** for location **Bandha (Gorakhpur)** as declared by the client as per Annexure Enclosed.

Collection State	City	Date of Receipt	Quantity Received (MT)
Uttar Pradesh	Gorakhpur	01.12.2023 to 31.12.2023	693.340

Thanking You,
For Ultra Tech Cement Ltd
(Unit - Dalla Cement Works)


Authorized Signatory



UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited
(Unit : Dalla Cement Works)

SH 5, Post : Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

T : +91 5445 265778, 265801, 265802 | W : www.ultratechcement.com

Registered Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093

T : +91 22 6691 7800 | CIN : L26940MH2000PLC128420


अपर नगर आयुक्त
अपर नगर, गोरखपुर

खपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

UltraTech Cement Limited -Unit Dalla Cement Works
AFPLASTICWASTE(Gorakhpur) receipt details from 01.12.2023 to 31.12.2023

Weighment slip uploa	Wt. Slip Number	Po No.	SUPPLIER NAME	Challan Number	Challan Date	Lorry Receipt Number	Lorry Receipt date	Truck/Wagon Number	Net weight
02-12-2023	2401039898	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	831	30-11-2023	331	30-11-2023	UP70MT7183	35.900
03-12-2023	2401039918	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	830	30-11-2023	330	30-11-2023	UP64BT6235	28.510
03-12-2023	2401039922	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	829	30-11-2023	329	30-11-2023	UP53HT9933	29.660
05-12-2023	2401039942	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	843	30-11-2023	336	30-11-2023	UP53JT4046	30.030
07-12-2023	2401040121	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	858	02-12-2023	345	02-12-2023	UP54AT7403	28.580
07-12-2023	2401040161	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	859	03-12-2023	348	03-12-2023	UP70MT7183	36.030
11-12-2023	2401040467	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	901	07-12-2023	1751	07-12-2023	BR28GB0638	28.140
11-12-2023	2401040562	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	908	07-12-2023	1752	07-12-2023	BR28GB0161	29.870
17-12-2023	2401040923	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	945	14-12-2023	196	14-12-2023	BR45GB1009	32.230
17-12-2023	2401040922	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	946	14-12-2023	197	14-12-2023	JH03AM3129	28.120
18-12-2023	2401040883	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	948	14-12-2023	199	14-12-2023	BR45GB1059	36.640
18-12-2023	2401040881	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	947	14-12-2023	198	14-12-2023	UP64BT7247	28.930
18-12-2023	2401040879	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	949	14-12-2023	200	14-12-2023	UP64BT5960	32.380
19-12-2023	2401041178	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	950	14-12-2023	71	14-12-2023	UP64BT5260	35.740
20-12-2023	2401041247	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	951	14-12-2023	72	14-12-2023	UP64BT6886	39.200
20-12-2023	2401041248	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	952	14-12-2023	73	14-12-2023	UP64BT5261	36.910
22-12-2023	2401041404	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	980	18-12-2023	75	18-12-2023	UP61BT2563	25.820
22-12-2023	2401041460	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	979	18-12-2023	74	18-12-2023	UP61BT1088	26.440
24-12-2023	2401041549	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1009	23-12-2023	301	23-12-2023	UP64BT7247	32.070
24-12-2023	2401041550	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1008	23-12-2023	302	23-12-2023	UP64BT5960	30.490
24-12-2023	2401041598	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1007	23-12-2023	303	23-12-2023	BR45GB1059	26.390
30-12-2023	2401041970	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1025	28-12-2023	81	28-12-2023	UP64BT4506	35.260
Total									693.340



JK

खपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर



Acknowledgement of Material Receipt

Certificate No.: DLCW/17/23-24

This is to certify that we have received the following quantities of **Sorted MSW/ Plastic Waste** sent by M/s. **Ecostan Infra Pvt. Ltd**, under the purview of **Gorakhpur Nagar Nigam** for co-processing at our Cement Plant (**Dalla Cement Works**), from **Bandha (Gorakhpur)** in **Uttar Pradesh** as declared by M/s. **Ecostan Infra Pvt. Ltd** in our Cement Kiln during the period **01-01-24** to **31-01-24**. The quantity mentioned is not issued to any other entity.

This document is for submission to Gorakhpur Nagar Nigam only.

Receipt details for the period **01-01-24** to **31-01-24** for location **Bandha (Gorakhpur)** as declared by the client as per Annexure Enclosed.

Collection State	City	Date of Receipt	Quantity Received (MT)
Uttar Pradesh	Gorakhpur	01.01.2024 to 31.01.2024	2176.120

Thanking You,
For Ultra Tech Cement Ltd
(Unit - Dalla Cement Works)

Authorized Signatory



अपर नगरी आयुक्त
गोरखपुर नगर निगम

UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited
(Unit : Dalla Cement Works)

SH 5, Post : Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

T : +91 5445 265778, 265801, 265802 | W : www.ultratechcement.com

Registered Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093

T : +91 22 6691 7800 | CIN : L26940MH2000PLC128420

UltraTech Cement Limited -Unit Dalla Cement Works
AFPLASTICWASTE(Gorakhpur) receipt details from 01.01.2024 to 31.01.2024

Weighment slip uploa	Wt. Slip Number	Po No.	SUPPLIER NAME	Challan Number	Challan Date	Lorry Receipt Number	Lorry Receipt date	Truck/Wagon Number	Net weight	Source Name
01-01-2024	2401042285	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1036	31-12-2023	306	31-12-2023	JH03AM1441	31.260	GORAKHPUR
01-01-2024	2401042284	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1037	31-12-2023	307	31-12-2023	JH03AM2441	33.180	GORAKHPUR
02-01-2024	2401042251	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1030	29-12-2023	82	29-12-2023	UP45T9965	29.250	GORAKHPUR
03-01-2024	2401042254	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1031	30-12-2023	83	30-12-2023	UP53FT1981	37.750	GORAKHPUR
03-01-2024	2401042277	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1042	31-12-2023	310	31-12-2023	JH03AM0312	31.270	GORAKHPUR
03-01-2024	2401042289	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1040	31-12-2023	311	31-12-2023	JH03AM2911	28.990	GORAKHPUR
03-01-2024	2401042290	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1039	31-12-2023	308	31-12-2023	JH03AM7075	31.040	GORAKHPUR
03-01-2024	2401042309	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1035	31-12-2023	312	31-12-2023	UP64BT7247	30.970	GORAKHPUR
03-01-2024	2401042310	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1038	31-12-2023	313	31-12-2023	BR45GB1059	34.240	GORAKHPUR
03-01-2024	2401042317	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1041	31-12-2023	309	31-12-2023	JH03AM1424	30.250	GORAKHPUR
12-01-2024	2401042992	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1081	11-01-2024	84	11-01-2024	UP61BT1088	24.720	GORAKHPUR
12-01-2024	2401042999	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1082	11-01-2024	85	11-01-2024	UP61BT2563	25.860	GORAKHPUR
13-01-2024	2401043123	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1096	13-01-2024	320	13-01-2024	UP64BT6496	28.460	GORAKHPUR
14-01-2024	2401043133	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1095	13-01-2024	319	13-01-2024	UP64BT6596	28.410	GORAKHPUR
15-01-2024	2401043244	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1108	14-01-2024	322	14-01-2024	UP64BT4957	29.810	GORAKHPUR
15-01-2024	2401043245	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1107	14-01-2024	321	14-01-2024	JH03AM9257	30.500	GORAKHPUR
17-01-2024	2401043384	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1131	16-01-2024	326	16-01-2024	UP64BT6157	28.630	GORAKHPUR
17-01-2024	2401043377	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1129	15-01-2024	325	15-01-2024	UP64BT4157	24.480	GORAKHPUR
17-01-2024	2401043374	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1128	15-01-2024	324	15-01-2024	JH03AM9857	27.920	GORAKHPUR
17-01-2024	2401043385	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1132	16-01-2024	327	16-01-2024	UP64BT5057	27.400	GORAKHPUR
18-01-2024	2401043431	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1134	16-01-2024	329	16-01-2024	UP64AT4970	24.670	GORAKHPUR
18-01-2024	2401043436	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1133	16-01-2024	328	16-01-2024	UP64AT5834	23.400	GORAKHPUR
19-01-2024	2401043556	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1152	18-01-2024	331	18-01-2024	UP64BT6496	27.670	GORAKHPUR
19-01-2024	2401043558	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1149	18-01-2024	88	18-01-2024	UP61BT2563	30.880	GORAKHPUR
19-01-2024	2401043534	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1148	18-01-2024	87	18-01-2024	UP61BT1088	31.770	GORAKHPUR
20-01-2024	2401043640	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1160	19-01-2024	1656	19-01-2024	UP64BT7231	22.170	GORAKHPUR
20-01-2024	2401043646	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1153	18-01-2024	333	18-01-2024	MH40CM2706	29.120	GORAKHPUR
20-01-2024	2401043630	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1151	18-01-2024	89-A	18-01-2024	NL02L6687	24.110	GORAKHPUR
20-01-2024	2401043597	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1158	19-01-2024	89	19-01-2024	UP64BT7240	20.940	GORAKHPUR
21-01-2024	2401043695	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1164	20-01-2024	335	20-01-2024	UP64BT4957	27.540	GORAKHPUR
21-01-2024	2401043685	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1163	20-01-2024	334	20-01-2024	JH03AM9257	28.590	GORAKHPUR
21-01-2024	2401043671	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1165	20-01-2024	336	20-01-2024	UP64BT5960	29.480	GORAKHPUR
22-01-2024	2401043726	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1173	21-01-2024	339	21-01-2024	JH03AM9857	25.360	GORAKHPUR
22-01-2024	2401043734	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1171	21-01-2024	337	21-01-2024	UP64BT6157	27.720	GORAKHPUR
22-01-2024	2401043735	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1172	21-01-2024	338	21-01-2024	UP64BT5057	24.510	GORAKHPUR
23-01-2024	2401043780	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1188	22-01-2024	91	22-01-2024	UP64BT5260	24.130	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043839	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1189	23-01-2024	344	23-01-2024	BR45GB1059	24.710	GORAKHPUR

अपर नगा आयुक्त
 कलकत्ता विभाग



24-01-2024	2401043844	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1192	23-01-2024	341	23-01-2024	JH03AN7199	26.400	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043908	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1194	23-01-2024	345	23-01-2024	UP64AT4970	22.840	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043909	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1185	23-01-2024	348	23-01-2024	UP64AT5834	24.020	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043917	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1187	23-01-2024	343	23-01-2024	UP64BT7247	23.830	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043842	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1193	23-01-2024	342	23-01-2024	JH03AN4685	25.280	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043912	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1196	24-01-2024	346	24-01-2024	UP64BT6496	26.250	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043918	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1186	23-01-2024	349	23-01-2024	UP64AT5588	22.240	GORAKHPUR
24-01-2024	2401043919	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1197	24-01-2024	347	24-01-2024	UP64BT6596	29.170	GORAKHPUR
26-01-2024	2401044038	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1208	25-01-2024	350	25-01-2024	UP64BT5960	29.440	GORAKHPUR
27-01-2024	2401044118	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1200	25-01-2024	94	25-01-2024	UP61BT1088	23.200	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044213	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1233	27-01-2024	1645	27-01-2024	CG04PH0564	32.260	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044231	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1229	27-01-2024	457	27-01-2024	UP64BT6157	32.450	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044185	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1228	27-01-2024	456	27-01-2024	UP64BT4957	34.640	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044119	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1201	25-01-2024	95	25-01-2024	UP61BT3248	27.370	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044204	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1199	25-01-2024	93	25-01-2024	UP61BT2563	32.040	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044205	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1224	26-01-2024	452	26-01-2024	UP64BT0050	31.170	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044206	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1225	26-01-2024	453	26-01-2024	UP64BT8050	24.380	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044217	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1226	27-01-2024	454	27-01-2024	JH03AM9857	29.490	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044156	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1212	26-01-2024	1696	26-01-2024	UP64BT7231	26.240	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044183	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1230	27-01-2024	458	27-01-2024	UP64BT5057	28.770	GORAKHPUR
28-01-2024	2401044200	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1211	26-01-2024	97	26-01-2024	UP64BT7240	30.650	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044259	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1210	26-01-2024	96	26-01-2024	NL02L6687	26.140	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044280	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1242	28-01-2024	98	28-01-2024	UP64BT5260	27.940	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044186	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1227	27-01-2024	455	27-01-2024	JH03AM9257	32.060	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044252	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1238	27-01-2024	459	27-01-2024	JH03AM3129	33.980	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044272	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1251	29-01-2024	462	29-01-2024	UP64BT6596	34.920	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044273	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1239	27-01-2024	460	26-01-2024	JH03AM2384	34.970	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044293	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1252	29-01-2024	463	29-01-2024	UP64BT6496	33.030	GORAKHPUR
29-01-2024	2401044270	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1240	28-01-2024	461	28-01-2024	UP63AT4591	29.260	GORAKHPUR
30-01-2024	2401044316	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1253	29-01-2024	464	29-01-2024	UP64BT5960	29.710	GORAKHPUR
30-01-2024	2401044328	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1254	29-01-2024	465	29-01-2024	UP64AT5834	24.860	GORAKHPUR
30-01-2024	2401044359	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1259	29-01-2024	467	29-01-2024	JH03AN8366	32.700	GORAKHPUR
30-01-2024	2401044361	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1260	29-01-2024	468	29-01-2024	UP64AT5588	27.320	GORAKHPUR
30-01-2024	2401044362	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1258	29-01-2024	466	29-01-2024	UP64AT4970	26.770	GORAKHPUR
31-01-2024	2401044399	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1264	30-01-2024	100	30-01-2024	UP64BT6751	36.750	GORAKHPUR
31-01-2024	2401044395	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1261	30-01-2024	469	30-01-2024	BR45GB1009	33.750	GORAKHPUR
31-01-2024	2401044443	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1263	30-01-2024	471	30-01-2024	BR45GB1059	29.100	GORAKHPUR
31-01-2024	2401044449	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1262	30-01-2024	470	30-01-2024	UP64BT7247	31.600	GORAKHPUR
31-01-2024	2401044483	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1270	31-01-2024	473	30-01-2024	UP64BT6957	27.970	GORAKHPUR
Total									2,176.120	



अपर नमी आयुक्त
कमल विभाग, गोरखपुर



UltraTech

Acknowledgement of Material Receipt

Certificate No.: DLCW/21/23-24


This is to certify that we have received the following quantities of **Sorted MSW/ Plastic Waste** sent by M/s. **Ecoston Infra Pvt. Ltd.** under the purview of **Gorakhpur Nagar Nigam** for co-processing at our Cement Plant (**Dalla Cement Works**), from **Bandha (Gorakhpur)** in **Uttar Pradesh** as declared by M/s. **Ecoston Infra Pvt. Ltd** in our Cement Kiln during the period **01-02-24** to **29-02-24**. The quantity mentioned is not issued to any other entity.

This document is for submission to Gorakhpur Nagar Nigam only.

Receipt details for the period **01-02-24** to **29-02-24** for location **Bandha (Gorakhpur)** as declared by the client as per Annexure Enclosed.

Collection State	City	Date of Receipt	Quantity Received (MT)
Uttar Pradesh	Gorakhpur	01.02.2024 to 29.02.2024	4140.060

Thanking You,
For Ultra Tech Cement Ltd
(Unit - Dalla Cement Works)


Authorized Signatory



UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

अपर नगर आयुक्त
व्यक्त निम्न, गोरखपुर

UltraTech Cement Limited
(Unit : Dalla Cement Works)

SH 5, Post : Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

T : +91 5445 265778, 265801, 265802 | W : www.ultratechcement.com

Registered Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093

T : +91 22 6691 7800 | CIN : L26940MH2000PLC128420

UltraTech Cement Limited -Unit Dalla Cement Works
AFPLASTICWASTE(Gorakhpur) receipt details from 01.02.2024 to 29.02.2024

Weighment slip uploa	Wt. Slip Number	Po No.	SUPPLIER NAME	Challan Number	Challan Date	Lorry Receipt Number	Lorry Receipt date	Truck/Wagon Number	Net weight	GRN No.	Source Name
01-02-2024	2401044569	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1279	01-02-2024	477	01-02-2024	UP64BT6496	30.210	5126647319	GORAKHPUR
01-02-2024	2401044578	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1280	01-02-2024	478	01-02-2024	UP64BT6256	27.140	5126647320	GORAKHPUR
02-02-2024	2401044589	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1287	01-02-2024	479	01-02-2024	UP64BT3438	29.810	5126648493	GORAKHPUR
02-02-2024	2401044622	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1295	01-02-2024	481	01-01-2024	UP64BT5256	22.400	5126648494	GORAKHPUR
02-02-2024	2401044641	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1300	02-02-2024	1646	02-02-2024	CG04PH0564	34.310	5126648496	GORAKHPUR
02-02-2024	2401044667	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1293	01-02-2024	104	01-02-2024	UP64BT6751	31.580	5126648492	GORAKHPUR
03-02-2024	2401044646	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1297	02-02-2024	102	02-02-2024	UP61BT2563	32.560	5126687997	GORAKHPUR
03-02-2024	2401044649	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1299	02-02-2024	101	02-02-2024	UP61BT1088	31.520	5126687998	GORAKHPUR
03-02-2024	2401044647	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1294	01-02-2024	480	01-02-2024	CG15EB2353	23.200	5126687999	GORAKHPUR
03-02-2024	2401044653	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1296	02-02-2024	482	02-02-2024	JH03AM9857	36.520	5126688000	GORAKHPUR
03-02-2024	2401044639	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1301	02-02-2024	1647	02-02-2024	CG04PH0563	33.520	5126688051	GORAKHPUR
04-02-2024	2401044664	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1298	02-02-2024	103	02-02-2024	UP61BT3248	32.280	5126742343	GORAKHPUR
04-02-2024	2401044687	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1308	02-02-2024	106	02-02-2024	UP64BT7240	32.010	5126742344	GORAKHPUR
04-02-2024	2401044767	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1320	03-02-2024	107	03-02-2024	UP64BT5260	29.740	5126742345	GORAKHPUR
04-02-2024	2401044681	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1302	02-02-2024	1766	02-02-2024	UP64BT7231	26.980	5126742346	GORAKHPUR
04-02-2024	2401044742	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1318	03-02-2024	1753	03-02-2024	BR28GB0638	27.260	5126775919	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044829	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1307	02-02-2024	105	02-02-2024	NL02L6687	26.100	5126776341	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044713	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1304	02-02-2024	485	02-02-2024	UP63AT4591	37.860	5126776342	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044716	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1303	02-02-2024	484	02-02-2024	UP64BT6157	29.170	5126776343	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044753	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1306	02-02-2024	487	02-02-2024	JH14K4414	36.490	5126776344	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044756	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1305	02-02-2024	486	02-02-2024	UP64BT4957	33.800	5126776345	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044757	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1309	02-02-2024	488	02-02-2024	UP64BT5057	30.460	5126776346	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044762	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1316	03-02-2024	490	03-02-2024	JH03AM1424	32.710	5126776347	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044763	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1317	03-02-2024	491	03-02-2024	JH03AM1441	32.670	5126776348	GORAKHPUR
05-02-2024	2401044811	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1336	03-02-2024	497	03-02-2024	UP64BT6596	26.850	5126776349	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044838	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1323	03-02-2024	108	03-02-2024	UP64BT3673	30.270	5126834375	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044844	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1335	03-02-2024	109	03-02-2024	UP64BT2094	24.730	5126834376	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044813	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1328	03-02-2024	494	03-02-2024	JH03AM3129	28.470	5126834377	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044814	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1329	03-02-2024	495	03-02-2024	JH03AM2384	28.780	5126834378	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044858	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1324	03-02-2024	492	03-02-2024	JH03AN2104	30.140	5126834379	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044769	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1362	05-02-2024	20493	05-02-2024	UP64BT7482	28.880	5126834380	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044770	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1356	05-02-2024	20492	05-02-2024	UP64BT7582	29.520	5126834401	GORAKHPUR
06-02-2024	2401044859	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1325	03-02-2024	493	03-02-2024	JH03AN0167	30.170	5126931984	GORAKHPUR
07-02-2024	2401044902	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1345	04-02-2024	110	04-02-2024	UP64BT3674	30.470	5126897406	GORAKHPUR
07-02-2024	2401044758	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1310	02-02-2024	489	02-02-2024	JH03AM9257	31.280	5126897407	GORAKHPUR
07-02-2024	2401044817	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1330	03-02-2024	496	03-02-2024	UP64BT5960	28.000	5126897409	GORAKHPUR
07-02-2024	2401044894	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1344	04-02-2024	498	04-02-2024	UP64BT6496	29.750	5126897410	GORAKHPUR
08-02-2024	2401044903	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1353	04-02-2024	111	05-02-2024	UP64BT6224	27.110	5126898897	GORAKHPUR
08-02-2024	2401045181	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1374	06-02-2024	115	06-02-2024	UP64BT6751	29.810	5126898898	GORAKHPUR
08-02-2024	2401044906	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1352	05-02-2024	499	05-02-2024	JH03AN8366	22.800	5126898900	GORAKHPUR
08-02-2024	2401045082	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1357	05-02-2024	500	05-02-2024	BR45GB1059	33.080	5126898941	GORAKHPUR



for [Signature]

अपर निका आयुक्त
 जल निगम, गोरखपुर

08-02-2024	2401045083	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1358	05-02-2024	501	05-02-2024	UP64BT7247	30.380	5126898942	GORAKHPUR
08-02-2024	2401044984	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1364	06-02-2024	1702	06-02-2024	BR28GB0638	29.460	5126898943	GORAKHPUR
08-02-2024	2401044904	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1354	05-02-2024	112	05-02-2024	UP64BT6226	28.300	5126898899	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045107	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1370	06-02-2024	504	06-02-2024	UP64AT5834	26.920	5126964560	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045265	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1365	06-02-2024	113	06-02-2024	UP61BT1088	28.510	5126964591	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045108	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1367	06-02-2024	353	06-02-2024	UP64AT5588	29.570	5126964592	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045113	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1368	06-02-2024	502	06-02-2024	JH03AM7142	28.050	5126964593	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045114	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1369	05-02-2024	503	05-02-2024	JH03AM6608	30.110	5126964594	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045153	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1371	06-02-2024	1648	06-02-2024	CG04PH0564	29.370	5126964595	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045279	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1373	06-02-2024	1650	06-02-2024	CG04PH0563	32.900	5126964596	GORAKHPUR
09-02-2024	2401045300	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1372	06-02-2024	1649	06-02-2024	UP64BT8448	29.780	5126964597	GORAKHPUR
10-02-2024	2401045289	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1366	06-02-2024	114	06-02-2024	UP61BT2563	30.220	5126988601	GORAKHPUR
10-02-2024	2401045261	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1387	07-02-2024	357	07-02-2024	JH03AM9857	35.990	5126988602	GORAKHPUR
10-02-2024	2401045272	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1397	08-02-2024	358	08-02-2024	JH03AN0167	35.900	5126988603	GORAKHPUR
10-02-2024	2401045288	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1384	07-02-2024	354	07-02-2024	UP64BT6256	29.580	5126988605	GORAKHPUR
10-02-2024	2401045290	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1386	07-02-2024	356	07-02-2024	CG15EB2353	31.900	5126988606	GORAKHPUR
10-02-2024	2401045341	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1385	07-02-2024	355	07-02-2024	UP64BT5256	32.590	5126988607	GORAKHPUR
10-02-2024	2401045180	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1395	08-02-2024	1812	08-02-2024	UP64BT7231	30.180	5126988610	GORAKHPUR
11-02-2024	2401045274	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1407	08-02-2024	117	08-02-2024	UP64BT7240	31.740	5127048593	GORAKHPUR
11-02-2024	2401045340	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1396	08-02-2024	116	08-02-2024	UP64BT5260	31.240	5127048595	GORAKHPUR
11-02-2024	2401045251	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1408	08-02-2024	160	08-02-2024	UP63AT4591	33.790	5127048596	GORAKHPUR
11-02-2024	2401045399	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1440	10-02-2024	364	10-02-2024	UP64BT6496	27.970	5127048597	GORAKHPUR
11-02-2024	2401045364	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1419	09-02-2024	21952	09-02-2024	UP64BT7482	32.180	5127048654	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045390	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1442	10-02-2024	366	10-02-2024	UP64BT5960	30.420	5127093019	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045397	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1434	10-02-2024	362	10-02-2024	UP64BT5057	27.810	5127093020	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045398	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1435	10-02-2024	363	10-02-2024	UP64BT6157	32.750	5127093121	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045443	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1443	10-02-2024	367	10-02-2024	JH03AN2104	34.950	5127093122	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045446	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1441	10-02-2024	365	11-02-2024	UP64BT4957	29.540	5127093123	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045357	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1420	09-02-2024	21953	09-02-2024	UP64BT7582	35.400	5127093124	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045539	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1454	11-02-2024	21956	10-02-2024	UP33CT1420	33.850	5127093125	GORAKHPUR
12-02-2024	2401045540	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1455	11-02-2024	21955	10-02-2024	UP33CT1514	34.990	5127093126	GORAKHPUR
13-02-2024	2401045445	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1446	10-02-2024	118	10-02-2024	UP61BT3248	33.530	5127157635	GORAKHPUR
13-02-2024	2401045447	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1447	10-02-2024	119	10-02-2024	UP64BT4506	33.910	5127157636	GORAKHPUR
13-02-2024	2401045449	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1444	10-02-2024	368	10-02-2024	JH03AM3129	28.200	5127157638	GORAKHPUR
13-02-2024	2401045450	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1445	10-02-2024	369	10-02-2024	JH03AM2384	24.040	5127157640	GORAKHPUR
13-02-2024	2401045559	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1461	12-02-2024	370	12-02-2024	JH03AM9257	34.200	5127157671	GORAKHPUR
14-02-2024	2401045480	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1450	10-02-2024	120	10-02-2024	NL02L6687	25.700	5127240093	GORAKHPUR
14-02-2024	2401045544	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1464	12-02-2024	372	12-02-2024	UP64AT7157	29.480	5127240094	GORAKHPUR
14-02-2024	2401045562	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1468	12-02-2024	373	12-02-2024	UP64BT6596	27.520	5127240095	GORAKHPUR
14-02-2024	2401045612	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1462	12-02-2024	371	12-02-2024	JH03AN8366	30.110	5127240096	GORAKHPUR
15-02-2024	2401045622	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1470	12-02-2024	122	12-02-2024	UP64BT4474	32.110	5127240218	GORAKHPUR
15-02-2024	2401045626	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1469	12-02-2024	121	12-02-2024	UP64BT3899	36.710	5127240219	GORAKHPUR
15-02-2024	2401045646	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1483	13-02-2024	374	13-02-2024	UP64BT7247	31.740	5127240220	GORAKHPUR
15-02-2024	2401045630	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1463	12-02-2024	1845	12-02-2024	UP64AT3386	24.670	5127240522	GORAKHPUR
15-02-2024	2401045623	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1471	12-02-2024	123	12-02-2024	UP64BT6599	32.410	5127247885	GORAKHPUR
16-02-2024	2401045898	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1503	14-02-2024	379	14-02-2024	UP64AT5588	25.800	5127317748	GORAKHPUR



अपर नामी आयुक्त
कत निष्प. गोरखपुर

अप
मम

16-02-2024	2401045894	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1501	14-02-2024	377	14-02-2024	JH03AM7142	30.890	5127317747	GORAKHPUR
16-02-2024	2401045649	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1484	13-02-2024	375	13-02-2024	BR45GB1059	30.350	5127317743	GORAKHPUR
16-02-2024	2401045725	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1506	14-02-2024	381	14-02-2024	JH03AM9857	30.800	5127317744	GORAKHPUR
16-02-2024	2401045738	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1485	13-02-2024	376	13-02-2024	JH03AN0167	30.480	5127317745	GORAKHPUR
16-02-2024	2401045796	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1504	14-02-2024	380	14-02-2024	UP64BT5256	32.840	5127317746	GORAKHPUR
17-02-2024	2401045895	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1871	15-02-2024	1871	15-02-2024	UP64BT7231	30.910	5127322588	GORAKHPUR
17-02-2024	2401045905	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1511	15-02-2024	124	15-02-2024	UP61BT1088	27.760	5127322587	GORAKHPUR
17-02-2024	2401045887	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1518	15-02-2024	385	15-02-2024	UP64AT4970	28.730	5127322586	GORAKHPUR
17-02-2024	2401045881	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1502	14-02-2024	378	14-02-2024	JH03AM6608	33.220	5127322585	GORAKHPUR
17-02-2024	2401045800	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1509	14-02-2024	384	14-02-2024	CG15EB2353	28.970	5127322584	GORAKHPUR
17-02-2024	2401045799	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1508	14-02-2024	383	14-02-2024	UP64BT6256	27.650	5127322583	GORAKHPUR
17-02-2024	2401045797	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1505	14-02-2024	381	14-02-2024	UP64AT5834	26.220	5127322582	GORAKHPUR
18-02-2024	2401045988	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1528	17-02-2024	389	17-02-2024	BR45GB1009	28.910	5127383717	GORAKHPUR
18-02-2024	2401045987	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1523	16-02-2024	386	16-02-2024	UP65HT0099	25.250	5127383715	GORAKHPUR
18-02-2024	2401046065	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1526	17-02-2024	21964	17-02-2024	UP64BT7482	29.530	5127383731	GORAKHPUR
18-02-2024	2401045907	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1521	15-02-2024	1653	15-02-2024	UP64BT8448	27.680	5127383720	GORAKHPUR
18-02-2024	2401045904	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1513	15-02-2024	1652	15-02-2024	CG04PH0564	31.290	5127383719	GORAKHPUR
18-02-2024	2401045903	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1514	15-02-2024	1651	15-02-2024	CG04PH0563	31.600	5127383718	GORAKHPUR
19-02-2024	2401046181	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1544	18-02-2024	21965	18-02-2024	UP64BT7582	31.870	5127443391	GORAKHPUR
19-02-2024	2401046180	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1543	18-02-2024	21970	18-02-2024	UP64BT6084	30.840	5127443330	GORAKHPUR
19-02-2024	2401046077	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1535	17-02-2024	21969	17-02-2024	UP33CT1516	29.940	5127443328	GORAKHPUR
19-02-2024	2401046072	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1532	17-02-2024	21966	17-02-2024	UP33CT1419	32.860	5127443327	GORAKHPUR
19-02-2024	2401046061	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1533	17-02-2024	21967	17-02-2024	UP33CT1420	31.220	5127443326	GORAKHPUR
19-02-2024	2401046060	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1534	17-02-2024	21968	17-02-2024	UP33CT1514	26.380	5127443325	GORAKHPUR
19-02-2024	2401045989	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1527	17-02-2024	388	17-02-2024	UP63AT4591	32.100	5127443324	GORAKHPUR
19-02-2024	2401046076	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1531	17-02-2024	605	17-02-2024	UP70MT7183	33.880	5127443323	GORAKHPUR
20-02-2024	2401046108	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1545	18-02-2024	129	18-02-2024	UP64BT4506	31.630	5127481487	GORAKHPUR
20-02-2024	2401046169	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1536	17-02-2024	127	17-02-2024	UP64BT5260	33.660	5127481488	GORAKHPUR
20-02-2024	2401046175	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1541	17-02-2024	128	17-02-2024	UP61BT2563	24.840	5127481489	GORAKHPUR
20-02-2024	2401046250	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1464	12-02-2024	272	12-02-2024	UP64AT7157	25.800	5127481490	GORAKHPUR
20-02-2024	2401046088	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1546	18-02-2024	130	18-02-2024	UP64BT7240	28.470	5127481486	GORAKHPUR
20-02-2024	2401046185	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1542	18-02-2024	606	18-02-2024	UP70NT1683	26.000	5127481485	GORAKHPUR
22-02-2024	2401046368	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1568	21-02-2024	392	21-02-2024	CG15EB2353	31.130	5127600133	GORAKHPUR
22-02-2024	2401046369	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1569	21-02-2024	393	21-02-2024	UP64BT6256	31.850	5127600134	GORAKHPUR
23-02-2024	2401046500	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1593	23-02-2024	397	23-02-2024	UP64BT5256	24.240	5127653383	GORAKHPUR
23-02-2024	2401046457	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1579	22-02-2024	1921	22-02-2024	UP64BT7231	22.850	5127653385	GORAKHPUR
24-02-2024	2401046554	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1597	23-02-2024	395	23-02-2024	UP64AT4970	24.590	5127667606	GORAKHPUR
24-02-2024	2401046458	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1571	21-02-2024	1916	21-02-2024	UP64AT3386	27.040	5127667607	GORAKHPUR
24-02-2024	2401046530	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1585	22-02-2024	1923	22-02-2024	UP64AT5592	24.280	5127667609	GORAKHPUR
25-02-2024	2401046604	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1595	23-02-2024	399	23-02-2024	UP64BT7247	25.470	5127714658	GORAKHPUR
25-02-2024	2401046605	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1594	23-02-2024	398	23-02-2024	BR45GB1059	28.420	5127714659	GORAKHPUR
25-02-2024	2401046619	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1462	12-02-2024	371	12-02-2024	JH03AN8366	24.510	5127714660	GORAKHPUR
26-02-2024	2401046674	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1617	25-02-2024	133	25-02-2024	UP64BT2094	23.970	5127805567	GORAKHPUR
26-02-2024	2401046688	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1605	24-02-2024	131	24-02-2024	UP61BT1088	26.900	5127805568	GORAKHPUR
26-02-2024	2401046690	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1606	24-02-2024	132	24-02-2024	NL02L6687	23.480	5127805569	GORAKHPUR
26-02-2024	2401046693	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1622	26-02-2024	134	26-02-2024	UP64BT3674	27.170	5127805570	GORAKHPUR



अपर नमो आयुक्त
कमल निवास, गोरखपुर

Sr. Insp.

26-02-2024	2401046622	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1608	24-02-2024	1655	24-02-2024	UP64BT8448	25.650	5127805801	GORAKHPUR
26-02-2024	2401046672	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1615	25-02-2024	1656	25-02-2024	CG04PH0564	29.080	5127805802	GORAKHPUR
26-02-2024	2401046673	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1607	24-02-2024	1654	24-02-2024	CG04PH0563	29.210	5127805803	GORAKHPUR
27-02-2024	2401046777	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1640	27-02-2024	306	27-02-2024	UP64BT5960	27.630	5127850060	GORAKHPUR
28-02-2024	2401046828	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1642	27-02-2024	135	27-02-2024	UP64BT4506	30.860	5127860474	GORAKHPUR
28-02-2024	2401046841	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1647	27-02-2024	21984	27-02-2024	UP64BT7582	32.880	5127860475	GORAKHPUR
Total									4,140.060		



अपर नगा आयुक्त
जलर सिंगम, गोरखपुर



Acknowledgement of Material Receipt

Certificate No.: DLCW/25/23-24

This is to certify that we have received the following quantities of **Sorted MSW/ Plastic Waste** sent by M/s. **Ecoston Infra Pvt. Ltd**, under the purview of **Gorakhpur Nagar Nigam** for co-processing at our Cement Plant (**Dalla Cement Works**), from **Bandha (Gorakhpur)** in **Uttar Pradesh** as declared by M/s. **Ecoston Infra Pvt. Ltd** in our Cement Kiln during the period **01-03-24** to **31-03-24**. The quantity mentioned is not issued to any other entity.

This document is for submission to Gorakhpur Nagar Nigam only.

Receipt details for the period **01-03-24** to **31-03-24** for location **Bandha (Gorakhpur)** as declared by the client as per Annexure Enclosed.

Collection State	City	Date of Receipt	Quantity Received (MT)
Uttar Pradesh	Gorakhpur	01.03.2024 to 31.03.2024	212.090

Thanking You,
For Ultra Tech Cement Ltd
(Unit - Dalla Cement Works)

Authorized Signatory



UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

अपर नगर आयुक्त
कलकत्ता नगर, गोरखपुर

UltraTech Cement Limited
(Unit : Dalla Cement Works)

SH 5, Post : Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

T : +91 5445 265778, 265801, 265802 | W : www.ultratechcement.com

Registered Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093

T : +91 22 6691 7800 | CIN : L26940MH2000PLC128420

UltraTech Cement Limited -Unit Dalla Cement Works
AFPLASTICWASTE(Gorakhpur) receipt details from 01.03.2024 to 31.03.2024

Weighment slip uploa	Wt. Slip Number	Po No.	SUPPLIER NAME	Challan Number	Challan Date	Lorry Receipt Number	Lorry Receipt date	Truck/Wagon Number	Net weight	GRN No.	Source Name
03.03.2024	2401047096	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1689	28.02.2024	313	28.02.2024	UP64BT4957	28.080	5128166947	GORAKHPUR
03.03.2024	2401047144	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1657	28.02.2024	136	28.02.2024	UP64BT3674	27.410	5128166946	GORAKHPUR
04.03.2024	2401047250	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1684	02.03.2024	21994	02.03.2024	UP33CT1514	30.930	5128167209	GORAKHPUR
04.03.2024	2401047249	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1670	01.03.2024	21989	01.03.2024	UP33CT1419	29.840	5128167208	GORAKHPUR
04.03.2024	2401047170	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1683	02.03.2024	21993	02.03.2024	UP33CT1516	33.150	5128167207	GORAKHPUR
04.03.2024	2401047169	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1671	01.03.2024	21990	01.03.2024	UP33CT1420	32.000	5128167206	GORAKHPUR
04.03.2024	2401047146	8270001081	ECOSTAN INFRA PVT. LTD.	1663	29.02.2024	21986	29.02.2024	UP64BT7482	30.680	5128167205	GORAKHPUR
Total									212.090		




 अपर नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :14/03/2024 To 31/12/2028

Ref No. - 204540/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTE/GORAKHPUR/2024

Dated:- 08/05/2024

To ,

Shri SANGHARSH NEGI
M/s NTPC VIDYUT VYAPAR NIGAM LIMITED
Gorakhpur Harit Koyala Pariyojana, Village- Suthani, Sahzanwan,

Gorakhpur: GORAKHPUR, 273209

GORAKHPUR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 25151554 dated - 04/03/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates : Latitude-26.751324, Longitude-83.1454695

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
Municipal Solid Waste	Metric Tonnes/Day	500

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
Torrefied Charcoal	6500

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
NA	Metric Tonnes/Day	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Municipal Supply	Nagar Nigam Gorakhpur	200.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

अपर नगर आयुक्त
कलकत्ता नगरपालिका

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	10.0
Cooling	200.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use
Others	25	Heating

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.

3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2028 to the Board.

4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.

5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.

6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

(Handwritten signature)

अपर नगा आयुक्त
कलकत्ता निगम गोरखपुर

1. This consent to establish is valid only for setting up a 500 TPD MSW to Torrefied Charcoal (6500 MT/Month) Facility in Suthani, Gorakhpur having Latitude-26.751324, Longitude-83.1454695.
2. The plant shall not abstract ground water in any circumstances and the water demand (200 KLD) shall be satisfy by Municipal Supply Nagar Nigam, Gorakhpur only.
3. The plant shall not discharge any industrial effluent from the premises.
4. The Project shall comply with the provisions of Construction & Demolition Rules 2016 & SWM Rules 2016.
5. Transportation and handling of MSW shall be as per the SWM Rules, 2016.
6. Torrefaction Reactor shall be operated in accordance SWM Rules, 2016.
7. The Torrefied Charcoal Pellets Plant shall comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016.
8. Separate space for Torrefied Charcoal Pellets shall be provided by facility.
9. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wastes and the staff must be properly trained.
10. Torrefaction Reactor shall install Online Continuous Emission Monitoring System with data connectivity to CPCB server before commissioning of the plant.
11. Onsite emergency plan approved by the competent authority shall be submitted to board.
12. Project shall install at least 0.5 meter from roof level along with acoustic enclosures on DG set of capacity 1000 KVA for use of backup power.
13. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken as per the provisions of Construction & Demolition Waste Management Rules 2016.
14. Torrefied Charcoal Pellets Plant shall comply the provisions of Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. CBWTF shall operate the plant after taking CTO under the provisions of Water Act 1974 and Air Act 1981 from the Board.
15. Project shall comply with the provisions of SWM Rules 2016 and provide facility for safe disposal of generated solid waste in housing project area.
16. Torrefied Charcoal Pellets Plant shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
17. To ensure the compliance of CTE condition from 1 to 15 a Bank Guarantee of Rupees 10,0000/- (Ten Lacs only) in the prescribed format shall be submitted to the Board within 15 days, failing which this CTE.
18. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this CTE and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 08/06/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

GHAN

Digitally signed by
GHAN CHAVAN

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

Copy To -

Regional Officer, U.P. Pollution Control

Information,

y action.

Chief Env

ental Officer, Circle-6



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता - देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- मंकल्प लें - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कठलरी को प्राथमिकता दी जाय।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त वचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट/अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई-वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाङ्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन/खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 विलियन KWh तक ऊर्जा की वचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के पत्रि नमारा नगिन है।

अपर नगा आयुक्त
बकर प्रिया
नेरवप

S. NO.	Department Name	Unit/Industry Details District Name	Application ID Service/Form Name Service Delivery In Days Proposed Service Delivery Date Days Left For The Delivery(Including Holidays)	Form Status: Status Change Date: Application Submission Date:	Current Remarks	View Application * NOC Certificate Number View NOC/LOC/Objection
1.	Pollution Control Board	MUNICIPAL CORPORATION GORAKHPUR UPSWP26020186301 GORAKHPUR	1. 26020186301030130001 Consolidated Form for Consent under Water Act 1974 Air Act 1981 and authorization under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 120 07/07/2026 146	FORWARDED 11/02/2026 10/02/2026	Application forward from RO to AEE2 in Gorakhpur group on 11/02/2026.	
		Material Recovery Facility Subhash Nagar UPSWP26020186302 GORAKHPUR	2. 26020186302030130001 Consolidated Form for Consent under Water Act 1974 Air Act 1981 and authorization under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 120 07/07/2026 146	FORWARDED 11/02/2026 10/02/2026	Application forward from RO to AEE2 in Gorakhpur group on 11/02/2026.	
		Material Recovery Facility Bairopur Mahadev Jharkandi Tukda no 1 ward no 01 UPSWP26020186303 GORAKHPUR	3. 26020186303030130001 Consolidated Form for Consent under Water Act 1974 Air Act 1981 and authorization under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 120 07/07/2026 146	FORWARDED 11/02/2026 10/02/2026	Application forward from RO to AEE2 in Gorakhpur group on 11/02/2026.	



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :27/04/2023 To 31/12/2027

Ref No. -

179549/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTE/GORAKHPUR/2023

Dated:- 27/04/2023

To ,

Shri RAJ KUMAR

M/s EVERENVIRO RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Solid Waste Site, Nagar Nigam of Gorakhpur, Suthani, Gorakhpur, GORAKHPUR, 273408

GORAKHPUR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 20166300 dated - 12/04/2023. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates : Solid Waste Site, Nagar Nigam of Gorakhpur, Suthani, Gorakhpur

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
Source Segregated Organic Waste	Metric Tonnes/Day	200
paddy straw	Metric Tonnes/Day	10
Agro Residue	Metric Tonnes/Day	10
Biomass	Metric Tonnes/Day	5

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
Compressed Bio Gas	300

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
Fermented organic Manure	Metric Tonnes/Day	20	20
Refused Derived Fuel	Metric Tonnes/Day	35	35
Rejects	Metric Tonnes/Day	5	5

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

अपर नगा आयुक्त
जल विभाग, गोरखपुर

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Ground Water (within premises)	Ground water extraction	42.0
Municipal Supply	Municipal supply	6.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	6.0
Process	42.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use
Diesel	0.050	For electricity generation

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

- You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
- Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2024 to the Board.
- Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
- It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
- Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

अपर नगा आयुक्त
कलकत्ता विभाग, कोलकाता

1. This CTE is valid for Everenviro Resource Management Private Limited, Solid Waste Site, Nagar Nigam of Gorakhpur, Suthani, Gorakhpur for the existing production capacity of unit only. The industry can only manufacture Compressed Bio-Gas 300 MT/Day.
2. The Industry shall comply with various provisions of The Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary movement) Rules, 2016.
3. ~~Minimum 3% of the land on which industry is to be established will be covered by the plantation~~ of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guidle_160218.pdf.
4. The Industry shall ensure that no generation of Effluent being done. If effluent is generated then Unit has to install Effluent Treatment Plant (ETP) of adequate capacity for the treatment of industrial effluent generated in the production capacity. The industry should ensure the operation of the ETP in such a manner that it confirm the standards lay down under the notification issued by MOEF&CC vide GSR 978 (E) dated 10/10/2016.
5. Under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000, the industry shall take adequate measures for control of noise from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A).
6. The Industry shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
7. Prior to abstraction, project shall obtain a No Objection Certificate from Central Ground Water Authority before abstraction of ground water. The Unit shall install Piezometer for measurement of ground water level and the data generated from Piezometer will be provided to the SPCB and CPCB on monthly basis.
8. The industry shall provide adequate arrangement for fighting the accidental leakages/discharge of any air pollutant/gas/liquid from the vessel, machinery etc. which are likely to cause fire hazard including environmental pollution.
9. The industry shall adhere to general standards terms and conditions of Water/Air Acts and compliance of Environment standards as per Environment (protection) Act 1986.
10. In case of violation of above mentioned conditions or any public complaint the consent shall be withdrawn in accordance with law.
11. The Industry shall establish any air pollution generating device except 125 KVA D.G set(1 Nos.) will be installed with proper Air Pollution Control System as notified in the E.(P).Rules 1986 as amended.
12. The industry shall only use LPG/HSD only for the use of DG set as fuel no other fuel is allowed in industrial process.
13. The Industry will submit the License of the concerned Department as applicable within 01 Months.
14. The Industry shall submit first compliance report with respect to conditions imposed within 30 days of issue of this permission.
15. The proponent shall obtain Consents for Operation from UPPCB, as required Under Section 25/26 of the Water (P & C of P) Act 1974 and under Section 21/22 of the Air (P&C of P) Act 1981 before commencement of the activity including trial production.
16. Unit shall submit the land use certificate within 03 month from the date of issue of this certificate and will only start the installation of the industry after obtaining land use certificate otherwise this CTE will be revoked with immediate effect.
17. The composting facility shall not be located within 300 m from the nearest dwelling and 100 m from any well or water course.
18. All other wastes such as iron filings, waste oils, transformer oils, batteries & other E-Waste should be recycled using registered vendors.
19. The daily logbook record of the Liquid manure produced by the unit shall be maintained.
20. Plants use following types of scrubbers:
 - (a) Iron chelating based for H₂S removal.
 - i. All Waste streams coming from plant should be suitably treated & recycled/reused. In no case, Effluent enters water body.
 - (b) PSA for CO₂ removal
 - ii. Height of exhaust gas chimney to be raised to 3m above the roof at least.
 - (C) Water scrubber for CO₂ and H₂S removal.
 - iii. Effluent generated which is high in acids should be neutralized by using suitable method & then disposed off after meeting the notified effluent discharge norm.

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

964

21. Solid manure may be converted to PROM (Phosphate Rich Organic Manure) organic Potash fertilizer, Organic silica fertilizer Etc.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 27/05/2023 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

Pankaj
Yadav
Regional Officer

Digitally signed
by Pankaj Yadav
Date:
2023.04.27
13:31:23 +05'30'

Dated:- 27/04/2023

Copy To -

CEO 6 ; UPPCB, Lucknow.

Pankaj
Yadav
Regional Officer

Digitally signed
by Pankaj Yadav
Date:
2023.04.27
13:31:41 +05'30'



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :30/10/2024 To 31/12/2027

Category : GREEN

Application Id : 28491598

Ref No. -

Dated:- 30/10/2024

223173/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTE/GORAKHPUR/2024

To ,

Shri SUDHIR CHELAWAT

M/s PM PROJECTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED

KHASRA NO. 1144, RAKBA 0.84 NOUSAD BARIYA TOLLA , GORAKHPUR

GORAKHPUR,273016

GORAKHPUR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 28491598 dated - 04/10/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
Dead Animals	Metric Tonnes/Day	12

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
Ash from Disposal of Dead Animal- 18.25	18.25

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
Ash from Disposal of Dead Animals	Metric Tonnes/Day	18.25	25

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Ground Water (within premises)	Bore Well	5.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

अपर नगा आयुक्त
कलकत्ता विभाग, कोलकाता

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Others(Washing)	5.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

- You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
- Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2027 to the Board.
- Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
- It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
- Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

- This CTE is valid for M/S PM PROJECTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED, KHASRA NO. 1144, RAKBA 0.84 NOUSAD BARIYA TOLLA, GORAKHPUR for Animal Waste Crematorium of Dead Animal Plant capacity- 1000-1500 Kg/Hour.
- Industry shall Developed Proper Green Belt in the premises as per the provision of the Govt. Order issued for plantation by the Govt. of the U.P. Gazat notification.
- The industry shall provide/installed Septic Tank and Soak Pit for the Treatment of the Domestic Effluent Generated from the Premises.
- Industry shall be not allow to generate/disposed of any polluting industrial effluent from industrial premises.
- No any adverse effect shall be occurred by installation and operation of the unit.
- No any fuel shall be used in any Manufacturing or any subsidiary process accept Diesel oil for D.G. Set only.
- Industry submit land use paper with in two months.
- Industry shall obtained C.T.O. (air and water) before operation.
- Industry shall installed rain water Harvesting system to conserve ground water.
- Industry shall comply the provision of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 as amended 1978 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981.
- Industry shall be ensure to proper disposal of waste/solid waste generated from unit in the premises.
- This C.T.E. shall be revoked or cancelled in case of any valid complain received to this office against the industry.
- Separate C.T.E. shall be obtain from U.P.P.C.B. in case of capacity enhancement, expansion or any changes in this C.T.E. Issued.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 30/11/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

अपर नगा आयुक्त
उप निदेशक

967

AJEET Digitally signed
KUMAR by AJEET
SUMAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.10.30
11:49:13 +05'30'
Regional Officer

Dated:- 30/10/2024

Copy To -

CEO 6 : UPPCB, Lucknow.

AJEET Digitally signed
KUMAR by AJEET
SUMAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.10.30
11:49:34 +05'30'
Regional Officer


अपर नगा आयुक्त
उप निदेशक गोरखपुर



- स्वच्छता - देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- मंकल्प लें - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन टोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अनिर्दिष्ट बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट/अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई-वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम टोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाकीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन/खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग विजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर विजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है।

अपर नगा आयुक्त
ककर विभाग, गोरखपुर



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :17/02/2024 To 31/12/2025

Ref No. - 201182/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTE/GORAKHPUR/2024

Dated:- 17/02/2024

To ,

Shri LOGIKOOFTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
M/s LOGIKOOF TECHNOLOGIES PVT LTD
Near Electric Bus Depot & Charging Station, C & D Waste Processing Plant, Moharipur.

Gorakhpur

GORAKHPUR

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 24470985 dated - 17/01/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
Construction & Demolition waste Material (Bricks, Concrete, Wood, Steel, Soil & Cement) Including All Raw Mateial-300 MT/Month	Numbers/Month	300

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
Paver Block/Interlocking Bricks	0
Percast concrete Product/ Bricks/ Etc.	0
Including All Product quantity-1.5 Lac/Month	1.5

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
No by Product	Numbers/Month	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

अपर नगर आयुक्त
बनारस नगरपालिका, गोरखपुर

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Ground Water (within premises)	Bore Well	1.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	1.0
Industrial	0.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use
Diesel	12.5	For Fuel

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2025 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application,complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 may be initiated against the industry With out any prior information,in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1. This C.T.E. is valid for unit M/s Logikool Technologies Pvt. Ltd., Near Electric Bus Charging Station, at Vill- Jungle Bahadur Ali, Arazi No. 592, 93, 94, 604-611, 621 and 622, Tehsil- Sadar, Distt- Gorakhpur for processing and recycling of C & D waste 50 MT/Day received from Gorakhpur Nagar Nigam Area.
2. The site for storage and processing and recycling facility for Construction and Demolition Waste shall be qualify the provision of the sitting criteria of C & D Waste Management Rules, 2016 as per schedule I, Rules 7(1).
3. Construction and Development of processing and recycling of C & D waste shall be complied with the provisions of the C & D Waste Management Rules, 2016.
4. The processing or recycling site shall be away from habitation clusters, forest areas, water bodies, monuments, National Parks, Wetlands and places of important cultural, historical or religious interest.
5. A buffer zone of no development shall be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five Tonnes per day of installed capacity. This will be maintained within the total area of the solid waste processing and disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case to case basis by the local authority in consultation with concerned State Pollution Control Board.
6. Processing or recycling site shall be fenced or hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicles or other modes of transportation.
7. The approach and or internal roads shall be concreted or paved so as to avoid generation of dust particles due to vehicular movement and shall be so designed to ensure free movement of vehicles and other machinery.
8. Provisions of weigh bridge to measure quantity of waste brought at landfill site, fire protection equipment and other facilities as may be required shall be provided at site.
9. Utilities such as drinking water and sanitary facilities (preferably washing/bathing facilities for workers) and lighting arrangements for easy landfill operations during night hours shall be provided and Safety provisions including health inspections of workers at landfill sites shall be carried out made.
10. In order to prevent pollution from processing or recycling operations, the following provisions shall be made, namely:
 - (a) Provision of storm water drains to prevent stagnation of surface water;
 - (b) Provision of paved or concreted surface in selected areas in the processing or recycling facility for minimizing dust and damage to the site.
 - (c) Prevention of noise pollution from processing and recycling plant;
 - (d) provision for treatment of effluent if any, to meet the discharge norms as per Environment (Protection) Rules, 1986.
11. Work Zone air quality at the Processing or Recycling site and ambient air quality at the vicinity shall be monitored by project proponent.
12. The measurement of ambient noise shall be done at the interface of the facility with the surrounding area, i.e., at plant boundary.
13. A three meter vegetative boundary shall be made around Processing or Recycling plant or site to strengthen the buffer zone as well as for protection and control of speeding of dust emission from premises.
14. The project proponent shall submit the feasibility report for control of air, water and noise pollution to UPPCB, Gorakhpur Office within a 15 days.
15. The project proponent shall installed/maintained proper air/dust pollution control equipments to suppress the air pollution generated from crushing and handling of C & D Waste at proposed site.
16. All the crushing equipments, conveyers, vibrating screen should be covered so that process dust emission shall not be spreade around the proposed site.
17. Proper water sprinkler shall be provided at all the dust emission sources at crushing plant and on road used for vehicular movement area.
18. No any adverse effect shall be occurred due to installation and operation of the above C & D Waste Processing and Recycling Plant.
19. Ambient air quality shall be maintain as per the prescribe standard of CPCB norms.
20. The industry shall provide/installed Septic Tank and Soak Pit for the Treatment of the Domestic Effluent Generated from the Premises.
21. N.O.C./Permission from S.G.W.B. for abstraction of ground water shall be obtained and it will be submitted to this office with three month.
22. Unit shall comply the provision of Hazardous waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2008.
23. Industry shall comply the provision of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 as amended 1978 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981.
24. Separate C.T.E. shall be obtained from U.P.P.C.B. in case of capacity enhancement, expansion or any changes in this C.T.E. Issued.


 अवर जिला आयुक्त
 जल विभाग, गोरखपुर

972

25. In case of non compliance of the above conditions and any valid complain received to this office against the project this C.T.E. shall be revoked or cancelled.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 17/03/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

Anil
Kumar
Sharma
Digitally signed
by Anil Kumar
Sharma
Date: 2024.02.17
15:31:59 +05'30'
Regional Officer

Dated:- 17/02/2024

Copy To -

CEO 6 : UPPCB, Lucknow.

Anil
Kumar
Sharma
Digitally signed
by Anil Kumar
Sharma
Date:
2024.02.17
15:32:09 +05'30'
Regional Officer



973

मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता - देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई - वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाङ्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

अपर श्रमा आयुक्त
के. वि. वि. वि. वि. वि.

विशेष विकास कुमार को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया है कि इस मामले में यदि दोषी को कोई राहत धनराशि दी गई हो तो वापस ली जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वादी मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होता

दुरुपयोग बढ़ेगा। सरकारी वकील अरविंद मिश्रा ने बताया कि विकास कुमार ने 29 जून 2019 को थाना पीजीआई में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ओम शंकर यादव, अरुण कुमार, नीतू यादव और अखिलेश पाल मौके पर आए और जातिसूचक गालियां देते हुए उसे जमीन से

प्रमाण नहीं मिले। स्वतंत्र गवाहों ने भी ऐसी किसी घटना से साफ इन्कार किया। जांच में यह भी सामने आया कि विकास कुमार के परिवार की जमीन पर बैंक से कर्ज लिया गया था। कर्ज न चुकाने की स्थिति में बैंक ने उस जमीन की नीलामी कर दी थी। नीलामी में ओम शंकर यादव के भांजे कमलेश ने जमीन खरीदी थी। इसी जमीन विवाद के

था। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुनः भी उसी पैरवी से रोकने और दबाव बनाने के उद्देश्य से दोषी ने एससी/एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया। घटना के असत्य पाए जाने पर विवेचना अधिकारी ने 26 दिसंबर 2019 को न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर अदालत ने विकास कुमार को दोषी करार दिया।

दिनांक जागरण

बाइक सवार दो युवक खड़े ट्रक से भिड़े, मृत्यु

जागरण संवाददाता, कुशीनगर: घर से गोरखपुर दवा लेने की बात कह कर निकले बिहार के पश्चिमी चंपारण के बाइक सवार दो युवकों की लौटते समय मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कोहरे के चलते उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क की पटरी पर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे युवक के हेलमेट सहित सिर के चिथड़े उड़ गए। दुर्घटना रविवार की रात रामकोला के धर्म समधा मंदिर के पास हुई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को भी सूचना दी।

बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय अंबेडकर कुमार ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 10 पिपरहिया थाना नवलपुर अपने मित्र 25 वर्षीय अमित झा निवासी बेतिया शहर थाना मुफ्फसिल पश्चिमी चंपारण के साथ स्वजन की दवा लेने के लिए गोरखपुर जाने की बात कह कर घर से निकले थे।

बुखार व उल्टी-दस्त से रोआरी और खोटहीं में दो बच्चों की मृत्यु

जागरण टीम, कुशीनगर: बीमारी से बच्चों की मौत का सिलसिला जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के रोआरी गांव के नरकटिया टोला व खोटहीं के फकीरा छपरा में सोमवार को दो बच्चों की मृत्यु हो गई। बीमारी से 11 दिनों में मरने वाले बच्चों की संख्या नौ हो गई है।

विशुनपुरा ब्लॉक के रोआरी के टोला नरकटिया गांव में रविवार की देर रात बुखार और उल्टी-दस्त से लालबाबू की आठ वर्षीय बेटी किंजल की रामकोला सीएचसी में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। गांव में एक सप्ताह के भीतर दूसरी मौत से ग्रामीण दहशत में हैं। बीते दो दिसंबर की रात नरकटिया निवासी भरत चौहान की सात वर्षीय पुत्री सलोनी की मेडिकल कालेज गोरखपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। मौत के दूसरे दिन स्वास्थ्य टीम गांव में पहुंची थी। इस दौरान किंजल को भी बुखार और उल्टी-दस्त की शिकायत मिली थी। दूसरी घटना खोटहीं गांव के टोला फकीरा छपरा में हुई। हेमंत चौरसिया की पुत्री चार वर्षीय बेटी अर्पिता को शनिवार की रात उल्टी के साथ झटका आने लगा। रविवार की सुबह पड़रौना नगर के निजी अस्पताल के चिकित्सक ने मेडिकल कालेज अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उसी दिन शाम को मृत्यु हो गई।

किंजल

फाइल फोटो



अर्पिता

फाइल फोटो

(निहारिका शर्मा)

कार्यालय: नगर निगम गोरखपुर

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा कचरा जलाने और गंदगी फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति मार्गों के पार्वर्त भागों में या किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति में किसी प्रकार के टोस अपशिष्ट जलाता है या सड़क, नालों, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकता है, तो उसके विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना वसूला जाएगा।

क्र. सं०	अपशिष्ट प्रबंधन के उल्लंघन की श्रेणी	अर्थदंड की राशि	अर्थदंड करने हेतु अधिकृत अधिकारी
1	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा साधारण कचरा जलाने पर टोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹5000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी
2	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा थोक कचरा जलाने पर टोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹25000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी

सभी नागरिकों से अपील है कि कचरा जलाना, सड़क पर फेंकना या अवैध स्थान पर डंप करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा। कृपया कचरे का पृथक्करण कर कचरा संग्रहण हेतु डोर डू डोर संग्रहण वाहनों पर ही दे और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

संख्या: एम०ई०-३/२०२५/२९११ लखनऊ : दिनांक ०८.१२.२०२५

यु.पी. नीट पी.जी. काउंसिलिंग-२०२५ (एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा एवं डी.एन.बी.)

की द्वितीय चक की ऑनलाइन काउंसिलिंग की 'समय सारिणी'

मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एम०सी०सी०) नई दिल्ली द्वारा नीट पी०जी० पाठ्यक्रम हेतु निर्गत संशोधित समय सारिणी के क्रम में प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा एवं डी०एन० बी०) की स्टेट कोट की सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चक की ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु समय सारिणी निम्नवत् है:-

क्र.सं०	विवरण	तिथि	कुल दिवस
1	ऑनलाइन पंजीकरण करने की तिथि	दिनांक: 10.12.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक: 15.12.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) तक।	05 दिन
2	पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक: 10.12.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक: 15.12.2025 (अपरान्ह 02:00 बजे) तक।	06 दिन
3	मेरिट सूची घोषित करने की तिथि	दिनांक: 15.12.2025	01 दिन
4	ऑनलाइन चाइस फिलिंग की तिथि	दिनांक: 15.12.2025 (अपरान्ह 05:00 बजे) से दिनांक: 19.12.2025 (अपरान्ह 02:00 बजे) तक।	04 दिन
5	सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक: 20.12.2025	01 दिन
6	आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक: 22.12.2025 से दिनांक: 24.12.2025 तक तथा दिनांक: 26.12.2025 से दिनांक: 27.12.2025 तक तथा दिनांक: 29.12.2025 से दिनांक: 30.12.2025 तक	07 दिन

> यू०पी० नीट पी०जी० 2025 के शासनादेश/ब्रोशर में निहित निर्देशानुसार अभ्यर्थी अपनी अर्हता का आकलन स्वयं करें।

> चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो एवं जिन्होंने धरोहर धनराशि जमा की होगी।

> यू०पी० नीट पी०जी० 2025 की विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) एवं महत्वपूर्ण निर्देश वेबसाइट <https://upneet.gov.in> तथा www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Help Line Numbers: 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700

महानिदेशक

नगर निगम, गोरखपुर

जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा...



डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन से पीड़ित अंग पर मालिश करें।

तु लंबे समय तक बना रहता है।

62 उड़ानें रहा गुस्सा

लिए इंडिगो जिम्मेदार, ऐसी रेंगे जो नजीर बने : नायडू
 र ने कहा कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने को जांच मले में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे ऑपरेटरों के गरिक उड़डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी हों का पालन करना होगा। नायडू ने संकट के लिए को जिम्मेदार ठहराया। नायडू ने कहा कि इंडिगो घूटी रोस्टर का प्रबंधन करने में विफल रही। नायडू ने नैर्देशों को लेकर बताया कि 22 दिशा-निर्देश थे, जिनमें एक जुलाई और शेष सात को एक नवंबर से लागू रहा कि एक दिसंबर को जब एफडीटीएल पर इंडिगो की तो कंपनी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। ब्यूरो

बड़ी एम्बर के कई पहलू, एक साथ amarujala.com पर

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित
जी.डी.ए. कार्पोरेट पार्क योजना
 के अन्तर्गत रिक्त कार्यालय भूखण्डों का
 ई-ऑनलाइन के माध्यम से आवंटन करने का स्वतंत्रता अकाउंट

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि: 09-12-2025 **पंजीकरण समाप्ति तिथि: 31-12-2025**

सम्पत्ति का प्रकार	कार्यालय भूखण्ड का नम्बर	प्रति कार्यालय भूखण्ड का मानक क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रति कार्यालय भूखण्ड न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रुपये में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)
कार्यालय भूखण्ड	4,5,15,17,18,20	1250.00	₹ 15,15,07,500/-	₹ 1,51,50,750/-

सहायक संपत्तियों का विवरण

सामान्य वर्ग न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (₹०में)	आरक्षित वर्ग न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 5 प्रतिशत (₹०में)
₹ 75,75,375/-	

नोट: पंजीकरण हेतु क्या करें - (1) पंजीकरण विवरण पुस्तिका ₹ 1,000/- (जी०एस०टी० सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in से डाउन लोड किया जा सकता है। (2) निर्धारित पंजीकरण धनराशि आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा। (3) कार्यालय भूखण्ड का आवंटन ई-ऑनलाइन के माध्यम से किया जायेगा। (4) कार्यालय भूखण्डों का आवंटन मा० एन०जी०टी० के निर्णय के अधीन किया जायेगा। (5) याचिका सं० 65067/2015 डा० अनुज सरकारी व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले किसी अन्तरिम/अन्तिम आदेश के अधीन नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। (6) विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक संपत्ति अधिकारी/सहायक जन संपर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

(पुष्पराज सिंह) सचिव **सम्पर्क करें: फोन नं.:- 0551-2230132, टोल फ्री नं. 18001202246** (आनन्द वर्दान) उपाध्यक्ष

हाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)

विदा सूचना सं./34/2025 (विस्तार)
 न्दी संस्करण में) राज्य व राष्ट्रीय स्तर के संस्करण में दिनांक प्रकाशित निविदा सूचना सं. 34/2025 के संदर्भ में, रिक्त ई-की वेबसाइट www.mahatenders.gov.in पर बढ़ा दी गई है। रिक्त ई-निविदा अब 12/12/2025 तक विदा सूचना की अन्य जानकारी अपरिवर्तित रहेगी।

सेनानायक 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर-273014

विज्ञप्ति
 26वीं वाहिनी पी०ए०सी० गोरखपुर के प्रांगण के अन्दर महिला रिक्त उपन चलाये जाने हेतु दिनांक 11-12-2025 को समय-12 मंत्रित किया गया है। विशेष जानकारी हेतु पंजीकृत ठेकेदार स बोर्ड पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
 (निहारिका शर्मा)
 सेनानायक-26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर

कार्यालय: नगर निगम गोरखपुर

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं तोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा कचरा जलाने और गंदगी फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति मांगों के पार्श्व मांगों में या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के तोस अपशिष्ट जलाता है या सड़क, नालों, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकता है, तो उसके विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना वसूला जाएगा।

क्र० सं०	अपशिष्ट प्रबंधन के उल्लंघन की श्रेणी	अर्थदंड की राशि	अर्थदंड करने हेतु अधिकृत अधिकारी
1	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा साधारण कचरा जलाने पर तोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹5000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी
2	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा थोक कचरा जलाने पर तोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹25000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी

सभी नागरिकों से अपील है कि कचरा जलाना, सड़क पर फेंकना या अवैध स्थान पर डप करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा। कृपया कचरे का पृथक्करण कर कचरा संग्रहण हेतु डोर दू डोर संग्रहण वाहनों पर ही दें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें।

नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

कार्यालय महाविदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं पशिक्षण, उ०प०

आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
-	23:25	गोरखपुर	20:19
00:30	00:32	बस्ती	19:30
01:55	02:00	गोंडा	17:20
04:25	04:35	गोमतीनगर	14:45
05:05	05:10	बादशाहनगर	14:10
05:40	05:55	ऐशबाग जं.	13:35
07:45	07:55	कानपुर सेंट्रल	11:55
10:18	10:20	उरई	08:05
13:15	13:20	वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी	06:50
16:30	16:40	बीना	04:40
19:20	19:25	रानी कमलापति	02:35
21:02	21:12	इटारसी जं.	00:15
23:40	23:42	खंडवा	21:35
01:40	01:45	मुसावल	18:45
05:13	05:15	नासिक रोड	14:40
06:25	06:35	इगतपुरी	14:00
08:05	08:08	कल्याण	11:42
09:00	-	लोकमान्य तिलक (टर्मि.)	-

रेक संरचना: वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-08 शयनयान श्रेणी-08, सामान्य द्वितीय श्रेणी-04, जनरेटर सह लगेज यान-01 एलएसएलआरडी-01 (कुल -22 कोच)
मुजाधि/टी-83-ए मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक, गोरखपुर
ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों लेकर यात्रा न करें

13	घनश्याम	राजाराम
14	मोतीचन्द उर्फ बन्ता	राज किशोर
15	आशुतोष कुमार भट्ट	कपिश्वर भट्ट
16	दूधनाथ	गोलई
17	ओमनरोयन सिंह	बद्रीनाथ
18	लाल जी	जगोसर
19	जगदीश	झिन्नु
20	इन्द्रजीत	परमेश्वर
21	ज्ञानमती	परमेश्वर
22	वशिष्ठ	कन्हैया
23	शैलेशधर व शब्या	शभाधर
24	राजू	मुन्ना
25	रामरक्षा	अवधू
26	शिवकुमार	भूलन
27	उर्मिला	नरसिंह
28	जर्नादन व अरुण	राम प्रसाद
29	शिवमूरत व अवध	अपरबल
30	मुन्ना प्रसाद पानमती	ओरी प्रसाद
31	श्रीमती शाशी	राम मोहन
32	कल्लू	रिखई
33	राम नगीना	बेचन
34	फूलदेव व दुर्गेश	राम नारायन व फूलदेव
35	खजाने	रामसूरत
36	अशोक यादव	रामासरय
37	फोजदार व बबलू	पुद्दन
38	सुखारी मू० वारिस परशुराम एकदम गंगाराम कालेराम जयशिव	हंसी व शुखारी
39	अमरेश	ब्रजलाल
40	अशोक कुमार व चन्द्रावती	विश्याचल
41	इन्दल	भगौती
42	भास्कर पति	काशीनाथ
43	पन्नेलाल	ब्रजनन्दन
44	अनिल कुमार	ओकारनाथ
45	कैलाश व शिवकुमार	रघुबर व मुलाब
46	चन्द्रगी एवं जर्नादन	खजान्ची
47	जवाहिर	अलगू

नोट-बंधक पत्र निष्पादित करने के पश्चात तातारिख वसूल किये जायेगे उपरोक्त बकायेदारों में से जमा कर दिया है तो शेष बकाया धनराशि पर नीलामी की जाकगी कि वह स्थान एवं समय का परिवर्तन आवश्यकतानुसार कार्यवाही निरस्त समझे बैंक के अन्य बकायेदारों को भी चेक करे/विज्ञापन में छपाई कि त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं

पत्रांक: 343/नीलामी/2025-26 दिनांक 08.12.2025

बेटे की मृत

त.

र-47 स्थित

त दो

शनिवार रात

के लिए कमरे

आग जलाकर

कमरा बंद होने के

अंदर ही हवा बाहर

काल सकी और

दम घूटने से बेहोश

ए। रविवार सुबह

ला सुरक्षाकर्मी ने वहां

ची तो दोनों को

होस मिले।

पति-पत्नी ने जान दी

शामली। गांव

बुटराडी

बिजलीघर के

पास पति-पत्नी

ने जहरीला

पदार्थ खाकर

आत्महत्या कर

ली। दोनों की

शिनारख

हरियाणा के

पुंडरीकला

कैथल निवासी

के रूप में हुई है।

पुलिस को घटना

स्थल से जहरीले

पदार्थ की शीशी

बराबत हुई है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अधीक्षक अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल द्वितीय-मोहदीपुर, गोरखपुर

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

दिनांक : 08.12.2025

निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

1. 31/EDC-II(G)/2025-26 विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, गोरखपुर के नियंत्रणाधीन विद्युत वितरण खण्ड-कौडीराम, गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के वी. विद्युत उपकेन्द्र गजपुर एवं पकड़ी के फीडर विभक्तीकरण का कार्य हेतु। प्रपत्र शुल्क -रु. 3540.00, धरोहर धनराशि-रु. 17000.00

ई-निविदा की अन्तिम तिथि : 17 दिसम्बर 2025, 16:00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अग्रेत्तर समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जायेगी।

"राष्ट्रहित में बिजली बचाये"

अधीक्षक अभियन्ता,

विद्युत वितरण मण्डल द्वितीय

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. मोहदीपुर, गोरखपुर

पत्रांक: 2962/वि.वि.मं.द्वि.(गो.)/दिनांक 08.12.2025

द्विचक्रान

08/12/2025

कार्यालय: नगर निगम गोरखपुर

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा कचरा जलाने और गंदगी फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति मार्गों के पार्श्व भागों में या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट जलाता है या सड़क, नालों, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकता है, तो उसके विरुद्ध प्रयावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना वसूला जाएगा।


क्र० सं०	अपशिष्ट प्रबंधन के उल्लंघन की श्रेणी	अर्थदंड की राशि	अर्थदंड करने हेतु अधिकृत अधिकारी
1	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा साधारण कचरा जलाने पर ठोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹5000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी
2	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा थोक कचरा जलाने पर ठोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹25000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी

सभी नागरिकों से अपील है कि कचरा जलाना, सड़क पर फेंकना या अवैध स्थान पर डप करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा। कृपया कचरे का पृथक्करण कर कचरा संग्रहण हेतु डोर टू डोर संग्रहण वाहनों पर ही दें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर



सार्वजनिक सूचना



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 26.07.2024 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा कचरा जलाने और गंदगी फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति मार्गों के पार्श्व भागों में या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट जलाता है या सड़क, नालों, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकता है, तो उसके विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना वसूला जाएगा।

क्रम संख्या	अपशिष्ट प्रबंधन के उल्लंघन की श्रेणी	अर्थदंड की राशि	अर्थदंड करने हेतु अधिकृत अधिकारी
1	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा साधारण कचरा जलाने पर ठोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹5000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी
2	समस्त शहरवासियों, व्यावसायिक सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा थोक कचरा जलाने पर ठोस अपशिष्ट अधिनियम-2016 का उल्लंघन	अधिकतम ₹25000.00	जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी

सभी नागरिकों से अपील है कि कचरा जलाना, सड़क पर फेंकना या अवैध स्थान पर डंप करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा।

कृपया कचरे का पृथक्करण कर कचरा संग्रहण हेतु डोर टू डोर संग्रहण वाहनों पर ही दें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें।

आज्ञा से

नगर आयुक्त

नगर निगम गोरखपुर

(Handwritten signature)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 नवम्बर, 2020

कार्तिक 27, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या 2511/नौ-5-2020-162सा/2019

लखनऊ, 18 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-70

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 और 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, अधिनियम, सन् 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण की सूचना के लिये और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इस प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियाँ व सुझाव, यदि कोई हों, लिखित रूप से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या-824, बापू भवन, लखनऊ 226001 को प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल ऐसी आपत्तियाँ व सुझावों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 तथा 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा उसके संचालन को विनियमित करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2020

प्रस्तावना

समुचित स्वच्छता बनाये रखने के उद्देश्य से अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण नगरीय स्थानीय निकायों का मूलभूत उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट को घटाने, उसका पुनर्चक्रण करने, पुनर्चक्रण करने और निस्तारण करने की क्रमबद्धता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट के स्रोत पर

ही पृथक्करण और उसके मूल उद्गम पर पृथक्करण के समय ही उसे प्रसंस्कृत किया जाना अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वाधिक लागत परक और व्यवहारिक तरीका है।

अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण एक वैज्ञानिक समस्या है और इसे प्रौद्योगिकीय समाधानों का प्रयोग करके वैज्ञानिक रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

अध्याय-एक

सामान्य

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2020 कही जायेगी। यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- (2) राज्य के किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उक्त संबंध में बनायी गयी नियमावली या दिशा-निर्देशों पर इस नियमावली का प्रतिकूलता की सीमा तक अद्यारोही प्रभाव होगा।
- (3) नगरीय स्थानीय निकाय के किन्हीं नियमों के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली अभिवावी होगी।

2-परिभाषाएँ:-

- (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:
 - (क) "अभिकरण" का तात्पर्य उस इकाई/फर्म/कंपनी/स्वयं सेवी संस्था/सिविल सोसाइटी समूह से है, जिसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सौंपे गये कार्यों का दायित्व ग्रहण करने के लिए नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया गया है;
 - (ख) "वातजीवी कम्पोस्टीकरण" का तात्पर्य ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जीवी अपघटन/कार्बनिक विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है;
 - (ग) "अवातजीवी कम्पोस्टिंग" का तात्पर्य आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ के सूक्ष्म जीवी अपघटन/विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है;
 - (घ) "प्राधिकार" का तात्पर्य, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी सुविधा के प्रचालक या नगरीय स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गयी अनुज्ञा से है;
 - (ङ) "जैव नाशित अपशिष्ट" का तात्पर्य किसी ऐसी कार्बनिक सामग्री से है, जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में नाशित किया जा सकता है;
 - (च) "जैविक मिथेनीकरण" का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमी अपघटन/विघटन को अपरिहार्य बनाता है;
 - (छ) "ब्रांड स्वामी" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या कंपनी से है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है;
 - (ज) "मध्यवर्ती परिक्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे विकास रहित परिक्षेत्र से है जिसे कि 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जायेगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा;
 - (झ) "थोक अपशिष्ट उत्सर्जक" का तात्पर्य ऐसे किसी स्वामी अधिभोगी या किसी अन्य व्यक्ति से है जो 100 कि०ग्रा० प्रतिदिन से अधिक के औसत अपशिष्ट उत्पादन दर वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम (नर्सिंग होमों), विद्यालय (विद्यालयों) कॉलेजों, विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालयों) अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावास (छात्रावासों), होटलों, वाणिज्यिक अधिष्ठान (अधिष्ठानों), पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिग्रहीत भवनों सहित भवनों/पलैटों, सामूहिक भवनों/पलैटों, आवास समितियों/कम्प्लेक्सों, रेस्टोरेन्ड्स, होटलों, बाजारों, औद्योगिक सम्पत्तियों तथा शॉपिंग कम्प्लेक्सों/मॉलों अथवा नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित तथा अधिसूचित अन्य अधिष्ठान संबंधी स्रोतों/परिसरों का प्रतिनिधित्व करता हो;

(अ) "जनगणना नगर" का तात्पर्य भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा परिभाषित नगरीय क्षेत्र से है;

(ट) "ज्वलनशील अपशिष्ट" का तात्पर्य प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्रियों को छोड़कर गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर पुनः उपयोग्य, गैर-परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति कि०ग्रा० से न्यूनतम कैलोरीफिक मान हो;

(ठ) "कम्पोस्टीकरण" का तात्पर्य जैविक पदार्थ का सूक्ष्मीजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ड) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या फर्म से है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने हेतु सामग्री या श्रम प्रदान करने के लिए ठेका ग्रहण करता है;

(द) "सह-प्रसंस्करण" का तात्पर्य प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को दोनों प्रतिस्थापित या अनुपूरित करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मूल्य वाले गैर जैव अपघटनीय और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट के उपयोग से है;

(ण) "विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण" का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट का स्थानीयकृत प्रसंस्करण करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को प्राप्त करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े;

(त) "निपटान" का तात्पर्य भूगर्भ जल, भू-पृष्ठ जल, परिवेश वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए भूमि पर पश्च प्रसंस्कृत अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट और भू-पृष्ठ नालों की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान करने से है;

(थ) "घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" का तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्सर्जित फेंके हुये पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, द्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियों सहित औषधियों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियों, प्रयुक्त सुइयों तथा सिरिन्ज और संदूषित पेट्रिटियों आदि से है;

(द) "द्वार-द्वार संग्रहण" का तात्पर्य घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल या प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना सम्मिलित है;

(ध) "शुष्क अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट और निष्क्रिय गली के कूड़ा-करकट से निम्न अपशिष्ट से है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाहा अपशिष्ट, और सफाई नैपकीन, डाइपर आदि अपशिष्ट सम्मिलित है;

(न) "क्षेपण स्थल" का तात्पर्य किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान बिना सेनेटरी लैंडफिल के सिद्धान्त का पालन किये उसका ढेर लगाने के लिये उपयोग की गयी भूमि से है;

(प) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व" का तात्पर्य पैकेजिंग उत्पादों जैसे कि प्लास्टिक, टिन, कॉच और सिकुड़े हुये बर्क्सों इत्यादि के अस्तित्व में रहने के अंत तक पर्यावरणीय रूप से समुचित प्रबंधन के लिए किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व से है;

(फ) "सुविधा" का तात्पर्य ऐसे किसी अधिष्ठान से है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण पुनः प्राप्ति, भण्डारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, संचार या सुरक्षित निपटान किये जाते हैं;

(ब) "संचालन" के अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों की छटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनः प्राप्ति, संग्रहण, गौड़ भण्डारण, काटना, गट्टा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित है;

(म) "मस्मीकरण" का तात्पर्य ऐसी अभियांत्रिकीकृत प्रक्रिया से है जिसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से अपघटित करने के लिए ठोस अपशिष्ट को जलाया जाना या उसका दहन किया जाना सम्मिलित है;

(म) "अक्रिय" का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो जैव अपघटनीय, पुनः चक्रणीय या दाहा न हो, और गली की सफाई तथा भू-पृष्ठीय नालियों से निकाली गयी धूल या गाद से है;

(य) "अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहक" के अन्तर्गत व्यक्ति, समूह, ऐसे अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद में लगे हों;

(कक) "निष्कालितक" का तात्पर्य ऐसा द्रव से है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है और निष्क्रिय रहता है जिसमें उसमें घुली हुई या स्थगित सामग्री का सत्व है;

(कख) "सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा" का तात्पर्य ऐसी सुविधा से है जहाँ गैर कम्पोस्टीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय या किसी अन्य इकाई या व्यक्ति या अभिकरण, जो उनमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत हो, द्वारा अपशिष्ट के प्रसंस्करण या निपटान हेतु प्रदत्त किये जाने या उठाये जाने से पूर्व अपशिष्ट उत्पादकों, अनौपचारिक पुनः चक्रण करने वाले प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर या उक्त प्रयोजनार्थ नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण द्वारा लगाये गये किसी अन्य कार्यबल द्वारा विभिन्न अपशिष्ट संघटकों से पुनर्चक्रित अपशिष्टों का पृथक्करण करने, छंटाई करने तथा पुनर्प्राप्ति करने को सुगम बनाने के लिये अस्थायी रूप से भण्डारित किया जा सकता है;

(कग) "नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) के अधीन स्थापित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय से है;

(कघ) "जैव अनाशित अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट से है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित नहीं किया जा सकता है;

(कड) "अधिमोगी" में निम्नलिखित सम्मिलित है—

(क) ऐसे किसी प्रयोजन जो भी हो, के लिये किसी भूमि या भवन या उसके आंशिक भाग का अधिमोग करते हुए या अन्यथा रूप में उसका उपयोग करते हुये ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी भूमि या भवन, जिसके सम्बन्ध में किराया संदत्त हो या संदेय हो, का किराया या आंशिक किराया तत्समय स्वामी को संदत्त कर रहा हो या संदाय किये जाने का दायी हो;

(ख) किसी भूमि या भवन का अधिमोगी स्वामी, जो उक्त भूमि या भवन का अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(ग) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त किरायेदार;

(घ) किसी भूमि या भवन का अधिमोगी लाईसेंसधारी, और;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अधिमोग के निमित्त स्वामी को क्षतियों का भुगतान करने के लिये दायी हो;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा की अधिकारिता के भीतर अवस्थित किसी अधिष्ठान/कार्यालय का प्रभारी;

(कच) "प्रचालक" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई से है जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संचालन, संग्रहण, छंटाई, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान की सुविधा को नियंत्रित करता है या प्रचालित करता है और इसमें अपने क्षेत्र में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन हेतु स्थानीय निकाय/नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई अन्य अभिकरण और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य इकाई या अभिकरण सम्मिलित है;

(कछ) "प्राथमिक संग्रहण" का तात्पर्य पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्सर्जन के स्रोत, जिसके स्थल से या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने, उसे उठाने या हटाने से है;

(कज) "प्रसंस्कृत करना" का तात्पर्य ऐसी किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग करने, पुनः चक्रित करने या नवीन उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए प्रसंस्कृत किये जाने हेतु निरूपित किया जाता है;

(कझ) "पुनर्चक्रण" का तात्पर्य पृथक्कृत जैव-अनाशित ठोस अपशिष्ट को ऐसे नये उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पृथक्कृत जैव अनाशित ठोस अपशिष्ट को कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं;

(कञ) "पुनर्विकास" का तात्पर्य जहाँ विद्यमान भवन और अवसंरचनाएं जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं वहाँ उसी स्थल पर पुराने आवासीय या वाणिज्यिक भवनों के पुनर्निर्माण से है;

(कट) "कचरा से व्युत्पन्न ईंधन" का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरोनीकृत पदार्थों से निम्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गुटिकाओं या रोएँ के कप में उत्पादित ज्वलनशील अपशिष्ट प्रभाज से व्युत्पन्न ईंधन से है;

(कठ) "अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट" में ऐसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्राप्त अपशिष्ट और क्षिप्तक सम्मिलित है, जो पुनर्चक्रण या अग्रेतर प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(कड) "सेनेटरी लैंडफिल" का तात्पर्य भू-गर्भ जल, भू-पृष्ठ जल या पलायक वात धूल, वात वाहित कूड़ा-कचरा, दुर्गंध, अग्नि परिसंकट, पशुओं - खतरा, पक्षी खतरा, पीड़क जन्तु, कृतक, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायों से अभिकल्पित सुविधा में भूमि पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट तथा अक्रिय अपशिष्ट के अन्तिम एवं सुरक्षित निपटान से है;

(कढ) "सेनेटरी अपशिष्ट" का तात्पर्य प्रयुक्त डाइपर, सेनेटरी तौलिये या नैपकीन, टैम्पोन, कंडोम, अनावार चादरों और किसी अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बने अपशिष्ट से है;

(कण) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची से है;

(कत) "द्वितीयक भंडारण" का तात्पर्य प्रसंस्करण या निपटान सुविधा स्थल तक अपशिष्ट को आगे परिवहन के लिए द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण डिपों या एमआरएफ या आधानों में संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट के अस्थायी संरोधन से है;

(कथ) "पृथक्करण" का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटनों अर्थात् जैव नाशित अपशिष्ट, जिसके अन्तर्गत कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट जैव अनाशित अपशिष्ट है, जिसमें पुनः-चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-चक्रण योग्य, दाह्य अपशिष्ट, मल अपशिष्ट और गैर-चक्रण योग्य अक्रिय अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट सम्मिलित है, की छंटाई और पृथक भंडारण से है;

(कद) "सेवा-प्रदाता" का तात्पर्य जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि जैसी लोक उपयोगिता की सेवायें प्रदान करने वाले प्राधिकरण से है;

(कध) "ठोस अपशिष्ट" का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय के अधीन उत्सर्जित ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट, मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, भू-पृष्ठ की नालियों से हटाई गयी या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रैंडियों सक्रिय अपशिष्ट से है;

(कन) "छंटाई करना" का तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि जो पुनः चक्रण की सुविधा हेतु उपयुक्त हो, को पृथक करने से है और कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य तथा जोखिम पूर्ण अपशिष्ट को पुनः चक्रण सुविधा की श्रेणी में पृथक करने से है;

(कप) "स्थिरीकरण" का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्टों का ऐसी स्थायी अवस्था में जैवीय अपघटन से है, जहाँ वह कोई निक्षालन या बदबू उत्पन्न न करता हो और कृषि भूमि, भू कटाव नियन्त्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त हो;

(कफ) "पथ विक्रेता" का तात्पर्य किसी पथ, गली, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खड़जा, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, अस्थायी रूप से निर्मित-संरचना से या स्थान-स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, मॉल, सौदा, खाद्य-सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु का विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति से है जिसके अंतर्गत फेरीवाला, ठेलेवाला, खोमचा वाला तथा ऐसे

सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, और अपने व्याकरणिक रूप भेदों सहित शब्द "पथ विक्रय" सम्मिलित हैं;

(कब) "अंतरण स्थल" का तात्पर्य ढके हुए यानों या आधानों में भारी मात्रा में संग्रहण एवं परिवहन कृत सुविधा से अपशिष्ट प्रसंस्करण और या निपटान सुविधा स्थलों तक ले जाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने के लिये सृजित सुविधा स्थल से है;

(कभ) "परिवहन" का तात्पर्य विशेष रूप से अभिकल्पित तथा ढकी हुई परिवहन प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त रीति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपचारित, आंशिक उपचारित या अनुपचारित ठोस अपशिष्ट को ले जाने वाले वाहन से है, जिससे कि बदबू, कूड़ा-कचरा तथा न देखने योग्य स्थितियों और रोगवाहकों, पशुओं तथा पक्षियों तक अधिगम्यता को रोका जा सके;

(कम) "उपचार" का तात्पर्य किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या उसकी संरचना का उपान्तरण करने हेतु अभिकल्पित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया से है जिससे कि नुकसान पहुँचाने की उसकी मात्रा तथा क्षमता को कम किया जा सके;

(कय) "प्रयोक्ता शुल्क" का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने हेतु अपशिष्ट/अपशिष्ट उत्सर्जक पर अधिरोपित शुल्क से है;

(खक) "कृमि कम्पोस्ट बनाना" का तात्पर्य केंचुओं का प्रयोग करते हुए जैव नाशित अपशिष्ट को कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया से है;

(खख) "अपशिष्ट उत्सर्जक" का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को उत्सर्जित करने वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से है और इसमें ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय अधिष्ठान राज्य या केन्द्रीय अधिष्ठान सम्मिलित हैं;

(खग) "अपशिष्ट की क्रमबद्धता" का तात्पर्य ऐसे प्राथमिकता क्रम से है जिस क्रम में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण सर्वाधिक अधिमानित विकल्प और भू-भरण निपटान न्यूनतम अधिमानित विकल्प होगा;

(खघ) "अपशिष्ट उत्पाक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अपशिष्ट उत्सर्जन स्रोत, गलियों, डिब्बों, सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाओं, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से पुनर्प्रयोज्य तथा पुनः चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और उसकी प्राप्ति से पुनः चक्रणों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यमवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लगे हुए हैं;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तदधीन बनायी गयी नियमावली जैसे-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 और ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 आदि में उसके लिये समनुदेशित है।

अध्याय दो

पणधारियों के कर्तव्य

क-पृथक्करण

3-अपशिष्ट उत्सर्जकों के कर्तव्य

(क) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों सहित प्रत्येक अपशिष्ट उत्सर्जक अपने द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट को तीन श्रेणियों अर्थात् जैव नाशित, जैव अनाशित (पुनर्चक्रणीय) और परिसंकटमय (घरेलू या वाणिज्यिक) अपशिष्टों (गैरपुनर्चक्रणीय) में पृथक्कृत करेंगे और यथाचित कचरे के डिब्बों में भंडारित करेंगे और समय-समय पर यथा अधिसूचित निर्देशानुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट उत्पाकों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेंगे;

(ख) उपयोग किये गये मल अपशिष्ट जैसे डायपर्सों और सेनेटरी पैडों आदि को इन उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी थैलियों में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुदेशित उपयुक्त वेष्टन (रेपर) सामग्री में सुरक्षा पूर्वक वेष्टित करेगा और उसे शुष्क अपशिष्ट या जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु तात्पर्यित कचरे के डिब्बे में डालेगा;

(ग) समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, बाजार संघों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डाण स्वयं के परिसर में समुचित स्थलों (आन साइट) पर करना होगा;

(घ) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, जैसा और जब उत्सर्जित हों, निजी परिसर में पृथक रूप से भण्डारित किये जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय उनका निस्तारण, सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार करेगा;

(ङ) परिसरों से उत्सर्जित उद्यान-कृषि अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट, निजी परिसरों में पृथक रूप से भंडारित किये जायेंगे और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय के निदेशों के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे और जैव नाशित कचरे के रूप में भंडारित किये जायेंगे और उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निकटस्थ कम्पोस्टीकरण संयंत्रों में ले जाया जायेगा;

(च) प्रत्येक पथ-विक्रता अपने क्रिया-कलाप के प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट यथा खाद्य अपशिष्ट, अपघटनीय (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, कैंनों, रैपरों, शेष बचे खाद्य पदार्थ, सब्जियों, फलों इत्यादि का भंडारण करने के लिये अपेक्षानुसार दो अथवा तीन पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपों, या पात्र या यान में डालेगा;

(छ) समस्त थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों, आवासीय कल्याण संघों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल वाली संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकाय की भागीदारी में नियमावली में यथा विहित रूप में उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर किये जाने वाले अपशिष्ट पृथक्करण को सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण को पृथक रूप में सुगम बनायेंगे और पुनर्चक्रणीय सामग्री को या तो प्राधिकृत अपशिष्ट उत्पादकगण को या प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपेंगे; जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचारीकरण तथा निस्तारण, कम्पोस्टीकरण या जैव मिथेनीकरण के माध्यम से यथा सम्भव परिसर के भीतर किया जायेगा;

(ज) अपशिष्ट उत्सर्जक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव अनाशित अपशिष्ट यथा पैकेट, खाद्य-पदार्थ के पात्र, डिब्बे, बोतल, टेट्रापैक, पेटियाँ, गत्ते, कागज के कप प्लेट और अन्य निपटान योग्य वस्तुएं साफ किये जायं, सुखाये जायें और तब उन्हें प्रभावी पुनर्चक्रण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय को सौंप दिये जायं;

(झ) अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से प्रसंस्करण सुविधा तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला के किसी व्यक्ति द्वारा ठोस अपशिष्ट के साथ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा औद्योगिक अपशिष्ट का मिश्रण नहीं किया जायेगा;

(ञ) अपशिष्ट अपशिष्ट को अपशिष्ट संग्राहक, अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा निदेशित अभिकरण को दिया जायेगा;

(ट) विक्रेताओं दुकानों वाणिज्यिक अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीत अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2018, के अधीन प्रतिषिद्ध डिस्पोजबल सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए;

4-कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वधशाला अभिहित वधशालाओं/गृहों/बाजारों से भिन्न अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य-

अभिहित वधशालाओं और बाजार से भिन्न ऐसे किसी परिसर, जिसमें किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप कुक्कुट पालन, मत्स्य और वधशाला अपशिष्ट उत्सर्जित होता हो, के प्रत्येक स्वामी/अध्यासी को उसे पृथक रूप से बंद परिपथ में अच्छी स्थिति में भण्डारित करेगा, और इसे दैनिक आधार पर विनिर्दिष्ट समय में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये गये नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान को प्रदान करेगा। ऐसे अपशिष्ट का किसी सामुदायिक कचरा पात्र में जमा किया जाना प्रतिषिद्ध है और जुर्माना अनुसूची (अनुसूची तीन) में यथा सूचित जुर्माना लगाया जायेगा। स्वच्छता एवं सफाई की स्थितियां उपलब्ध कराने के लिये नगरीय स्थानीय निकाय का पदाधिकारी/प्राधिकारी, बाजार परिसर में अधिकतम बाजारों में नागरिक प्रसुविधाओं को ठीक करने/पुनः कायाकल्पित करने हेतु उत्तरदायी होगा;

5-विक्रेताओं/फेरीवालों के कर्तव्य-

समस्त विक्रेता/फेरीवाले, विक्रय स्थल पर ही अपने-अपने जैव नाशित अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट को पृथक-पृथक डिब्बे में रखेंगे। अपशिष्ट उत्सार्जक/विक्रेता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्यक रूप से पृथक्कृत (अलग-अलग) किये हुए अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान में अथवा निकटतम अभिहित सामुदायिक कचरे के डिब्बा में डालेगा। प्रत्येक विक्रेता/फेरीवाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपना आंगन स्वच्छ रखे। यदि स्वामी अथवा विक्रेता नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना, जुर्माना अनुसूची के अनुसार अधिरोपित किया जायेगा;

6-झंझा-जल नालियों/गलियों के सम्बन्ध में कर्तव्य-

(एक) ऐसे परिसर, जिसके पास झंझा-जल नली/गली स्थित हो, का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी, यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि इसमें कोई अपशिष्ट क्षेपित न किया जाय या फेंका न जाय और इसे साफ रख जाय। परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी का कर्तव्य होगा कि वह किसी ठोस अपशिष्ट को पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित स्थानों पर और समयों में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपबंधित किये गये अपशिष्ट संग्रहण यान तक पृथक्कृत करके ले जाय। अधिभोगी परिसर के अन्दर की नालियों/गली को स्वच्छ रखेगा। परिसर के अन्दर की गली में अपशिष्ट के संचय होने की स्थिति में अधिभोगी उसकी सफाई करेगा, अपशिष्ट को पृथक्कृत करेगा और इसे नगरीय स्थानीय निकाय को सौंप देगा या इसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हित स्थल पर परिदत्त कर देगा;

(दो) जहाँ ऐसे परिसर के स्वामी/अधिभोगी भवन की गली की सफाई के लिये नगरीय स्थानीय निकाय की सेवाओं का उपभोग करना चाहें वहाँ उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन करना होगा और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित समुचित प्रमारों का भुगतान करना होगा। स्वामियों/अधिभोगियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे सफाई करने के प्रयोजनार्थ भवन गली तक पहुँचने का उपाय करें;

(तीन) नगरीय स्थानीय निकाय का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह नगर के झंझा जल नालियों/गलियों को अपशिष्ट तथा नलवहन से स्वच्छ रखे;

7-भण्डारा/लंगर आयोजकों के कर्तव्य:-

किसी भण्डारा या लंगर को आयोजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बों का उपबंध करना होगा;

8-सरकार की स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं का उत्तरदायित्व:-

- (1) सरकारी/अर्द्ध सरकारी सांविधिक निकाय, अपने स्वामित्वाधीन या कब्जाधीन लोक परिसर के भीतर इस नियमावली को लागू करने हेतु उत्तरदायी होंगे;
- (2) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग, अधिसूचना द्वारा, किसी भी श्रेणी के उत्सर्जनकर्ताओं से अपने ठोस अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने की अपेक्षा कर सकता है;
- (3) इस नियमावली की किसी बात से उत्सर्जनकर्ता के लिये लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने के किसी उत्सर्जनकर्ता के कर्तव्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) प्राथमिक ठोस अपशिष्ट भण्डारण:

9-ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(क) निजी सम्पत्ति के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी को अपने परिसर में पर्याप्त संख्या में कचरा आधानों को इस रूप में अनुरक्षित करना होगा कि कूड़ा-करकट सार्वजनिक पथ/मार्गों तथा पार्श्वमार्गों से दृष्ट्य न हो और न ही पशुओं के पहुँच में हो;

(ख) थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या किसी व्यक्तिगत उत्सर्जनकर्ता समूह, जिसमें बहु मंजिले भवन, अपार्टमेंट, गली में स्थित गृह, वासगृह, नगर क्षेत्र, होटल, पार्क मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियों या समितियों, दुकानें, कार्यालय, वाणिज्यिक अधिष्ठान, विमानपत्तन, रेलवे, लोक उपयोगिताएं, उद्योग और घरेलू उद्योग आदि सम्मिलित हैं, को अपने परिसर के भीतर प्रत्येक श्रेणी के पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु समुचित आकार, रंग और विशिष्टता के पृथक-पृथक आधानों को उपलब्ध कराना होगा और उन्हें अनुरक्षित करना होगा;

(ग) स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित फेरीवालों, विक्रेताओं, छतरी स्टाल, खाद्य पदार्थ स्टाल तथा खाद्य पदार्थ टूक वालों को अपने-अपने व्यवसाय स्थल पर किसी कूड़ा-कचरा से बचने के लिये शुष्क तथा आर्द्र अपशिष्ट हेतु कम से कम दो आधान उपलब्ध रखना होगा और, अनुरक्षित रखना होगा;

10-विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट भण्डारण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

(क) खाद्य अपशिष्ट की अनुज्ञेय पैकेजिंग द्रव्यों से उन्हें पृथक्कृत किये जाने से पूर्व खाद्य पदार्थों को खाली कर लिया जायेगा। अग्रतर यह कि गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट (जिसमें खाद्य अपशिष्ट सम्मिलित है) का निस्तारण प्रतिषिद्ध प्लास्टिक थैलों में नहीं किया जायेगा और इसका निस्तारण गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट के निस्तारणार्थ विनिर्दिष्ट रूप से विनिर्मित उपयुक्त कूड़ा-कचरा थैलियों/स्तर युक्त थैलियों में किया जायेगा;

(ख) समस्त सेनेटरी अपशिष्ट, जैसा और जब उत्सर्जित किये जायें, सुरक्षित रूप से नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अनुदेशित या ऐसे उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ग्रैण्ड स्वामियों द्वारा उपबंधित किये गये समाचार पत्रों या उपयुक्त लपेटने वाली वस्तुओं या थैलों में विशिष्ट रूप से चिन्हांकित (उदाहरणार्थ लाल 'X' चिन्ह से या डाइपरॉ/नैपकिन हेतु मानकीकृत लेविलों से) किसी सम्भावित रिसाव या बहाव को रोकने हेतु लपेटे, जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित रीति से शुष्क अपशिष्ट हेतु तात्पर्यित आधान में रखे जायेंगे;

(ग) घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में:-

(एक) समस्त घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित पृथक थैलों/आधानों में विहित रूप में भण्डारित तथा लेबिलकृत किये जायेंगे;

(दो) ऐसे समस्त नुकीले अपशिष्ट जो घरेलू परिसंकटमय अपशिष्टों के अंग हों, किसी पृथक नुकीले अपशिष्ट वाले पात्र में भण्डारित किये जायेंगे, जैसाकि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(घ) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संबंध में:-समस्त उत्सर्जनकर्ताओं को सन्निर्माण एवं ध्वस्तीकरण नियम, 2016 के अधीन विहित और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित रीति से अपने परिसर के भीतर पृथक्कृत सन्निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को परिदान एवं संग्रहण हेतु सुविधाजनक अवस्थान पर भण्डारित करना होगा;

(ङ) उद्यान एवं उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट के संबंध में:- ऐसे समस्त अपशिष्ट, उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा अपने-अपने परिसर/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट उद्यान स्थलों/अवस्थानों के भीतर बिखरने के पर्याप्त संरक्षण और नगरीय स्थानीय निकाय या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भण्डारण, परिदान तथा संग्रहण किये जाने की सुविधा सहित बड़े-बड़े थैलों, डिब्बों या ढेरों में भण्डारित किये जायेंगे;

ग-द्वितीयक ठोस अपशिष्ट भण्डारण

11-द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) दहलीजों से संग्रहीत पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट भण्डारण डिपो, सामुदायिक भण्डारण डिब्बों या स्थिर या गतिशील अन्तरण केन्द्रों अथवा नगरीय स्थानीय निकाय और/या द्वितीयक अपशिष्ट भण्डारण अभिकर्ता द्वारा विहित अवस्थानों तक ले जाये जायेंगे।

(2) किसी नियत क्षेत्र में अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा तथा जनसंख्या घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये भण्डारण सुविधाएं सृजित एवं स्थापित की जायेंगी। ऐसे द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर विनिर्दिष्ट रंगों के ढके हुये पात्र निम्नलिखित के पृथक-पृथक भण्डारण के लिये होंगे-

क- जैव नाशित या आर्द्र अपशिष्ट

ख- जैव अनाशित या शुष्क अपशिष्ट

ग- घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट

(3) जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र/सामग्री पुनर्प्रति सुविधायें/पुनर्चक्रण केन्द्र-

क-पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट की छंटाई को विनियमित करने तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से नगरीय स्थानीय निकाय को उतने शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों/एम0आर0एफ0 या पुनर्चक्रण केन्द्रों का उपबंध करना होगा जैसा कि सम्भव एवं अपेक्षित हो। पथ/द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली से और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से शुष्क (जैव अनाशित) अपशिष्ट, इन अभिहित केन्द्रों तक अन्तरित किये जायेंगे। इन अभिहित केन्द्रों को केवल शुष्क अपशिष्ट ग्रहण करना होगा। ऐसे केन्द्र चहारदीवारी/बंद स्थान में इस रूप में होंगे कि अपशिष्ट निकट से गुजरने वाले लोगों को दृष्ट्य न हो।

ख-इन शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों को रजिस्ट्रीकृत/लाईसेंस प्राप्त पुनर्चक्रणकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त किन्हीं अन्य अभिकर्ताओं द्वारा व्यक्ति उपलब्ध कराये जायेंगे या उनका संचालन किया जायेगा।

ग-परिवारों के लिये यह भी उपबंध होगा कि वे अपना पुनर्चक्रणीय शुष्क अपशिष्ट सीधे नगरीय स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को इन पुनर्चक्रण केन्द्रों पर पूर्व अधिसूचित दरों पर जमा करें या विक्रीत करें। प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को द्वितीयक बाजार या पुनर्चक्रण इकाईयों को एस0डब्ल्यू0एम0 नियमावली के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रण अपशिष्ट का निस्तारण या विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) विनिर्दिष्ट घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट जमा केन्द्र-

क-घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का संग्रहण करने हेतु विनिर्दिष्ट घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अयस्थानों पर निक्षेप केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। ऐसे सुविधा स्थलों का, सीधे परिसंकटमय अपशिष्ट को निक्षेपित करने हेतु जनता को तत्संबंध में जागरूक करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता समस्त अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं से पृथक्कृत रीति से घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहीत कर सकता है;

ख-ऐसे अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा स्थल तक पृथक् रूप से परिवहनकृत किये जायेंगे;

ग-मल अपशिष्ट, द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों और/या निक्षेप केन्द्रों पर घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट से पृथक्कृत किये जायेंगे और भस्मीरण के माध्यम से प्रसंस्कृत किये जायेंगे;

(5) द्वितीय भण्डारण सुविधा स्थलों की विशिष्टतायें-

क-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता या पूर्ण वाह्य स्रोतित अभिकरण, ठोस अपशिष्ट भण्डारण सुविधा स्थलों को इस रीति से अनुरक्षित करेंगे कि उससे उसके चारों ओर अस्वास्थ्यकर तथा अस्वच्छ स्थिति उत्पन्न न हो;

ख-भण्डारण सुविधा स्थल सामूहिक प्रयोक्ता के रूप में होंगे और वे इस प्रकार अभिकल्पित किये जायेंगे कि अपशिष्ट की समग्रता को सुनिश्चित किया जा सके और यह कि भण्डारित अपशिष्ट खुले वातावरण में परिलक्षित न हो;

ग-द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थल, जनसंख्या घनत्व और क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के अनुसार नियत क्षेत्र या वार्ड में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्राओं को दृष्टिगत रखते हुए सृजित और स्थापित किये जायेंगे;

अध्याय-तीन

क-ठोस अपशिष्ट संग्रहण और परिदान (डिलीवरी)

12-शुष्क तथा आर्द्र अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिदान (डिलीवरी) निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) द्वार-द्वार संग्रहण के मामले में-अधिसूचित समयों पर नगरीय स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर द्वार-द्वार पृथक्कृत आर्द्र (गीला) तथा शुष्क अपशिष्ट संग्रहण, यथा स्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय/या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा लागू किया जायेगा और अधिसूचित किया जायेगा;

(2) स्थल-स्थल पर संग्रहण के मामले में- यदि द्वार-द्वार तक सेवायें विनिर्दिष्ट अवधि तक नहीं प्रदान की जा सकती हैं अथवा सेवायें किसी अन्य अदृश्य कारण से नहीं प्रदान की जा सकती हैं अथवा जबतक द्वार-द्वार तक सेवायें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं तब तक नगरीय स्थानीय निकाय वास्तविक क्षेपण स्थलों के रूपमें प्रयुक्त किये जा चुके अवस्थानों सहित अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक वार्ड में

बहु अवस्थानों को अधिसूचित कर सकता है और वहाँ पर विस्तृत सुसंघत डिब्बे प्रतिष्ठापित कर सकता है जहाँ नागारिक अपना-अपना पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट जमा कर सकते हैं। संग्रहण स्थल बिन्दुओं पर प्रतिदिन अपशिष्ट की सफाई की जायेगी। उक्त स्थल के चारों ओर के क्षेत्रों की भी सफाई की जायेगी जहाँ डिब्बे या पात्र या संहृतकर्ता पात्र रखे जाते हैं;

(3) स्वस्थाने (ऑन साइट) प्रसंस्करण इकाइयों से अवशिष्ट अपशिष्ट के संग्रहण के मामले में-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण स्वस्थाने (आन साइट) अपशिष्ट प्रसंस्करण कर्ता इकाइयों/स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची नियत करेगा और संग्रहण हेतु समय बिन्दुओं को उस क्षेत्र के प्रमुख भागों में और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय के वेबसाइट/जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर प्रकाशित करायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय ऐसी समस्त इकाइयों/स्थानों की अद्यतन सूची अनुरक्षित करेगा जो स्वस्थाने (आन साइट) ऐसे अपशिष्ट प्रसंस्कृत करते हैं जो ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक होते हैं यथा होटल, रेस्टोरेन्ट, कार्यालय परिसर, शैक्षिक संस्थायें, विवाहगृह, जैव अनाशित अपशिष्ट उत्सर्जक चिकित्सालय और वेबसाइट पर उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर के वाणिज्यिक क्षेत्र;

(4) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण के मामले में- ऐसी स्थिति में जब प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित हो रहा हो तब नगरीय स्थानीय निकायों/या अभिकर्ताओं को थोक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये ऐसी पृथक संग्रहण प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसमें अपशिष्ट संग्रहण हेतु पृथक परिवहन/संग्रहण वाहन सम्मिलित होंगे;

(5) थोक अपशिष्ट के मामले में-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता माह में एक दिन द्वार-द्वार थोक अपशिष्ट संग्रहण के लिये विनिर्दिष्ट करेगा और उस क्षेत्र के प्रमुख भागों में और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय की वेबसाइट/जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर संग्रहण हेतु समय बिन्दुओं को प्रकाशित करेगा;

ख-विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों का संग्रहण तथा परिदान (डिलीवरी)

13-विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों के संग्रहण और परिदान (डिलीवरी) निम्नानुसार है;

(क) परिसंकटमय (वाणिज्यिक/घरेलू) अपशिष्ट : ऐसा अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित निक्षेप केन्द्रों पर उत्सर्जकों द्वारा जमा किया जायेगा अथवा इसे अधिसूचित संग्रहण प्रणाली को प्रतिदिन परिदत्त किया जायेगा या उसके द्वारा संग्रहीत किया जायेगा, जहाँ संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक आधान हो, अथवा यदि संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक आधान न हो तो नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस क्षेत्र के नागरिकों के लिये ऐसे विनिर्दिष्ट दिवस अधिसूचित किये जायें जब ऐसे अपशिष्ट संग्रहीत किये जायें;

(ख) ई-अपशिष्ट : उत्सर्जकों को, संग्रहण केन्द्र/व्यवहारी या उत्पादक/विध्वंसकर्ता/ ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से अथवा उत्पादक के अभिहित वापसी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राधिकृत विध्वंसकर्ता या ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के लिये ई-अपशिष्ट श्रृंखलाकरण सुनिश्चित करना होगा;

(ग) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट : उत्सर्जनकर्ता, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निदेशित किया जाये या अधिसूचित किया जाय, उत्सर्जित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण तथा परिदान (डिलीवरी) के लिये उत्तरदायी होंगे;

(घ) थोक उद्यान या उद्यान कृषि अपशिष्ट : उत्सर्जनकर्ता थोक उद्यान और उद्यान कृषि अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिदान (डिलीवरी) तथा प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निदेशित या अधिसूचित किया जाये;

(ङ) अन्य अपशिष्ट : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, शव-द्रव बहिःस्राव, बैटरी अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय के ऐसे अन्य अपशिष्ट, जिनके लिये नगरीय स्थानीय निकाय ने पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो, अधिसूचित आर्द्र (गीले) और शुष्क अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को नहीं परिदत्त, किये जायेंगे या उसके द्वारा संग्रहीत नहीं किये जायेंगे और उन्हें उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा समुचित फीस दिये जाने या जैसा कि इस नियमावली में विहित किया जाय। उक्तानुसार फीस का संदाय किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसे अपशिष्टों के संग्राहकों या अभिकरणों को परिदत्त किया जायेगा;

(च) फेरीकर्ताओं, विक्रेताओं, छतरी स्टालों, खाद्य स्टालों तथा खाद्यान्न ट्रकों, जो अपने कारोबार स्थल पर कूड़ा-कचरा डिब्बों को अनुरक्षित करते हुये स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित हों, को पृथक्कृत अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी), संग्रहण स्थलों, सामूहिक डिब्बों, सामूहिक पात्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा इस निमित्त अधिसूचित अपशिष्ट संग्राहकों/वाहन तक सुनिश्चित करना होगा;

14-प्रकाशन व घोषणा के उपबंध: -

(1) क्षेत्र या वार्ड वार विनिर्दिष्ट समय बिन्दु, जिनमें विभिन्न श्रेणी के ठोस अपशिष्टों के लिये सप्ताह का सुसंगत दिवस सम्मिलित है, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे और उन्हें उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर और साथ ही साथ जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट/यथास्थिति नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा. सामान्यतः द्वार-द्वार कूड़ा-कचरा संग्रहण का समय प्रातः 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक निर्धारित किया जायेगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों या किन्हीं अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय पृथक-पृथक समय बिन्दु अधिसूचित कर सकता है;

(2) संग्रहण हेतु ठहराव के स्थल सहित मार्ग मानचित्र, आरम्भिक समय एवं समापन समय और अन्य सुसंगत विवरण समय-सारिणी के साथ-साथ प्रकाशित किये जायेंगे;

(3) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जक को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी) सार्वजनिक मार्ग या सामूहिक डिब्बा, जैसा कि विहित किया जाय या अधिसूचित किया जाय, से प्राथमिक संग्रहण केन्द्र अर्थात् दहलीज/द्वार/प्रवेश बिन्दु तक सुनिश्चित करना होगा;

(4) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जक को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी) सामूहिक आधानों में अथवा सीधे अपशिष्ट संग्राहकों/वाहनों जैसा कि विहित या अधिसूचित किया जाय, को करने के लिये सुनिश्चित करना होगा;

(5) अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों के अन्तर्गत स्वचालित आवाज अभिलेखन युक्ति, घंटी, हार्न, अपशिष्ट संग्राहकों द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कूड़ा-कचरा संग्रहण यान में लगाये जायेंगे। संकीर्ण तथा संघनित गलियों में तथा पथों पर अपशिष्ट संग्राहक/चालक/सहायक को सीटी का उपयोग करना होगा और ऐसी गलियों तथा पथों से चलना होगा जिससे कि वह आगमन की घोषणा कर सके और संग्रहण को सुनिश्चित कर सके;

15-संग्रहण एवं परिदान (डिलीवरी) हेतु अन्य कार्यवाही:-

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, सन्निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट, उद्यान या उद्यान कृषि थोक अपशिष्ट, पथ सफाई अपशिष्ट, कूड़ा-कचरा अपशिष्ट और मृत पशुओं (पालतू पशुओं और बड़े पशुओं) हेतु पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणालियां प्रतिष्ठापित की जाय, जैसा-कि नगरीय स्थानीय निकाय हेतु लागू केन्द्र सरकार के सम्बन्धित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन आवश्यक हों;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय विशिष्ट श्रेणी के उत्सर्जकों यथा होटलों तथा आहारगृहों, वध शालाओं, दुग्धशालाओं आदि अथवा विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट यथा ई-अपशिष्ट आदि के लिये पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित करेगा;

(3) कोई अपशिष्ट, संग्रहण के दौरान इस रीति से नहीं सीपा जायेगा जिससे अपशिष्ट उत्सर्जक या अपशिष्ट संग्राहक या सामान्य जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाय अथवा यातायात के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये या पर्यावरण के लिये क्षतिकारक हो जाय या उपताप सृजित करे/बदबू उत्पन्न हो या फलस्वरूप कूड़ा-कचरा उत्पन्न हो जाय;

(4) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहण किये गये पृथक्कृत जैव नाशित अपशिष्ट, आवृत्त करके प्रसंस्करण संयंत्रों यथा कम्पोस्ट संयंत्र, जैव मिथेनीकरण संयंत्रों या ऐसे किन्हीं अन्य सुविधा वाले स्थानों तक अन्तरित किये जायेंगे;

(5) संग्रहण किये गये जैव अनाशित अपशिष्ट सम्बन्धित प्रसंस्करण सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण हेतु सृजित द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों तक परिवहन कृत किये जायेंगे;

अध्याय-चार

ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन

16-ठोस अपशिष्ट संग्रहण तथा परिवहन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(क) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को वाहन अभिनियोजन योजना इस रीति से तैयार करनी होगी कि पृथक्कृत शुष्क अपशिष्ट, आर्द्र (गीले) अपशिष्ट और परिसंकटमय अपशिष्ट परिवहन किये जाने के दौरान अंतर्मिश्रित न हो जाय;

(ख) जहाँ तक सम्भव हो नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट संग्रहित करने और क्षेपित करने हेतु स्वचालित तंत्रों का उपयोग करने वाले स्वचालित अपशिष्ट संग्रहण वाहन उपलब्ध कराना होगा जिससे कि अन्तर्वस्तुओं को हाथ से उठाने तथा क्षेपित करने की आवश्यकता न हो। प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन वाहन का अभिकल्प इस रूप में होगा कि ठोस अपशिष्ट को अन्तिम प्रसंस्करण/निस्तारण स्थल तक पहुँचाने में भूमि पर एकत्रित न हो और इस प्रकार आवर्ती अपशिष्ट हस्त संचालन से बचा जा सके;

(ग) अपशिष्ट परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन इस रीति से आवृत्त किये जायेंगे कि परिवहन किये जाने के दौरान संग्रहीत अपशिष्ट खुले वातावरण में दृष्ट्य न हो या जनता के लिये दृष्ट्य न हो या मार्ग में न बिखरे। उक्त वाहनों में ऐसे संहतकर्ता तथा गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) भी सम्मिलित हो सकते हैं जो नगरीय स्थानीय निकाय की प्रौद्योगिकी के अपनाए विकल्प पर आधारित होंगे;

(घ) नगरीय स्थानीय निकाय प्रत्येक चिन्हित वार्ड के लिये आवंटित अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या निर्धारित करेगा। अपशिष्ट उत्सर्जकों की संख्या से अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या के अनुपात की संगणना प्रत्येक छः माह में और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाने वाले सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी;

(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर समर्पित गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) या नियत संहतकर्ता अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) को अभिनियोजित किये जाने की संभाव्यता, अनुमोदित मार्ग योजनाओं के अनुसार परिवारों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से पथ स्तर पर और द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण में संलग्न स्वतः उतारने वाले वाहनों, थ्री हवीलरों और रिक्शों, आदि से अपशिष्ट प्राप्त करने हेतु विनिर्दिष्ट अवस्थानों पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। गतिशील अंतरण केन्द्र और नियत संहतकर्ता अंतरण केन्द्र के अभिकल्प से न्यूनतम समय लेकर तथा अपशिष्ट को बिखरे बिना प्राथमिक संग्रहण वाहनों से अपशिष्ट उतारे जायेंगे। ऐसे नगर निगमों में जहाँ के वार्ड आकार में बड़े हो और उस वार्ड के क्षेत्र के भीतर प्रतिदिन दस से अधिक मीट्रिकटन अपशिष्ट उत्सर्जन होता हो वहाँ नगर निगम वार्ड में द्वितीयक संग्रहण हेतु एक संहतकर्ता उपलब्ध करा सकता है;

(च) संग्रहण और परिवहन उपकरणों तथा यानों के चयन हेतु प्रौद्योगिकी में परिवर्तनशील आवश्यकताओं और उसकी अभिवृद्धियों पर विचार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट संग्रहण हेतु अभिनियोजित किये गये समस्त वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली/जी0पी0एस0 प्रतिष्ठापित की जायेगी।

अध्याय-5

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

17-जैव नाशित अपशिष्ट या आर्द्र अपशिष्ट का प्रसंस्करण:-

(1) परिवहन/संग्रहण लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण यथा कम्पोस्टीकरण, जैव मिथेनीकरण, सूक्ष्मजीवी कम्पोस्टीकरण, कृमि कम्पोस्टीकरण, अवायवीय संग्रहण

या जैव नाशित अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण हेतु किसी अन्य समुचित प्रसंस्करण के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा। जहां कहीं प्रयोज्य हो, जैव नाशित अपशिष्ट हेतु ऐसे अपशिष्ट का स्वस्थाने प्रसंस्करण किये जाने के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय को यह प्रवर्तित करना होगा कि जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण किये जाने के दौरान सब्जियों, फलों, फूलों, मीस, कुक्कुट और मत्स्य का लेन-देन करने वाले बाजारों के अपशिष्ट से स्वस्थ स्थितियां सुनिश्चित रहें;

(3) स्वस्थाने (ऑनसाइट) प्रसंस्करण जैव नाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को इस नियमावली की अधिसूचना के 90 दिन के भीतर नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/ अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपना-अपना आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित और अनुरक्षित करना होगा;

(4) नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार नीचे सारणी में उल्लिखित अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये अपना-अपना आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित करना तथा उन्हें अनुरक्षित रखना अनिवार्य होगा;

सारणी

क्र० सं०	उत्सर्जक के प्रकार	उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा
1	होटल, रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालय	प्रतिदिन 100 किग्रा० से अधिक अपशिष्ट उत्सर्जक होटल या समस्त तीन स्टार और उच्चतर श्रेणी के होटल।
2	मैरिज हॉल, व्यापार मेला, प्रीतिमोज स्थल, सामुदायिक हाल, क्लब	प्रतिदिन 100 किग्रा० से अधिक या समारोहों के दौरान।
3	वधशालायें, चिकन, मछली और मटन की दुकानें	प्रतिदिन 50 किग्रा० से अधिक (या तो एकल प्रतिष्ठान से या एकल स्वामित्वाधीन बहु प्रतिष्ठानों से)
4	चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थायें	20 शैय्याओं से अधिक का संचालन या प्रतिदिन 100 कि०ग्राम से अधिक आर्द्र अपशिष्ट का उत्सर्जन।
5	औद्योगिक क्षेत्र	प्रतिदिन 50 किग्रा० से अधिक का उत्सर्जन
6	निजी उद्यान/सार्वजनिक पार्क	प्रतिदिन 50 किग्रा० से अधिक उद्यान उपशिष्ट
7	दुग्धशालायें और पशुशालायें	समस्त दुग्धशालायें और पशुशालायें
8	5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के समस्त द्वार बंद समूह और संस्थायें	परिसर के भीतर उत्सर्जित समस्त अपशिष्ट।

(5) जहाँ ऐसे उत्सर्जक भूमि की कमी के कारण ऐसे सुविधा केन्द्र स्थापित करने की स्थिति में न हों वहाँ वे जैव नाशित अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण को परिदत्त कर सकते हैं, उत्सर्जकों द्वारा उत्सर्जित एवं परिदत्त अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर प्रयोज्य और अतिरिक्त प्रयोक्ता फीस का संदाय किया जाएगा;

(6) नगर आयुक्त/कार्यपालक अधिकारी अपने विवेक से आवश्यक रूप में प्रसंस्करणीय जैव नाशित अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर के किसी अन्य श्रेणी के उत्सर्जकों को दे सकता है;

(7) नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर जाँच और निरीक्षण करेगा कि ऐसी स्थलीय प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाये, संचालित किये जायं और वे इस निमित्त निर्धारित किन्हीं मानकों के अनुसार उत्सर्जक द्वारा जनित सम्पूर्ण आर्द्र (गीले) अपशिष्ट को

प्रसंस्कृत करें। मानकों को स्थापित करने, समुचित रूप से संचालित करने या अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण से सम्बन्धित किन्हीं प्रोत्साहनों को विखण्डित और प्रत्युद्धृत कर दिया जायेगा और नगरीय स्थानीय निकाय यथा विहित प्रशासनिक शुल्क और प्रशमन शुल्क ऐसे समय तक के लिये अधिरोपित करेगा जब तक कि आर्द्र (गीले)-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित नहीं हो जाते हैं और उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है;

(8) नगरीय स्थानीय निकाय निम्नानुसार अधिसूचित करेगा और उन्हें नियमित रूप से अद्यतनकृत करेगा:-

(क) समस्त उत्सर्जकों के लिये बाध्यकारी स्वरूप (आनसाइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रसंस्करण (निर्माण, संचालन, प्रबन्धन, अवशेष एवं उत्पाद सहित) की गुणवत्ता के मानक, और भवन योजनायें तथा अनुज्ञा ऐसे मानकों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन होंगे;

(ख) इस नियमावली के सरलीकरण और क्रियान्वयन के लिये, बाजार में उपलब्ध विभिन्न पर्यावरण, परिचालन, और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुये स्वस्थाने (आनसाइट) आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये अनुमोदित प्रौद्योगिकियां और विस्तृत अभिकल्प से भिन्न कराया जाएगा, परन्तु यह कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसी किसी भी प्रौद्योगिकी या विक्रेता को अपनाया जाना, उत्सर्जकों के लिये अनिवार्य नहीं होगा;

(9) अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा केन्द्र या थोक कम्पोस्ट अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा;

(10) नगरीय स्थानीय निकाय को दो वर्ष में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा और स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित समस्त पाकों, उद्यानों, में और उसकी अधिकारिता के अधीन जहाँ कहीं सम्भव हो, अन्य स्थानों पर कम्पोस्ट खाद का उपयोग किया जाएगा।

(11) नगरीय स्थानीय निकाय प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करने, अपशिष्ट उत्पादकों को लगाये जाने तथा उन्हें संयोजित किये जाने, जागरूक किये जाने, अभियान चलाये जाने, उत्सर्जकों को शिक्षित किये जाने या कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण को सरलीकृत करेगा;

(12) नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट प्रबंधन में जन समुदायों को सम्मिलित करना होगा और सुविधा केन्द्र के चारों ओर बदबू को नियंत्रित करने और स्वास्थ्यप्रद स्थितियाँ बनाये रखने के अध्यक्षीन घरेलू कम्पोस्टीकरण, जैव गैस उत्सर्जन और विकेन्द्रीयकृत सामुदायिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना होगा;

(13) संस्थागत कम्पोस्ट वितरण प्रबंध;

(क) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग को उत्सर्जित कम्पोस्ट और उसका कृषकों और कम्पनियों आदि को वितरण के लिये विभिन्न दर अनुसूची के लिये तंत्र स्थापित करने हेतु उर्वरकों के वितरण करने वाले सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय करना होगा;

(ख) कम्पोस्ट विनिर्माणकर्ता अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र, समुचित गुणवत्ता परक जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता यथा विनिश्चित ऐसा भिन्न कम्पोस्ट, उर्वरक का वितरण करने वाले सम्बन्धित विभागों से समय-समय पर परामर्श करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग द्वारा यथा निर्धारित रियायती दरों पर समीपवर्ती क्षेत्रों के कृषकों को प्रदान करेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि रियायती दरों पर कम्पोस्ट उपलब्ध कराये जाने की जानकारी क्षेत्र के कृषकों तक सहज रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(14) स्वस्थाने (आनसाइट) /स्थलीय आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाकेन्द्रों का विनिर्दिष्टीकरण -

(क) सुविधाकेन्द्र केवल पृथककृत आर्द्र (गीले) अपशिष्ट को ग्रहण करेंगे, भण्डारित करेंगे और उपचारित करेंगे;

(ख) सुविधाकेन्द्रों के उत्सर्जकों से संग्रहीत किये जाने वाले मिश्रित ठोस अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण स्थल पर एक पृथक रिक्त स्थान रखना होगा;

(ग) समस्त अवशिष्ट आर्द्र (गीले) अपशिष्ट, कूड़ा कचरा करने, छितराने, बिखेरने, जनसामान्य को उपतापित करने, दुर्गन्धयुक्त होने आदि से सुरक्षित तथा रक्षोपायकृत बंद पात्रों में अधिसूचित संग्रहण परिदान (डिलवरी) प्रणाली के अधिहित स्थान पर अस्थायी रूप से भण्डारित किये जायेंगे;

(घ) सुविधाकेन्द्रों पर यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त अवसरचनाएं तथा उपयोगी सेवायें होंगी कि कोई अस्वच्छ तथा अस्वास्थ्यकर स्थितियां न हों तथा जनता और सुविधा केन्द्र संचालित करने वाले कर्मकारों को कोई उपताप न हो।

(ङ) समस्त सुविधा केन्द्रों को प्राप्त आर्द्र (गीले) अपशिष्ट और कूड़ा-करकट एवं अवशिष्ट को रूपांतरित करने हेतु जनित उत्पाद (कम्पोस्ट/गैस) की गुणवत्ता तथा मात्रा और अप्रसंस्कृत अपशिष्ट के परिमाण का अनुश्रवण करने के समुचित उपाय करने होंगे।

18-जैव अनाशित अपशिष्ट या शुष्क अपशिष्ट का प्रसंस्करण-

(1) जैव अनाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को अपना-अपना स्वयं का सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र (अर्थात् छंटाई शेड) स्थापित करना होगा और अनुरक्षित करना होगा या अवशिष्ट अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किन्हीं शर्तों के अनुसार अपशिष्ट संग्राहकों या अभिकरण को देना होगा;

(2) विद्यमान सुविधाकेन्द्रों का एकीकरण-

(क) नगरीय स्थानीय निकाय रजिस्ट्रीकृत अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों द्वारा संचालित विद्यमान अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहण/एकत्रीकरण/व्यापारिक सुविधा केन्द्रों को एतदधीन ऐसे सुविधा केन्द्रों से संबंधित उपबंधों, मानकों तथा विनिर्देशों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के रूप में रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत करने का प्रयास करेगा;

(ख) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को घरेलू वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट निक्षेप केन्द्रों के रूप में अभिहित करने का प्रयास करेगा, परन्तु यह कि ऐसी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के भीतर एक पृथक्कृत सुरक्षित भण्डारण क्षेत्र उपबंधित किया जाय और ऐसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों में प्रबंधरत/संचालन रत/कार्यरत अपशिष्ट उत्पादकों/संग्रहण अभिकरणों को ऐसे अपशिष्ट को सुरक्षापूर्वक संभालने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संभालने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण दिये जायें;

(3) समस्त सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के प्राधिकृत आपरेटरों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा;

(क) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को पृथक्कृत जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट को ही ग्रहण करना होगा;

(ख) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र कोई मिश्रित अपशिष्ट, जैव नाशित अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट आदि को तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जबतक इस नियमावली और अन्य लागू नियमावली के अधीन उपबंधों, मानकों और विनिर्दिष्टीकरणों के अनुसार ऐसी श्रेणियों के अपशिष्ट के लिये, पृथक-पृथक पर्याप्त सुविधा केन्द्रों का उपबंध करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अधिसूचित न किया जायें;

(ग) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के पास तदनिमित्त पर्याप्त स्थल और सुविधायें होंगी :-

(एक) संग्रहण वाहनों/अपशिष्ट संग्राहकों/अभिकर्ताओं से शुष्क अपशिष्ट ग्रहण किया जाना;

(दो) शुष्क अपशिष्ट की छंटाई, गट्टरकरण और अस्थाई भंडारण किया जाना;

(तीन) अक्रिय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर-पुनर्प्रयोज्य अपशिष्ट का अस्थायी भंडारण करने के लिये और अन्य श्रेणी के अपशिष्टों, जिनके लिये सुविधायें उपबंधित की गयी हों के लिये समुचित और पृथक-पृथक पात्रों का उपबंध किया जाना;

(चार) अक्रिय, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर पुनर्प्रयोज्य शुष्क अपशिष्ट और अन्य श्रेणियों के अपशिष्ट, जिनके लिये सुविधाएँ उपबंधित की गई हों, के द्वितीयक संग्रहण के लिये अंतरण किया जाना;

(घ) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के पास सुगम कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने और अस्वास्थ्यकर स्थितियों से बचने की पर्याप्त सुविधाएँ होंगी;

(ड) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों, विशिष्ट रूप से ऐसे खंडों, जहां घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता हो, की सफाई/विराकरण और स्वच्छता सहित सुविधा के अन्तर्गत जनसामान्य या अपशिष्ट उत्पादकों/कर्मकारों के प्रति उपताप किया जाना;

(घ) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र समुचित रूप में संलग्न रिक्त स्थान का उपबंध इस रीति से करते हुए चिह्नित परिसरों के भीतर निर्मित किये जायेंगे जिससे कि आवारा पशुओं या पक्षियों द्वारा अपशिष्ट को बिखरे जाने से रोका जा सके और वहां पर रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट उत्पादकों/प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित रूप से किया जाए;

(ङ) अपशिष्ट उत्पादकों, अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों या किसी सामग्री प्राप्त सुविधा केन्द्र के आपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त पुनर्चक्रीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण धारा में डाल दिये जायें और यह कि केवल अक्रिय, गैर पुनर्चक्रीय, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय तथा गैर पुनर्प्रयोज्य अपशिष्ट उक्त सुविधा से अस्वीकृत किये जायें और अग्रतर प्रसंस्करण या निपटान हेतु द्वितीयक संग्रहण प्रणाली को अंतरित कर दिये जायें;

19-जैव-अनाशित पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :

जैव-अनाशित पुनर्चक्रीय अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों/सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों पर और तत्पश्चात् प्राधिकृत पुनर्चक्रण इकाइयों तक प्रेषित किये जायेंगे। यथा संभाव्य रूप में नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकायों और/या अभिकर्ताओं द्वारा सीधे प्राधिकृत पुनर्चक्रण इकाइयों तक प्रेषित किये जाने हेतु पृथक्कृत जैव अनाशित पुनर्चक्रीय अपशिष्टों के लिये संस्थागत तंत्र सृजित करना होगा।

20-जैव-अनाशित गैर-पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :-

(1) इस नियमावली के अनुसार गैर पुनर्चक्रीय जैव अनाशित अपशिष्ट, जिनका कैलोरिक मूल्य 1500 किलो कैलोरी/किलो ग्राम से अधिक हो, ऐसे अपशिष्ट होंगे, जो ऊर्जा प्रसंस्करण, जिसमें दाह्य अपशिष्ट अंश हेतु अग्रहीत व्युत्पन्न ईंधन सम्मिलित है, हेतु अथवा ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों या सीमेंट भट्टों के लिये पोषक स्टॉक के रूप में आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किये जायेंगे;

(2) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के एक वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मासिक और अन्य सेनेटरी अपशिष्टों का निस्तारण और प्रसंस्करण, भस्मीकरण के माध्यम से किया जाय।

21-परिसंकटमय (घरेलू और वाणिज्यिक) अपशिष्टों का प्रसंस्करण :-

परिवारों, थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं, वाणिज्यिक अधिष्ठानों और/या उद्योगों से संग्रहीत किये गये परिसंकटमय अपशिष्ट, टीएसडीएफ (उपचार अपशिष्ट भंडारण निपटान सुविधा केन्द्र), भस्मीकरण के माध्यम से और/या नगरीय स्थानीय निकाय अथवा नगर विकास विभाग द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य उपयुक्त रीति से प्रसंस्कृत किये जायेंगे।

22-निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण :-

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार प्रसंस्कृत किये जायेंगे और ये समुचित प्रसंस्करण संयंत्रों, सेनेटरी लैंडफिल और/या अन्य अभिहित अवस्थानों तक परिवहनकृत किये जायेंगे।

23-वधशाला अपशिष्टों का प्रसंस्करण :-

वधशालाओं, कुक्कुट पालन स्थलों और मत्स्य बाजारों से उत्सर्जित अपशिष्ट विरूपण, कम्पोस्टीकरण, जैव मीथेनीकरण, नियंत्रित भस्मीकरण और दाह-संस्कार स्थल, जहां निर्धारित वैज्ञानिक मानकों का अनुश्रवण किया जाता हो, के माध्यम से प्रसंस्कृत या निस्तारित किये जायेंगे।

24-ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा उपचार और अपशिष्ट भराई स्थलों के मानक :-

यह सुनिश्चित करना नगरीय स्थानीय निकाय का कर्तव्य होगा कि समस्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र और अपशिष्ट भराई स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन विहित उपबंधों और मानकों और इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अभिकल्पित और अनुरक्षित किये जायें, यदि वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण किये जाना, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय के स्तर पर संभव न हो तो उस दशा में वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण की व्यवस्थाएँ परिक्षेत्रीय या राज्य स्तर पर की जा सकती हैं। इस नियमावली के अधीन संग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों का प्रयोग ऐसी राज्य स्तरीय परियोजनाओं के निधिकरण और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके संचालन और अनुरक्षण लागत के लिये भी किया जा सकेगा।

अध्याय-छः

नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य बाध्यकारी कर्तव्य

25-बाध्यकारी कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय :-

(क) नागरिकों को समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त अवसरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध करायेगा जिससे कि वे इस नियमावली के उपबंधों का अनुपालन कर सकें। अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं के अतिरिक्त स्थानीय नागरिकों के परामर्श से कूड़ा-कचरा के डिब्बे, शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र और कम्पोस्टीकरण केन्द्र, जहाँ कहीं संभव और आवश्यक होंगे, स्थापित किये जायेंगे;

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बहुधा अपेक्षित रूप में स्रोत पर संग्रहण या स्थल संग्रहण किये जाने का उपबंध किये जाने तक नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं या किसी अभिकर्ता के माध्यम से अन्तरिम व्यवस्था के रूप में यथा अवधारित सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सामूहिक डिब्बे उपलब्ध कराये जायेंगे और अनुरक्षित किये जायेंगे। पृथक्कृत अपशिष्ट संबंधित उत्सर्जकों द्वारा ऐसे सामुदायिक डिब्बों से परिदत्त किये जायेंगे और तत्पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संग्रहीत किये जायेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को इन सामुदायिक डिब्बों से लोक उपताप या स्वास्थ्यगत संकटों से बचाव और पृथक्करण का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक सामुदायिक डिब्बा जैव नाशित और जैव अनाशित अपशिष्ट के लिये पृथक्कृत रखा जायेगा। समस्त ऐसे स्थानों के विवरण, जिनमें ऐसे स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्थायें और अपशिष्ट संग्रहण अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं, नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यालय के सूचना पट्ट और जिला एन.आई.सी. के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय सामुदायिक डिब्बे अधिप्रवाहित (ओवरफ्लो) न हों या खुले वातावरण में उपदर्शित न हों जिससे कि कूड़ा बिनने वालों द्वारा उसके अपशिष्ट के बिखरे जाने को रोका जा सके;

(ग) कम्पोस्टीकरण केन्द्रों और शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों के माध्यम से शुष्क अपशिष्ट के कम्पोस्टीकरण और पुनर्चक्रण के सम्बंध में सूचना की सुविधा उन्हें जिला एन.आई.सी. के वेबसाइट पर सूचीबद्ध करके प्रदान करेगा;

(घ) अपशिष्ट उत्पापक/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करेगा और द्वार द्वार अपशिष्ट संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहभागिता को सुगम बनाने हेतु इन प्राधिकृत अपशिष्ट उत्पापकों और अपशिष्ट संग्राहकों की एकीकरण प्रणाली संप्रवर्तित करेगा। उक्त प्रणाली स्थापित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक और अपशिष्ट उत्पापक स्वयं सहायता समूह बनाने पर विचार कर सकते हैं और उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकृत करने का पहचानपत्र जारी कर सकते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे लोगों/समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये भी प्रयास करना होगा जो स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सफाई अभियान में संलग्न हों और ऐसे व्यक्तियों/समूहों को एकीकृत किया जाना चाहिए जब वे पर्यावरण को स्वच्छ करने हेतु प्रयासरत हों;

(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के परिदहन ठेकेदार और/या अभिकर्ताओं/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, यदि ठेकेदार का या नगरीय स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी किसी संग्रहण स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट को मिश्रित करता है या विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार अपशिष्ट को उठाने में विफल रहता है;

(च) भिन्न-भिन्न भरण-स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों पर डाले जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के सम्बंध में मासिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से निर्मुक्त करेगा। ऐसी सूचना कार्यालय में या नगरीय स्थानीय निकाय के वेबसाइट/जिला एन.आई.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(छ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची तीन के पैरा-7 के अनुसार समुचित कदम उठायेगा और अपने सांविधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा;

(ज) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उसे सौंपे गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर ऐसी सहायता, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के साथ समस्त युक्तियुक्त समयों में प्रवेश करने का अधिकार होगा अथवा (ii) यह अवधारित करेगा कि क्या और यदि ऐसा है, किस रीति से ऐसे किन्हीं कृत्यों का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस नियमावली या अधिसूचित की गयी अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के उपबंधों का अनुपालन किया गया है;

(झ) समुचित तकनीकी सहायता प्रदान करके उपताप संसूचक प्रणाली उपबंधित करेगा और उसे सशक्त बनायेगा;

(ञ) अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों को अभिहित करेगा जो क्रियान्वयन हेतु योजनाओं और समय अनुसूचियों के अनुसार इस नियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय के बाध्यकारी उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे। कर्मियों, यदि कोई हों, के कार्यों सहित उक्त के सापेक्ष विनिर्दिष्ट योजनायें, समय अनुसूचियां और उपलब्धियां भी नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा की जायेंगी। पर्यवेक्षकों और सफाई निरीक्षकों के पास कार्य हेतु सम्पर्क करने और उसका समन्वय करने हेतु वर्दी और वाकी-टाकी अथवा मोबाइल आधारित यंत्र होना चाहिए।

(ट) नगरीय स्थानीय निकायों या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा द्वार-द्वार संग्रहण हेतु अभिनियोजित सफाई कर्मियों/अपशिष्ट उत्पादकों को कूड़ा-कचरा संहतकर्ता या द्वितीयक संग्रहण स्थल तक ले जाने के लिये समुचित प्रकार के यथा आवश्यक वाहन/हैंडकार्ट गाड़ी/ट्राइसाइकिल से उपलब्ध कराया जायेगा, जो प्राथमिक संग्रहण स्थल से 2 से 3 किलोमीटर के भीतर होने चाहिए;

(ठ) अधिकाधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच को सुनिश्चित करते हुए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ऐसा समस्त आवश्यक माध्यमों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए माध्यम से प्रचारित की जानी अपेक्षित है। प्रत्येक परिवार या अधिष्ठान को उस क्षेत्र के सफाई कर्मों और पर्यवेक्षक का नाम और नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा;

(ड) चिन्हों, पर्शियों, वाहनों द्वारा घोषणा के माध्यम से/या किसी अन्य समुचित माध्यम से नियमावली के उपबंधों को प्रचारित करेगा ताकि समस्त नागरिक इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों यथा प्रयोक्ता प्रभारों, सांविधिक कर्तव्यों (अर्थात् अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण) कूड़ा-कचरा रोधी तथा उपताप रोधी, शास्तियों तथा जुमाना और अन्य प्रतिबंधों से अवगत हो सकें;

(ड) इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य सरकारी अभिकरणों तथा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा;

(ण) नगरीय स्थानीय निकाय के समस्त सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, कॉलोनियों, झोपड़ियों, बाजारों और पर्यटन स्थलों तथा पाकों और श्मशान स्थलों (घाटों) आदि की नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और नगरीय स्थानीय निकाय, कूड़ा-कचरा को इन स्थानों से द्वार-द्वार से या निकटतम कूड़ा-कचरा डिब्बा/पात्र/सुविधा स्थल से संग्रहीत करने तथा ले जाने के लिये और वहाँ से बंद यानों में अन्तिम निस्तारण स्थल तक परिवहन कृत करने के लिये प्रतिबद्ध होगा;

(त) पूर्ण या आंशिक दैनिक सफाई कार्य हेतु स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को करने में अपने स्वयं के/वाह्य स्रोतित/ठेका सफाई कर्मकारों तथा वाहनों का उपयोग करेगा ताकि नगरीय निकाय लोकहित में अपने क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रख सके;

(थ) इस नियमावली के अधिसूचित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर वैज्ञानिक रूप से सृजित पशु शव संचालन संयंत्र भस्मन सुविधा/संयंत्र में उस जिला में उक्त प्रयोजनार्थ मृत पशु निपटान प्रणाली स्वयं सृजित करने या समन्वय के माध्यम से सृजित करने का प्रयास करेगा;

(द) संदूषित माध्यमों, जिनमें नालों, तालाबों, झीलों का जल, मृदा तथा भू-पृष्ठ सामग्री सम्मिलित हैं, को उपचारित करने हेतु जैव उपचार/वानस्पतिक उपचार प्रक्रिया/किसी अन्य प्रौद्योगिकी, जहां कहीं आवश्यक हो, का उपयोग करेगा;

(ध) राज्य की बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या विकास दर को दृष्टिगत रखते हुए अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत उपाप्तियां करेगा, प्राथमिक/द्वितीयक भण्डारण सुविधायें स्थापित करेगा, अपेक्षित अवसंरचना सृजित करेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्यबल नियोजित करेगा;

(न) वार्षिक बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु आवश्यक पूंजीगत निवेश के साथ ही साथ इनके संचालन और अनुरक्षण हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान का कड़ाई से पालन करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक बजट अन्तर्गत स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यकलापों हेतु वित्तीय आवंटन इन नियमों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। इस उपबंध के अनुपालन में असफल होने के परिणाम स्वरूप असंतोषजनक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निम्न स्तरीय स्वच्छता की आवांछनीय स्थिति में को सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन

में गंभीर कदाचार/अवचार की श्रेणी में माना जाएगा उनके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी;

(प) नगर के संपूर्ण दैनिक सफाई प्रणाली का प्रबंध करने के उद्देश्य से अपना स्वयं का शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा और जनसामान्य में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा;

(फ) प्रोत्साहनों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उपयुक्त मान्यता तंत्र स्थापित करेगा और सफाई तथा उत्तम अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का प्रोत्साहित करने वाले पगधारियों सहित इन कर्मचारियों/कर्मकारों/व्यक्तियों/समूहों/संघों को पुरस्कृत करेगा;

(ब) कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन-आधारित गतिविधि के संकेतक को अपनाये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और एक अंतर-वार्ड प्रतियोगिता के माध्यम से एक सर्वश्रेष्ठ वार्ड और वार्ड के सबसे अच्छे कर्मचारी/कर्मकार को पुरस्कृत कर उनके कार्य को समुचित रूप से सम्मानित किया जा सकेगा;

(ग) प्रत्येक माह सर्वोत्तम वार्ड और माह के सर्वोत्तम वार्ड कर्मचारी/कर्मकार हेतु अन्तर्वार्ड स्पर्दा अपनाकर अपने कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ स्पर्दा के लिये सुचारु रूप से मान्यता प्रदान करेगा।

अध्याय-सात

मार्ग सफाई और सार्वजनिक कचरा पात्र

26-पथ सफाई -

नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि -

(क) मार्ग पर प्रतिदिन एक बार सफाई और वाणिज्यिक क्षेत्रों में दो बार सफाई उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे मार्ग पर सफाई करने, गली की सफाई, कूड़ा-करकट, नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद से संबंधित सफाई कार्य दिया गया;

(ख) ठोस अपशिष्ट संचालित करने वाले समस्त कर्मकारों/सफाई कर्मियों को इस नियमावली की अधिसूचना के प्रारंभ होने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर हेल्मेट, वर्दी, फ्लोरोसेन्ट जैकेटों, दस्तानों, रेनकोटों, समुचित जूतों और मास्कसेट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ग) अपने द्वारा नियोजित किये गये समस्त सफाई कर्मियों को स्वयं निकाय द्वारा और संविदा तथा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अभिनियोजित किये गये कर्मचारियों को संविदा अभिकरणों द्वारा वर्ष में दो सेट वर्दियां उपलब्ध करायी जायेंगी। नगरीय स्थानीय निकायों को अपने वार्षिक आय-व्ययक में ऐसे प्रति कर्मचारी के लिये कम से कम रूपये 2000/- (दो हजार रूपये) का उपबंध करना होगा और वह अपशिष्ट सफाई/संचालन हेतु संविदात्मक/वाह्य स्रोतित जनशक्ति कर्मकारों को उपलब्ध कराने हेतु संलग्न अपने अभिकर्ता के साथ ऐसा उपबंध भी करेगा;

(घ) जैव नाशित, जैव अनाशित और अक्रिय अपशिष्ट के रूप में मार्ग सफाई के अपशिष्ट पृथक्कृत किये जायं और ऐसे पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डारण नियमावली के अनुसार मार्ग सफाई में संलग्न व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा;

(ङ) सफाईकर्मी मार्ग सफाई से संग्रहीत हुए ठोस अपशिष्टों तथा वृक्ष की पत्तियों को नहीं जलायेंगे और उन्हें पृथक-पृथक भण्डारित करेंगे तथा प्राधिकृत व्यक्ति/अभिकरण को सौंप देंगे।

27-कूड़ा-कचरा के डिब्बे/पात्र-

नगरीय स्थानीय निकाय-

(क) सभी सार्वजनिक मार्गों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से कूड़ा-कचरा निक्षेपित करने हेतु समुचित व सुविधाजनक अवस्थानों पर कूड़ा-कचरा डिब्बों को लगाया जायेगा;

(ख) उत्प्रवाह को रोकने हेतु किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान की स्थानीय स्थिति तथा आवासीय जनसंख्या घनत्व एवं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए कूड़ा-कचरा डिब्बों का रखा जाना अवधारित करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कूड़ा-कचरा के डिब्बे प्रयोज्य दशा में समुचित रूप में अनुरक्षित किये जायं और उत्प्रवाहित न हों या खुले पर्यावरण में उपदर्शित न हों जिससे जनता के लिये उपताप कारित करना या होना सम्भाव्य हो और उन्हें पशुओं या पक्षियों द्वारा बिखरे जाने से रोका जा सके;

(घ) यह सुनिश्चित करते हुए कि कूड़ा-कचरा अपशिष्ट, प्राथमिक संग्रहण प्रणाली के माध्यम से संग्रहीत अपशिष्ट के साथ अपमिश्रित न हो, अपने द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली या स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली या अन्वेष के माध्यम से कूड़ा-कचरा के डिब्बों में संग्रहीत किये गये ठोस अपशिष्ट की नियमित सफाई करने और उसे हटाये जाने के लिए दैनिक आधार पर उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करेगा;

(ङ) कूड़ा-कचरा के डिब्बों या पथ सफाई पत्रों में संग्रहीत किये गये अपशिष्ट का परिवहन किया जाना सुनिश्चित करेगा और निम्नलिखित का परिवहन करने का उपबंध करेगा;

(एक) सुविधाजनक आर्द्र अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक जीव नाशित अपशिष्ट;

(दो) सुविधाजनक सामग्री प्राप्ति सुविधास्थल तक जीव अनाशित अपशिष्ट;

(तीन) परिवहन, निगटान या प्रसंस्करण हेतु निकटतम अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थल, अंतरण स्थल या सन्निर्माण तथा विघ्नस अपशिष्ट निगटान या प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक गाद, धूल, बालू और अन्य अक्रिय अपशिष्ट;

(च) अतिरिक्त कूड़ा-कचरा के डिब्बों, जागरूकता अभियानों, प्रवर्तन अभियानों और गैर सरकारी संगठनों आदि की संलग्नता का उपबंध करने सहित कूड़ा-कचराकरण की घटनाओं को कम करने के लिये इस नियमावली या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समस्त आवश्यक और समुचित उपाय करेगा—

अध्याय—आठ

अपशिष्ट उत्पापकगण—मान्यता और अधिकार

28—नगर विकास विभाग, श्रम विभाग और राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सहायता से संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के छः माह के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रिया-कलापों में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संलग्न अपशिष्ट उत्पापकों के लिये पहचान-पत्र जारी किये जायें;

(ख) समस्त अपशिष्ट उत्पापकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और निजी आपरेटरों के माध्यम से उन्हें शिक्षित किये जाने और सुविधा प्रदान किये जाने के दौरान ऐसे उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायें जिनमें हेलमेट, बर्दा, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट समुचित प्रकार के जूते और मास्क सम्मिलित हैं;

(ग) औपचारिक तंत्र सृजित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनायें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय करके विभिन्न सरकारी योजनाओं की ऐसी प्रसुविधा उपबंधित की जाय जिसमें अपशिष्ट उत्पापक सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु वह उन्हीं तक सीमित नहीं होगी;

(घ) कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जायें जिनमें अपशिष्ट उत्पापकों की सुविधा और कल्याण सम्मिलित हो किन्तु वे उन्हीं तक सीमित न हों;

(एक) नियमित अंतरालों पर और प्रत्येक छः माह में आवश्यक रूप से एक बार निःशुल्क चिकित्सीय जांच की जायें और टीके लगाये जायें और अपशिष्ट उत्पापकों तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्यगत परिसंकेतों को कम करने तथा उन्हें दूर करने के लिये कोई अन्य उपाय किया जाय;

(दो) अपशिष्ट उत्पापकों और उनके बच्चों को मूलभूत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जाय;

(तीन) अपशिष्ट उत्पापकों के कार्य-स्थल पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था अनुरक्षित की जाय;

(चार) कूड़ा निक्षेप स्थलों पर कार्यरत युवा लोगों को लक्ष्य करके सामाजिक सुरक्षा और शैक्षिक योजनाएं उपबंधित की जायें;

(पांच) नियमानुसार ऋण सुविधा की प्रसुविधा कर वित्तीय समावेशन से आच्छादित करने हेतु प्रयास;

(ङ) अपशिष्ट उत्पापकों के प्रति अधिकाधिक सकारात्मक लोक भावना को प्रोत्साहित करने और पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों के पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिये जागरूकता अभियान संचालन किये जायें;

(च) अपशिष्ट उत्पादकों के कार्य की पर्यावरणीय और आर्थिक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति तथा शारीरिक एवं मानसिक भलाई के समुत्थान के लिये कोई क्रिया-कलाप या योजना उपक्रमित की जायेगी, अपनायी जायेगी और क्रियान्वित की जायेगी।

अध्याय-नौ

प्रयोक्ता शुल्क

29-प्रयोक्ता शुल्क,-

(1) नगरीय स्थानीय निकाय समय-समय पर अवधारित अनुसूची दो में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार की गयी अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये परिवारों/अधिष्ठानों/परिसरों से प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहित करेंगे। उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी और ऐसी प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। अनुसूची दो के उपबंधों के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम यथा एस.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधनों के संबंध में अधिसूचित ऐसी अन्य नियमावली के प्रभावी और समुचित क्रियान्वयन के लिये किन्हीं अन्य श्रेणी के प्रयोक्ता शुल्कों को जोड़ सकते हैं;

(2) उपर्युक्त द्वार-द्वार या स्थलीय अपशिष्ट संग्रहण शुल्क, नगरीय स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अभिकर्ताओं/व्यक्तियों द्वारा ही संग्रहीत किये जायेंगे। उपर्युक्त दर, नगरीय स्थानीय निकाय/संस्था/व्यक्ति द्वारा समुचित रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और उक्त दरें अपशिष्ट प्रबंधन वाहनों पर भी प्रदर्शित की जायेंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को प्रयोक्ता शुल्क और शास्ति संग्रहीत करने हेतु हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रयोग करने का तंत्र स्थापित करने का प्रयास करना होगा;

(3) यदि इस नियमावली के अधीन यथा विहित रीति से किसी व्यक्ति/दल द्वारा अपशिष्ट सामग्री का निपटान नहीं किया जाता है और उसका निपटान अभिहित स्थलों, अपशिष्ट डिब्बों, कूड़ा-कचरा डिब्बों, मार्गों में रखे गये पात्रों, पाकों या ऐसे अन्य अभिहित स्थलों पर नहीं किया जाता है और उसका निपटान अन्य जगह किया जाता है, जहां अपशिष्ट निपटान किया जाना प्रतिषिद्ध हो, ऐसी परिस्थितियों में इस नियमावली के अधीन विहित नियमित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त सन्बन्धित व्यक्ति/पक्षकार से जुर्माना/प्रशमन शुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा;

(4) इस नियमावली में यथा आदेश कृत सेवाओं हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व से प्रयोक्ता शुल्क विहित किये जाने की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली की अनुसूची-दो के अधीन विहित प्रयोक्ता शुल्कों/फीसों के अनुसार अपनी प्रयोक्ता शुल्क फीस संरचना में संशोधन करके वृद्धि करनी होगी। इस नियमावली की अनुसूची-दो में विहित प्रयोक्ता शुल्कों के दरों से किसी नगरीय स्थानीय निकाय की दरें कम नहीं होंगी, तथापि कोई नगरीय स्थानीय निकाय इस नियमावली अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के उपबंधों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वित्तीय क्षमता हेतु ऐसे उच्चतर प्रयोक्ता शुल्कों को अधिसूचित करने के लिये यदि उपर्युक्त पाता है तो वह समस्त श्रेणियों की सेवाओं/प्रयोक्ताओं के लिये अथवा किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की सेवाओं/प्रयोक्ताओं के लिये प्रयोक्ता शुल्क के रूप में अनुसूची-दो में विहित दरों से उच्चतर दर संरचना को अधिसूचित कर सकता है;

(5) शास्ति या प्रयोक्ता शुल्क/फीस, यदि इस नियमावली के अधीन यथा उपबंधित रूप में स्थल पर या मासिक आधार पर संग्रहीत न की गई हो, परिवार/अधिष्ठान के सम्पत्ति कर देयक में जोड़ी जायेगी;

(6) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा स्वस्थाने (आन साइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय प्रयोक्ता शुल्कों में प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकता है, तथापि ऐसे थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपनायी गयी स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रथा का सत्यापन समुचित रूप में प्रतिपादित पारदर्शी रीति से किया जायेगा। थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों के प्रोत्साहनों से संबंधित ऐसे किसी प्रस्ताव को राज्य सरकार को संसूचित किया जायेगा और ऐसे प्रोत्साहनों की प्रसुविधा का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् ही उन्हें बढ़ाया जायेगा;

(7) सीधे प्रयोक्ता से अथवा सम्पत्ति कर के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि, किसी पृथक बैंक खाता में रखी जायेगी और उसका अनन्य रूप में उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन के लिये किया जायेगा। राज्य सरकार इस धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये निदेश जारी कर सकती है।

अध्याय-दस

प्रतिषेध और अपराध

30-सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा,-

इस नियमावली में अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में अथवा किसी अन्य विधि, जो प्रवर्तित हो, के अधीन उपबधित रीति के सिवाय कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान, पथ, खुले स्थानों, नाली या जलाशयों में या पर मल सहित कोई ठोस, अर्द्धठोस, तरल या ठोस अपशिष्ट न तो फेकेगा, न निक्षेपित करेगा अथवा न फेकवायेगा या न निक्षेपित करवायेगा।

स्पष्टीकरण : प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि पगडंडी और खुली नाली/नाबदान सहित उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिभुक्त किसी परिसर के समक्ष स्थित या उससे संलग्न कोई सार्वजनिक स्थान, मल और अपशिष्ट जल सहित किसी तरल/अर्द्ध ठोस या ठोस अपशिष्ट से मुक्त हो और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में कूड़ा-कचरा डिब्बा उपलब्ध कराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक मल/जल निकास प्रणाली में अपशिष्ट जल निकास के पर्याप्त संयोजन हों।

31-रिक्त भू-खण्डों पर कूड़ा-कचरा,-

कोई अपशिष्ट उत्सर्जक या नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण किसी रिक्त भू-खण्ड पर ठोस अपशिष्ट नहीं फेकेगा या नहीं निक्षेपित करेगा। सरकारी या निजी स्वामित्व वाले ऐसे रिक्त भू-खण्ड के स्वामी या अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त भूमि अपशिष्ट मुक्त हो।

32-जलाशयों में वस्तुएँ फेंक कर प्रदूषण,-

कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपशिष्ट किसी प्रकार के जलाशय (जब तक उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट न किया जाय प्राकृतिक या मानव निर्मित) में नहीं फेंकेगा। मूर्ति विसर्जन हेतु, जहां आवश्यक हो, सिंचाई विभाग या स्थानीय निकाय, मिट्टी के बंधों से अस्थायी कुंड निर्मित कर सकता है। अपशरणीय संश्लिष्ट रजुएँ कुंड के तल में डाली जा सकती हैं जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियमित रूप से अपसारित किया जाना चाहिए। किसी वैकल्पिक उपाय स्वरूप काम चलाऊ बांस के ढांचे, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जलाशयों या उसके द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित किये गये किसी अन्य स्थान पर परिनिर्मित किये जा सकते हैं, जहाँ जनता पुष्प, पत्तियाँ, कपड़े, मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएँ और अन्य पूजा सामग्रियाँ, प्रक्षेपित कर सकती है, जिन्हें तत्पश्चात् प्रसंस्करण सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण केन्द्रों तक ले जाया जा सकता है। सामूहिक जागरूकता हेतु विनिर्दिष्ट पर्चियाँ/पोस्टर तैयार किये जायँ और वितरित किये जायँ।

33-वाहनों से कूड़ा-कचरा,-

कोई व्यक्ति किसी चलते हुए या पार्क किये गये वाहन से किसी पथ, मार्ग, पार्श्व पगडंडी, क्रीड़ा-स्थल, उद्यान, यातायात-स्थल या अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर नहीं थूकेगा, वहाँ से कूड़ा-कचरा नहीं फेकेगा या नहीं प्रक्षेपित करेगा। कोई वाहन चालक ऐसे वाहन के किसी यात्री को उक्त रीति से थूकने या उक्त अपशिष्ट को फेकने की अनुमति या अनुज्ञा नहीं देगा।

स्पष्टीकरण : कोई व्यक्ति कूड़ा-कचरा से भरे हुए किसी ट्रक या अन्य वाहन को तब तक नहीं चलायेगा या संचालित करेगा, जब तक ऐसे वाहन कूड़ा-कचरा को ढकने हेतु न अभिकल्पित किये गये हों और उनमें अपशिष्ट इस प्रकार भरा जाय जिससे कि किसी कूड़ा-कचरा को किसी मार्ग, पार्श्व मार्ग, यातायात-स्थल, क्रीड़ा-स्थल, उद्यान या अन्य सार्वजनिक स्थान पर उड़ने या निक्षेपित किये जाने से रोका जा सके।

34-नाला अपशिष्ट निपटान,-

कोई व्यक्ति किसी मल नाली/नाला/नदी/कुंड/ जलाशयों/झंझा-जल नालों में कोई अपशिष्ट नहीं फेकेगा।

35-पालतू जानवरों के अपशिष्ट का निपटान,-

पालतू जानवरों द्वारा सड़कों को पूर्णतयः अपशिष्ट के बिखराव से मुक्त रखने का सम्पूर्ण दायित्व पालतू जानवर पालने वालों का होगा। पालतू जानवरों के स्वामी अपने जानवरों को सड़क पर घुमाते समय उसे पदों से बाँध कर रखना सुनिश्चित करेंगे, पालतू जानवर के मल करने की स्थिति में उसे उठाने के लिए पालतू जानवर के स्वामी थैला लेकर चलेंगे और उसे उठाकर निस्तारण हेतु अपने घर लेकर जायेंगे;

36-प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय, विनिर्माण और वितरण :

(1) कोई व्यक्ति किसी भी रूप में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के अधीन अधिसूचना संख्या-1056/11-7-18-29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 में प्रतिबंधित किये गये/निषिद्ध किये गये ऐसे जीव-नाशित प्लास्टिक

कैरीबैग और ऐसी किन्हीं वस्तुओं (कप, ग्लास, प्लेट, चम्मच, गिलास आदि जो एक बार प्रयोग के पश्चात् नाशित प्लास्टिक या थर्मोकोल वस्तुओं से निर्मित हैं) के विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात में लिप्त नहीं होगा;

(2) कोई व्यक्ति झंझा-जल नालियों, मार्ग-खड्डों, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से सम्बन्धित खुले स्थानों और/या सार्वजनिक मार्गों के दोनों ओर सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या कोई अन्य प्रकार का अपशिष्ट निकेपित नहीं करेगा या नहीं बिखरेगा;

(3) कोई नगरीय स्थानीय निकाय या अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा-तंत्र, किसी खुले वाहन में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को संग्रहीत या अंतरित नहीं करेगा।

37-सफाई : कोई व्यक्ति,-

(क) किसी प्रयोजन से विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित सार्वजनिक सुविधा/प्रसुविधा स्थलों से भिन्न किसी सार्वजनिक स्थल, पर स्नान नहीं करेगा, नहीं धूकेगा, पेशाब नहीं करेगा, मल त्याग नहीं करेगा, वाहनों/बर्तनों की धुलाई नहीं करेगा, पशुओं/घिड़ियों के समूह को चारा नहीं देगा अथवा उनके बीट/मल गिरने नहीं देगा अथवा किसी प्रकार का या किसी वस्तु का भंडारण नहीं करेगा;

(ख) अपने स्वयं के भवन, संगठन, वाणिज्यिक अधिष्ठानों से गंदा जल, कीचड़, विष्ठा, गोबर, पेशाब प्रदूषित जल अपने स्वयं के अहाते में संग्रहीत नहीं होने देगा और न ही उसे इस रूप में सामान्य पथों पर प्रवाहित होने देगा कि वातावरण बदबू से प्रदूषित हो जाय या लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये।

38-जनसमूह एकत्र करना,-

कोई व्यक्ति स्थानीय निकाय को कम से कम तीन कार्य दिवस से पूर्व सूचित किये बिना किसी स्थान पर एक सौ से अधिक व्यक्तियों का समारोह या जनसमूह आयोजित नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण करने तथा अपशिष्ट संग्राहक या अभिकर्ता, जैसा कि स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को पृथक्कृत अपशिष्ट का सौंपा जाना सुनिश्चित करे। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता और साथ ही साथ समस्त सम्बद्ध स्थानीय निकायों को समारोह आयोजित किये जाने के तत्काल पश्चात् उस क्षेत्र के सफाई को सुनिश्चित करना होगा।

39-प्रतिसंदेय सफाई जमा,-

किसी समारोह के आयोजनकर्ता को समारोह की अवधि के लिये सम्बन्धित कार्यालय में अपेक्षित जमा का संदाय करना होगा, जो यह अधिसूचित किये जाने पर कि सम्बन्धित पदाधिकारी प्राधिकारी के समाधान के अनुसार उक्त सार्वजनिक स्थल को साफ स्थित में बहाल कर दिया गया है और समारोह आयोजन के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट को संग्रहीत कर लिया गया है और अभिहित स्थलों तक परिवहनकृत कर दिया गया है, समारोह सम्पन्न होने पर प्रतिसंदेय होगा।

40-अपशिष्ट का जलाया जाना,-

मार्गों के पार्श्व भागों में या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का जलाया जाना प्रतिषिद्ध है। उक्त प्रतिषेध नगरीय स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों सहित समस्त व्यक्तियों, संविदा कर्मकारों, अपशिष्ट उत्थापकों या मार्गों और पथों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छताकरण के कार्यों में संलग्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिये लागू होगा।

41-अपशिष्ट संग्रहण और प्रक्षेपण प्रतिषेध,-

(1) कोई व्यक्ति, वातावरण और मैदान को उसकी बदबू से प्रदूषित करने और लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने या यातायात को बाधित करने के लिये अपने भवन, संस्था या वाणिज्यिक अधिष्ठान से अपशिष्ट जल, कीचड़ जल, मल, गोबर, विष्ठा आदि को संग्रहीत या प्रक्षेपित नहीं करेगा;

(2) यदि कोई व्यक्ति मृत पशु/जानवर या उसके आंशिक भागों को फेंककर सार्वजनिक खुले स्थलों आदि में प्रदूषण व गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो वह नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले अन्य वहन शुल्कों का संदाय करने का दायी होगा।

42-कतिपय विनिर्दिष्ट उल्लंघन की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय और/या अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य :

(1) नगरीय स्थानीय निकाय किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस, उक्त नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट रीति से और समय में परिसर में किसी अपशिष्ट की सफाई करने की अपेक्षा करते हुए, तामील करेगा;

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर नोटिस तामील की गई है, निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अवधारित शास्ति का संदाय करने का दायी होगा;

(3) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर शास्ति तामील की गई हो पन्द्रह दिन के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है, तो संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय उक्त परिसर में प्रवेश कर सकता है और नियमावली के अनुसार उक्त अपशिष्ट की सफाई कर सकता है तथा स्वामी या अधिभोगी से अपशिष्ट क्षेपण करने के कारण अधिरोपित शास्ति के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से उपगत व्ययों की वसूली कर सकता है।

43-अपशिष्ट पृथक्करण, परिदान और संग्रहण उल्लंघनों के उपबंध,-

कोई व्यक्ति-

(क) पृथक्-पृथक् डिब्बों में बिना यथाविहित रीति से पृथक् किये गये और मण्डारित किये गये शुष्क, आर्द्र या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्रदत्त नहीं करेगा;

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय से समुचित रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार करण कराये बिना ठोस अपशिष्ट संग्रहीत नहीं करेगा। गैर पंजीकृत तथा अप्राधिकृत किसी विक्रेता/ फेरीवाला द्वारा अपशिष्ट संग्रहण किया जाना प्रतिषिद्ध है और कोई व्यक्ति, नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा नियमित द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिये अभिनियोजित अपशिष्ट उत्थापकों की कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा;

(ग) यथा विनिर्दिष्ट रूप से पृथक्कृत न किये गये सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;

(घ) यथा विनिर्दिष्ट रीति से पृथक्कृत न किये गये उद्यान अपशिष्ट और वृक्ष-कांट-छांट समकर्मियों को प्रदत्त नहीं करेगा;

(ङ) यथाविहित रूप में पृथक्कृत न किये गये मत्स्य, कुक्कुट और मांस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;

(च) कोई थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता इस नियमावली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, सन्निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अंतर सीमा संचालन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति से अपृथक्कृत अपशिष्ट का भंडारण और परिदान नहीं करेगा;

(छ) यदि कोई भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह कार्यस्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट डिब्बों को उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना दिये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

44-नालियों/मल नालियों/सोखने वाले गड्ढों से संबंधित उपबंध,-

कोई व्यक्ति-

(क) निजी नालियों/मल नाली प्रणालियों से झंझा जल नालियों, मार्ग, खुली भूमियों, जलाशयों, जल मार्गों, कृषि भूमि या किसी अन्य गैर अभिकल्पित अवस्थानों में घरेलू मल/मल जल/बहिःस्त्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;

(ख) संभावित रूप में नाली को क्षतिग्रस्त करने या सार्वजनिक मल-नाली प्रणाली के प्रवाह में व्यवधान डालने के लिये किसी द्रव्य को अन्तर्प्रवाहित नहीं होने देगा;

(ग) खुली नालियों और/या प्रवेश विवरों में कोई द्रव्य जमा नहीं करेगा या जमा नहीं करने देगा जिससे कि मल-नाली प्रणाली में अवरोध/गतिरोध उत्पन्न हो सके। यह उपबंध भू-तल टैंकों से निकाले गये गाढ़ा कीचड़ और उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा उत्सर्जित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट आदि को निक्षेपित करने हेतु खुली नालियों में पथ सफाई को निक्षेपित करने वाले नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी वर्ग पर भी यह लागू होगा।

(घ) आवश्यक विहित उपचार करने के पूर्व औद्योगिक बहिःस्राव विशेष रूप से किसी उद्योग, घरेलू उद्योग, बघशाला और मांस बाजार, दुग्धशाला, पशुबाड़ा, कार्यशाला या गैरेज के क्रिया-कलापों से सम्बंधित किन्हीं अन्य बहिःस्रावों को सार्वजनिक मल-नाली/नालों में उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;

(ङ) समुचित सुरक्षात्मक उपकरण तथा सुरक्षा उपायों के बिना किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/अभिकर्ता को मल, मलवहन या गाढ़ा कीचड़ से संबंधित कार्य हाथ से करने की अनुज्ञा नहीं देगा;

(च) जल मार्गों, नालों, खुली भूमि, कृषि क्षेत्र या किसी अन्य गैर अभिहित स्थल पर भू-तल टैंकों से गाढ़े कीचड़ से बहने वाले बहिःस्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा किन्तु अभिहित मल कीचड़/मल वहन संयंत्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विहित स्थल पर निर्माचित करेगा;

(छ) किसी कर्मकार को इस नियमावली या किसी विहित नियमावली/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन यथाविहित रूप में उसे उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये बिना किसी मल वहन प्रवेश विवर में नहीं नियोजित करेगा या नहीं लगायेगा;

(ज) अपने स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन परिसरों के अन्तर्गत कोई जलावरोध, प्रवाहहीनता/अपशिष्ट क्षेपण/अस्वास्थ्यकर स्थितियों/अस्वच्छ स्थितियों/भंजन आदि को नहीं करने देगा, जो विषाणुजनन के वाहक या कारण हो सकते हैं;

नगरीय स्थानीय निकाय को, अपने क्षेत्र में जमित मल वहन का उपचार स्थायी आधार पर करना चाहिए। जब तक उपरोक्त की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक नगरीय स्थानीय निकाय को जैव-उपचार/बानस्पति उपचार/निर्मित आर्द्र भू-प्रौद्योगिकी/ऐसी अन्य प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी नाला का कोई गैर उपचारित मल वहन अपशिष्ट किसी नदी या जलाशय में न पहुंचे;

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय की प्रथम वरीयता नगरीय स्थानीय निधि के पास विभिन्न स्रोतों यथा केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/किसी अन्य निधि से उपलब्ध निधियों पर होगी।

45-अन्य प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप,-

निम्नलिखित क्रिया-कलाप नहीं किये जायेंगे-

(क) किसी विक्रेता/फेरी वाले के द्वारा विक्रय-स्थल पर अपृथक्कृत जैव नाशित तथा अन्य अपशिष्ट नहीं रखे जायेंगे;

(ख) यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता, एक सौ से अधिक व्यक्तियों का कोई समारोह या जनसमूह आयोजित करता है, उस समारोह के समाप्त होने के चार घंटे से अधिक समय के पश्चात् उस स्थल को गंदा या अस्वच्छ छोड़ देता है;

(ग) यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, परिवार, समिति और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण निकाय क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत अपशिष्ट क्षेपित करते हुए या जमा करते हुए पाये गये ऐसे व्यक्ति, परिवार, समितियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण पर विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;

(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के बाहर के पार्श्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो ऐसे पार्श्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;

(ङ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये यानों, पात्रों, टेला-गाड़ियों, सामग्री प्राप्ति सुविधा यंत्रों तथा उपस्करों सहित कोई अवसंरचना बिना अनुज्ञा के हटाता है;

(च) नदियों/जलाशयों/नालों/कैचमेंट क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण।

अध्याय—ग्यारह

शास्ति एवं स्थलीय जुर्माना

46—स्थलीय जुर्माना :

(क) उपताप संसूचक अथवा कोई कर्मचारी/अभिकर्ता/प्रवर्तन कार्यबल के सदस्य और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के पास कूड़ा-कचरा करने और लोक उपताप उत्पन्न करने के संबंध में इस नियमावली के उल्लंघन पर अनुसूची तीन के अनुसार स्थलीय जुर्माना उद्ग्रहीत करने की शक्ति होगी।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर जुर्माना नहीं दिये जाने की दशा में वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन अभियोजित किये जाने के लिए दायी होगा/होगी।

47—इस नियमावली के उल्लंघन पर उद्ग्रहीत शुल्क,—

(क) जो कोई इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा इस नियमावली के अधीन किये गये किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुसूची-तीन में यथा वर्णित जुर्माना का संदाय करने के लिये दायी होगा;

(ख) प्रशमनीय प्रभार—इस नियमावली के उपबंधों को भंग करते रहने की दशा में प्रतिदिन व्यतिक्रम के लिये समान धनराशि का शुल्क अथवा प्रतिदिन 100 रुपये, जो भी अधिक हो, मूल जुर्माने के अतिरिक्त उद्ग्रहीत किया जायेगा;

(ग) उपरोक्त के अनुपालन हेतु किसी सफाई कर्मी या पर्यवेक्षक को यदि समुचित उपकरण और संसाधन नहीं दिये गये हैं तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सफाईकर्मी एवं पर्यवेक्षक उपकरण आदि की मांग नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के समक्ष इस नियमावली की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर रखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय आवश्यक उपकरण मांग प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराएगा;

(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकायों के कोई कर्मचारी, किसी संग्रहण या परिवहन स्थल पर पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को मिश्रित करते हैं या विनिर्दिष्ट समय सीमा के दौरान ठोस अपशिष्ट को उठाने में विफल रहते हैं अथवा अन्यथा इस नियमावली और एस.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध शास्तियों, अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, वेतनों से कटौतियों सहित समुचित कार्यवाही करनी होगी;

(ङ) यदि कोई अभिकर्ता एस.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 और या इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरीय स्थानीय निकाय के पास यह शक्ति होगी कि वह अभिकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यवाही करे :-

(एक) अभिकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त शास्ति अधिरोपित करना;

(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के साथ संविदा या प्रबंधन को समाप्त करना जिसमें रियायत करार को रद्द किया जाना सम्मिलित है;

(तीन) इस नियमावली, एस.डब्ल्यू.एम. नियम और/या लागू विनियमावली के अधीन कोई ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन या प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित करने हेतु किसी लाइसेंस को निलंबित किया जाना या प्रतिसंहत किया जाना;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय, यथा स्थिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए इस नियमावली के अधीन किसी कार्रवाई के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के अधीन समुचित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(छ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा और उसकी ओर से स्थलीय जुर्मानों और शुल्कों के रूप में संग्रहीत समस्त धनराशियाँ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन निधियों के लिए अनुरक्षित किसी पृथक् बैंक खाता में अन्तरिम की जायेगी। ये धनराशियाँ इस नियमावली के अधीन ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय की लागतों हेतु ही प्रयुक्त की जायेंगी;

(ज) शारित/स्थलीय जुमाने मुख्यतः इस नियमावली में किये गये उपबंधों को प्रवर्तित करने हेतु आशयित हैं और इस प्रकार इसका वाचन राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य विद्यमान नियमों/अधिनियमों/उपबंधों के अतिरिक्त किया जायेगा।

अध्याय-बारह

प्रकीर्ण

48-सरकारी विभागों/निकायों के साथ समन्वय.-

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों विभागों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना होगा।

(2) एक वर्ष के समय के भीतर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को शत प्रतिशत पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण करना होगा।

(3) एक वर्ष के समय के भीतर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को कार्बनिक अपशिष्टों का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रीय अपशिष्टों का पुनर्चक्रण शत प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा।

(4) क्रियान्वयन का पुनरीक्षण-नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा मासिक रूप से अनुश्रवण, मूल्यांकन और दक्षतामापन (बैचमाकिंग) हेतु सत्यापित किये जाने योग्य लक्ष्य को निरूपित किया जायेगा, जिन्हें पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट/जिला एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(5) नियमों का पुनरीक्षण नगर विकास विभाग द्वारा किसी मामले में, जैसा और जब आवश्यक हो, यदि इस नियमावली के उपबंधों में कोई संशोधन या उनका अद्यतनीकरण किया जाना अपेक्षित हो तो तदनुसार पुनरीक्षण और निर्धारण किया जायेगा। पुनरीक्षण व निर्धारण प्रत्येक 03 वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार उसके पहले भी किया जायेगा।

(6) कठिनाइयां दूर करने की शक्ति-यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो नगर विकास विभाग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध करेगा या ऐसे निदेश देगा, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

(7) निरसन और व्यावृत्ति-सुसंगत नियमावली के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्रवाई के होते हुए भी उक्त नियमावली से पूर्व में कृत या उपयुक्त किसी बात या पूर्व में अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या तत्सम्बन्ध में किसी उपाय या कार्यवाही या किसी ऋण शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग के किसी निर्माण या उससे निर्मुक्ति, या पूर्व में स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, प्रवर्तन या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे।

अनूसूची - एक

अपशिष्ट का वर्गीकरण

अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा-

- (1) "राख" में काष्ठ, कोयला, काष्ठ कोयला, कोक और गृहों तथा संस्थाओं में खाना पकाने तथा गर्म करने हेतु प्रयुक्त अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट सम्मिलित होते हैं। इसमें बारीक पाउडरनुमा अवशिष्ट, अंगार और खंगर भी सम्मिलित होते हैं, जो प्रायः धातु और कांच के छोटे-छोटे टुकड़ों से मिश्रित होते हैं।
- (2) "जैव-नाशित अपशिष्ट/आर्द्र अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसी किन्हीं कार्बनिक सामग्रियों के अपशिष्ट से है जो किसी युक्ति-युक्त समयावधि के भीतर सूक्ष्म-जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित किये जा सकते हैं और जिनमें ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे यथा-चाय पत्तियां अण्डों के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके, पका हुआ खाद्य पदार्थ थाली अपशिष्ट, मांस और अस्थियां, उद्यान और पत्तियों का कूड़ा-कचरा फूल, पशु-मल, दूषित कागज, घर की सफाई के बाद धूल, नारियल के छिलके, राख आदि।
- (3) "जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट" में ऐसा कोई अपशिष्ट सम्मिलित होगा, जो मानव या पशु रोग-निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या तत्सम्बन्धी क्रिया-कलापों के शोध में या जैव नाशित सामग्रियों के निर्माण या परीक्षण

में या स्वार्थ शिविरों में और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में या जैसा कि तत्सम्बन्धी किसी संशोधन में अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप में परिभाषित हो, उत्सर्जित हो;

- (4) "उद्यान और उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट" में सार्वजनिक या निजी पार्कों, उद्यानों, यातायात स्थलों, बंगलों थोक उत्सर्जकों यथा आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, समितियों या उद्यान या वृक्ष युक्त परिसर वाले संस्थाओं के थोक जैव नाशित अपशिष्ट सम्मिलित हैं और जिसमें घास कतरन, खरपतवार, काष्ठवत, ब्राउन, कार्बन युक्त सामग्रियाँ यथा छंटाई, शाखायें, टहनियाँ, काष्ठ कतरन, पुआल या सूखी पत्तियाँ और पृक्ष की कतरनें, जिन्हें दैनिक जैव-नाशित अपशिष्ट द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है, सम्मिलित हैं;
- (5) "थोक अपशिष्ट" में वाणिज्यिक/आवासीय अपशिष्ट सम्मिलित हैं जो अपनी मात्रा, रूपरेखा, आकार या परिमाण के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण की राय में, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये दैनिक द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं हैं अर्थात् फर्नीचर, टी0वी0 तथा फ्रीज आदि;
- (6) "ज्वलनशील अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव, अनाशित, गैर पुनर्चक्रीय, गैर पुनः उपभोग्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है, जिसका कैलोरिक मान न्यूनतम 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से अधिक हो जिसमें क्लोरिनेटेड सामग्रियाँ यथा प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि सम्मिलित न हों;
- (7) "वाणिज्यिक अपशिष्ट" में कार्यालयों, थोक और फुटकर स्टोरों, भोजनालयों, बाजारों, भण्डारों और किन्हीं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों में संलग्न अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित हैं। इन अपशिष्टों में कूड़ा-कचरा और कूड़ा-करकट सम्मिलित है;
- (8) "वाणिज्यिक या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" में परिसंकटमय रसायनों से संदूषित अपशिष्ट और घरेलू तथा वैयक्तिक स्तर पर उत्सर्जित संक्रामक अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे:-

(क) घरेलू मार्जक

- अपवृषक चूर्ण
- अमोनिया और अमोनिया-आधारित मार्जक
- क्लोरीन ब्लीच
- नाली खोलने वाले पदार्थ

(ख) मोटरवाहन से संबंधित उत्पाद:-

- ब्रेक और ट्रॉसमिशन पलूइस
- कार की बैटरियाँ
- ईंधन-जैसे प्रयुक्त हो चुका डीजल, केरोसीन और गैसोलीन
- व्यर्थ हो चुका इंजन ऑयल और लुब्रीकेटिंग ऑयल
- ऑयल फिल्टर और कार केयर उत्पाद एवं उपभोग्य उत्पाद

(ग) पेंट उत्पाद

- इनैमल
- तेल आधारित, लेटेक्स या जल आधारित पेंट
- पेंट सॉल्वेंट्स और थिनर्स
- तेल, छिपकने वाले पदार्थ और उनके खाली डिब्बे

(घ) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट परिव्यक्त और पुरानी दवाइयाँ और साइटोटोक्सिक दवाइयाँ, तरल पदार्थ और गोलियाँ, इंजेक्शन, सूइयाँ, सिरिज, छूरियाँ, ब्लेड्स और दोनों प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार उपकरणों सहित पंचर या घाव करने वाले धारदार उपकरण, थर्मामीटर और द्रव्य सहित मर्करी रक्त तथा शारीरिक द्रव्यों से संदूषित वस्तुएं यथा रूई, पट्टियाँ, दूषित प्लास्टर प्रक्षेप, अस्तर, चादर या रक्त से संदूषित अन्य सामग्री, द्यूब्स, नाल-शलाकाएं आई0वी0 आदि सम्मिलित हैं;

(ङ) विविध उत्पाद :

- सौन्दर्य प्रशाधन सम्बन्धी उत्पाद

- बैटरी और बटन सेल्स
- फोटोग्राफिक ऑडियो/विडियो टेप और उनके रखने वाले डिब्बे और रासायनिक
- दवायलेट साफ करने के लिए प्रयुक्त एसिड
- कीटनाशक, शाकनाशक और घीटी, काकरोच और मच्छर मारने वाले रसायन और उनके खाली डिब्बे।
- रासायनिक खाद
- हल्के बल्ब, ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प्स (सी0एफ0एल0)
- एयरोसोल के डिब्बे
- स्टायरोफोम और साफ्ट फोम पैकेजिंग

- (9) "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट" का तात्पर्य संरचनाओं के निर्माण, कार्याकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई क्रियाकलापों, खुदाईकरण या गाद-हटाये जाने संबंधी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाले अपशिष्ट से है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ संरचनाओं का तात्पर्य सभी प्रकार के भवनों (दोनों आवासीय और गैर आवासीय), उपयोगिताओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मानव निर्मित किसी अन्य प्रकार की संरचना से है। निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में ईट, कंक्रीट, मलबा और अन्य चुनाई संबंधी सामग्रियां, मिट्टी, वृक्ष, किसी प्रकार की वनस्पति, घट्टान, काष्ठ (जिसमें चित्रित, उपचारित जड़ित काष्ठ और काष्ठ उत्पाद सम्मिलित हैं), भू-सफाई अपशिष्ट, भित्ति आवरण, प्लास्टर, शुष्क भित्ति प्लंबिंग के साज-समान, गैर-परिसंकटमय विद्युतरोधन, छतकरण, जलरोधी सामग्रियाँ और अन्य छतारण, डामर, खड़जा, प्लास्टिक, कागज, जिप्सम बोर्ड, विद्युत वायरिंग और संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त गैर परिसंकटमय सामग्रियों, पाइपों, स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य गैर परिसंकटमय धातुओं से अन्तर्विष्ट संपटक सम्मिलित हैं, किन्तु वे वही तक सीमित नहीं हैं :

परन्तु तथापि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अन्तरसीमा संचलन) नियम-2016 के अधीन यथा परिभाषित कोई परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथा परिभाषित ई-अपशिष्ट सम्मिलित है, भले ही वे संरचनाओं के निर्माण, कार्याकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई संबंधी क्रियाकलापों के फलस्वरूप हुये हों;

- (10) "मृत पशुओं" में ऐसे पशुओं की काया और अस्थियां सम्मिलित होंगे जो प्राकृतिक रूप में मृत हो जाते हैं या जिनका आकस्मिक रूप में वध कर दिया जाता है। इसमें वधशालाओं, कसाईबाड़ों और मांस बाजारों आदि के शव और पशुअंग सम्मिलित नहीं हैं;
- (11) "वधशाला/मांस/चिकन अपशिष्ट" में वधशालाओं, मांस, मत्स्य और चिकन स्टॉलों तथा बाजारों से जनित अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (12) "ई-अपशिष्ट" का तात्पर्य उत्सर्जनकर्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप में उत्सर्जित और साथ ही साथ विनिर्माण, निर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं से कूड़ा-करकट के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण सम्बन्धी अपशिष्ट से है, जो समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यथा परिभाषित हैं;
- (13) "उद्यान अपशिष्ट" में सामान्य घरेलू उद्यानकरण सम्बंधी क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित है जिनमें घास की कटाई, पत्तियाँ, पौधे, पुष्प और अन्य सामान्य प्रकार के लघु एवं हल्के जैविक चीजें सम्मिलित हैं किन्तु उनमें किसी भी लम्बाई के 40 एम0एम0 घने व्यास वाली वृक्ष शाखाओं वाले अपशिष्ट या उद्यान कृषि सम्बन्धी अपशिष्ट, थोक अपशिष्ट, सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अथवा उद्यान सेवा से संबंधित क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित कोई अन्य अपशिष्ट सम्मिलित नहीं हैं;
- (14) "परिसंकटमय अपशिष्टों" में ऐसे कोई अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनसे अकेले या अन्य अपशिष्टों या द्रव्यों के सम्पर्क में आने पर उनकी अपनी भौतिक, रासायनिक, प्रतिकारात्मक विष जनित, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी विशेषताओं में से किसी विशेषता के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा उत्पन्न हो या उत्पन्न होना संभाव्य हो और इनमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 या उसके किसी संशोधन में परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट सम्मिलित है;
- (15) "घरेलू/आवासीय अपशिष्ट" में घरेलू क्रिया-कलापों के फलस्वरूप एकल और बहु परिवार वाली इकाइयों से उत्सर्जित अपशिष्ट अथवा घरेलू पारिवारिक क्रियाकलापों यथा खाना बनाना, सफाई मरम्मत शिकरा, सजावट, रिक्त पात्र, पैकेजिंग, पहनावा पुस्तक, लेख-पत्र, समाचार-पत्र, उपस्कर, टेलीवीजन, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि उत्पादों से सम्बन्धित अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;

- (16) "औद्योगिक अपशिष्ट" में उद्योग के लिये अनोखे विशाल श्रेणी के पदार्थों से युक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं और औद्योगिक सक्रियाओं से निकली ठोस सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें लघु औद्योगिक संयंत्रों के ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका भू-भराई केन्द्रों पर प्रायः निस्तारित किये जाने वाले संयंत्रों की राख भी सम्मिलित होंगे;
- (17) "अक्रिय अपशिष्ट" में ऐसा कोई ठोस अपशिष्ट अथवा अवशेष सम्मिलित है जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशिष्टताएं उसे स्वच्छ भू-सफाई हेतु उपयुक्त बनाता है;
- (18) "संस्थागत अपशिष्ट" में ऐसी संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों सार्वजनिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और शोध संगठनों आदि से उद्भूत होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
- (19) "तरल अपशिष्ट" में मल वहन तरल अपशिष्ट और गाढ़ा मल अपशिष्ट सम्मिलित होगा;
- (20) "नगर पालिका अपशिष्ट" में नगर पालिका प्राधिकरण के क्रियाकलापों और उसकी सेवाओं के फलस्वरूप होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित हैं और इनमें सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने वाले अपशिष्ट यथा पथ अपशिष्ट, मृत पशु तथा बाजार अपशिष्ट भी सम्मिलित हैं;
- (21) "जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अनाशित सामग्री से निर्मित और सूक्ष्म जीवों या जैविकीय प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समयावधि के भीतर या किसी प्रवर्तित विधि द्वारा यथा विहित अवधि के भीतर सरलतर स्थायी योगिकों के रूप में क्षय न होने योग्य, लम्बी समयावधि तक पर्यावरण में रहने वाले कूड़ा या अपशिष्ट से है;
- (22) "प्लास्टिक अपशिष्ट" का तात्पर्य प्लास्टिक से निर्मित ऐसे किसी उत्पाद से है जिसे उपयोग करने के पश्चात् या जिसकी वांछित आयु समाप्त होने के पश्चात् परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 में विहित किया गया हो;
- (23) "पूजा सामग्री" का तात्पर्य किसी जैव नाशित या जैव अनाशित सामग्री, मूर्ति या किसी संस्कृति या धर्म पूजा में प्रयुक्त सामग्रियों से है;
- (24) "पुनर्चक्रीय अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट सामग्री से है जो नैसर्गिक रूप में पुनर्चक्रीय हो जिसमें निम्नलिखित अपशिष्ट सम्मिलित हैं किन्तु वे वहीं तक सम्मिलित नहीं हैं;
- (क) कागज उत्पाद-समाचार-पत्र, कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट, लेख-पत्र, लिफाफे, कार पार्क कूपन, विवरणिकायें, पम्पलेट, मैगजीन, पुस्तकें, दफती और कागज पैकेज (यथा धान्य डिब्बे और पेय पेटिया) खाद्य कागज आवरण और अन्य कागज उत्पाद;
- (ख) धातु उत्पाद-धातु निर्मित डिब्बे या पात्र यथा मृदु पेय डिब्बे, दुग्ध पाउडर डिब्बे तथा खाद्यान्न डिब्बे;
- (ग) प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद-प्लास्टिक निर्मित बोतल या पात्र यथा प्रक्षालक पात्र, दुग्ध पात्र, मिनरल वाटर बोतलें, मृदु पेय बोतलें, जूस बोतलें, प्लास्टिक पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद किन्तु जिन्हें स्टाइरोफोम, डिस्पोजेबुल कटलरीज, क्राकरी और पोलिथीन कैंरीबैग सम्मिलित नहीं हैं;
- (घ) कांच उत्पाद-जार, बोतल, खिड़की कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, सेरामिक तथा मत्स्य टैंक, जिनमें लाइट बल्ब सम्मिलित नहीं हैं;
- (ङ) कपड़े, चर्म, रेक्सीन;
- (च) काष्ठ उत्पाद;
- (25) "अवशिष्ट अपशिष्ट" का तात्पर्य सामग्री प्रति प्राप्ति, ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपचार या प्रसंस्करण सुविधा स्थलों, जो पुनर्चक्रण या अग्रतर प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त न हों किन्तु जो भू-भराई हेतु उपयुक्त हों, से उत्सर्जित अपशिष्टों तथा कूड़ा-करकटों से है और वे उनमें सम्मिलित हैं;
- (26) "मल अपशिष्ट" में मल प्रक्षालन नैफिन, तौलिया, फाहा, कन्डोम, डायपर्स तथा मलरोधी पैड/चादर संबंधी अपशिष्ट तथा अन्य समान अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (27) "ठोस अपशिष्ट" का तात्पर्य मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक/आवासीय संस्थागत अपशिष्ट, खानपान तथा बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, पथ सफाई संबंधी अपशिष्ट, भू-पृष्ठ स्थित नालियों से निकाले गये या संग्रहीत किये गये गाद, उद्यान अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट और औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को अपवर्जित करते हुए उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर जनित या लाये गये अपशिष्ट सहित ऐसे ठोस या अर्द्ध ठोस अपशिष्ट से है, जिसमें वे सम्मिलित हैं;
- (28) "पथ सफाई" में ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे जो पथों पगडण्डियों, वीथिकाओं, पार्कों और रिक्त भू-भागों से संग्रहीत हों।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची-दो

प्रयोक्ता शुल्क

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
1	श्रेणी : आवासीय भवन यथारिथति प्रति एकल परिवार/ प्लैट/किरायेदार, हेतु बहुमंजिले भवनों का निर्मित क्षेत्रफल और एकल मंजिला का भू-क्षेत्रफल हेतु लागू टिप्पणी: यदि एक ही परिसर में एक से अधिक परिवार (उदाहरण स्वरूप किराएदार) निवास कर रहे हों तो पृथक अपशिष्ट उत्सर्जक होते हुए अतिरिक्त परिवार पर नियत धनराशि से अधिक शुल्क प्रभारित किया जायेगा। उसी प्रकार से एक से अधिक प्लैट वाले बहुमंजिले भवन/अपार्टमेन्ट हेतु प्रत्येक प्लैट स्वामी/किरायेदार पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा और परिवारों/ प्लैटों/किराएदारों की संख्या के आधार पर आगणित कुल धनराशि परिसर से संग्रहीत की जायेगी।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	500 वर्ग फीट से कम	40 रुपये	35 रुपये	35 रुपये	30 रुपये
ii	500 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट तक	100 रुपये	80 रुपये	75 रुपये	50 रुपये
iii	2000 वर्ग फीट से 2500 वर्ग फीट तक	125 रुपये	120 रुपये	100 रुपये	80 रुपये
iv	2500 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	200 रुपये	150 रुपये	135 रुपये	120 रुपये
v	5000 हजार वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये	250 रुपये	200 रुपये	150 रुपये
2 क	श्रेणी : दुकानें (गैर वातानुकूलित दुकानों हेतु, दुकान के आकार पर आधारित प्रयोक्ता शुल्क) टिप्पणी : यदि दुकान पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित शुल्क में 1.5 से गुणा किया जायेगा अर्थात् प्रयोक्ता शुल्क नीचे यथा विहित दरों से डेढ़ गुना उदगृहीत किये जायेंगे।	नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	100 वर्ग फीट तक	80 रुपये	60 रुपये	50 रुपये	40 रुपये
ii	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट तक	100 रुपये	75 रुपये	60 रुपये	50 रुपये
iii	200 वर्ग फीट से 300 वर्ग फीट तक	125 रुपये	110 रुपये	100 रुपये	70 रुपये

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
iv	301 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक	200 रुपये	150 रुपये	125 रुपये	80 रुपये
v	500 वर्ग फीट से अधिक	200 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 10 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क	150 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 6 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क	125 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क	80 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क
2 ख	श्रेणी : सड़क के किनारे फेरीवाले/पथ विक्रेता/आदि (जिन्हें स्थायी रूप से निर्मित संरचना पर चलाया/संचालित न किया जा रहा हो)	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	ठेला/गुमटी/खोमचे/खाद्यान्न स्टाल/फेरी वाले/आदि	75 रुपये	60 रुपये	50 रुपये	35 रुपये
ii	सचल खाद्यान्न वैन	200 रुपये	175 रुपये	150 रुपये	100 रुपये
iii	साप्ताहिक या समय समय पर लगाये जाने वाले बाजार में सड़क के किनारे फेरीवाले/पथ विक्रेता/खोमचे वाले/खाद्यान्न स्टाल/आदि (उदाहरण स्वरूप-साप्ताहिक बाजार)	15 रुपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है	10 रुपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है	10 रुपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है	5 रुपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है
3	श्रेणी : सरकारी विभाग (केन्द्र/राज्य) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के स्वामित्वाधीन अतिथि गृह	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	4 कमरों तक	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
ii	4 कमरों से अधिक	500 रुपये + चार कमरों से अधिक होने पर 30 रुपये प्रति कमरा अतिरिक्त	400 रुपये + चार कमरों से अधिक होने पर 25 रुपये प्रति कमरा अतिरिक्त	300 रुपये + चार कमरों से अधिक होने पर 20 रुपये प्रति कमरा अतिरिक्त	200 रुपये + चार कमरों से अधिक होने पर 10 रुपये प्रति कमरा अतिरिक्त
4	श्रेणी: छात्रावास (किसी संस्थागत शैक्षणिक परिसर के अंदर नहीं), जिन्हें निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा हो उदाहरण स्वरूप कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, निजी छात्रावास आदि	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	10 बेड तक	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
ii	10 बेड से अधिक	500 रुपये + 50 रुपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए	400 रुपये + 40 रुपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए	300 रुपये + 30 रुपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए	200 रुपये + 20 रुपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से उत्पन्न अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
5 क	श्रेणी : गैर-वातानुकूलित वाणिज्यिक भोजनालय/रेस्टोरेंट/ढाबा/जलपान गृह/होटल/मिठाई की दुकानें आदि (अधिरात्रिविश्राम/लॉजिंग/यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था सुविधा के बिना केवल खाने की सुविधा हो) (प्रयोक्ता शुल्क बैठने की क्षमता के आधार पर होंगे) टिप्पणी- यदि परिसर पूर्णतः या आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित प्रयोक्ता शुल्कों में 1.5 से गुणा किया जायेगा। उदाहरणार्थ यह नीचे यथा विहित दर से डेढ़ गुना अधिक उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	10 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता	500 रुपये	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
ii	10 से 20 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	750 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये
iii	20 से 50 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	1000 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये
iv	50 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता (ऐसे परिसर जिनका उपयोग सामूहिक आयोजनों/बैंकवेट बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता हो)	2000 रुपये	2000 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये
5ख	श्रेणी : अतिथियों के अधिरात्रि विश्राम हेतु कक्ष सुविधा सहित छात्रावास। होटलों में प्रदत्त रेस्टोरेंट/भोजन सुविधा द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट और अतिथियों के निवास/वास के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट को पृथक-पृथक जोड़कर प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत और आगणित किये जायेंगे। मासिक शुल्क के अनुसार दोगों की गणना की जायेगी और उन्हें जोड़ा जायेगा। इस प्रकार उक्त गणना निम्नानुसार की जायेगी:- (1) होटल द्वारा अपने परिसर के भीतर 5क के अनुसार प्रदत्त रेस्टोरेंट/भोजन सुविधा हेतु विहित प्रयोक्त शुल्कों की गणना की जायेगी और इसे नीचे 5 ख के रूप में विहित प्रयोक्ता शुल्कों में जोड़ दिया जायेगा।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
i	10 कमरों तक	2000 रुपये	1750 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये
ii	10 कमरों से 20 कमरों तक	3500 रुपये	3000 रुपये	2500 रुपये	2000 रुपये
iii	20 से अधिक कमरे	3500 रुपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 200 रुपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क	3000 रुपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 200 रुपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क	2500 रुपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 100 रुपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क	2000 रुपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 75 रुपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क
6	श्रेणी : वाणिज्यिक कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय आदि (निर्मित क्षेत्रफल पर आधारित) टिप्पणी : यह प्रयोक्ता शुल्क भवन में संचालित एकल कार्यालय के लिए है और यदि उसी भवन में कई कार्यालय संचालित हो रहे हों तो प्रत्येक कार्यालय शुल्क कार्यालय द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्रफल पर आधारित होगा।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	1000 वर्ग फीट तक	300 रुपये	250 रुपये	200 रुपये	150 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
iii	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	400 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	200 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
iv	भवन परिसर के भीतर कैंटीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	400 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 6 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	200 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
7	श्रेणी : सरकारी विभागों/स्थानीय निकाय/ के स्वामित्व वाले कार्यालय (उदाहरण स्वरूप ऐसे विभाग/ कार्यालय, जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं) जिनके द्वारा	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से दोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
	नागरिकों को गैर वाणिज्यिक आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती है।				
i	1000 वर्ग फीट तक	200 रुपये	175 रुपये	150 रुपये	100 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	350 रुपये	300 रुपये	250 रुपये	150 रुपये
iii	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	300 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	250 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	150 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
iv	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये, 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	400 रुपये, 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये, 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	150 रुपये, 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
8 क	श्रेणी : गैर-आवासीय शैक्षणिक संस्थायें (प्ले स्कूल/कोचिंग क्लास, स्कूल और कॉलेज) सरकारी या गैर-सरकारी दोनों तरह के टिपण्णी- यदि शैक्षिक संस्था अपने परिसर के भीतर कैंटीन चला रही हो तो विहित प्रयोक्ता शुल्कों में गुणक घनराशि 1.5 से गुणा (डेढ़ गुणा) किया जायेगा। विहित प्रयोक्ता शुल्क उन संस्थानों के लिए है जहां विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित होते हैं और यदि स्कूल/संस्थान अपने परिसर में छात्रावास संचालित करते हैं तो छात्रावास के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट के लिए अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा, जो 8ख में उल्लिखित है।	नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	100 विद्यार्थियों तक	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
ii	100 से अधिक और 500 विद्यार्थियों तक	750 रुपये	600 रुपये	500 रुपये	350 रुपये
iii	500 से अधिक और 1000 विद्यार्थियों तक	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये	700 रुपये
iv	1000 विद्यार्थियों से अधिक	1500 रुपये + एक हजार	1200 रुपये + एक हजार	1000 रुपये + एक हजार	700 रुपये + एक हजार

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
		विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 200 रुपये की दर से अतिरिक्त	विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 150 रुपये की दर से अतिरिक्त	विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 100 रुपये की दर से अतिरिक्त	विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 50 रुपये की दर से अतिरिक्त
8 ख	किन्हीं शैक्षिक संस्थाओं के या किसी शैक्षिक संस्था के स्वामित्वाधीन परिसर के भीतर वहाँ के छात्रों के लिये आवासीय छात्रावास (विहित शुल्क 8 क में उद्ग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त है)	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	छात्रावास में 100 छात्रों तक	1000 रुपये	800 रुपये	750 रुपये	500 रुपये
ii	100 से अधिक और 300 छात्रों तक	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये
iii	300 से अधिक और 500 छात्रों तक	2000 रुपये	1750 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये
iv	500 छात्रों से अधिक	2000 रुपये, + पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 200 रुपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त	1750 रुपये, + पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 150 रुपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त	1500 रुपये + पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 100 रुपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त	1000 रुपये + पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 50 रुपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त
9क	श्रेणी : स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठाग (क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशालाएं, निदान केंद्र/ पैथोलॉजिकल, सेंटर्स/आदि) टिप्पणी: विहित प्रयोक्ता शुल्क केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होंगे अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट को छोड़कर, जिसका निस्तारण एच0सी0एफ0 द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	500 से कम वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
ii	500 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
iii	2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतः रोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2000 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये	500 रुपये
9ख	सरकार द्वारा अथवा जिला/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा संचालित समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देख-भाल प्रतिष्ठान अर्थात् अंतः रोगी सुविधा वाले राजकीय चिकित्सालय)	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	10 बेड से कम	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये
ii	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	3000 रुपये	2000 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये
iii	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 3000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 2000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 125 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 1500 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 75 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 1000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 50 रुपये की दर से अतिरिक्त
9 ग	निजी व्यक्ति/कम्पनी/या अन्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान, जिनके पास सरकारी स्वामित्व से भिन्न स्वामित्व हो (निजी नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय)				
i	10 बेड से कम	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये
ii	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	5000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये	1500 रुपये
iii	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 5000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 400 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 3000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 250 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 2000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 1500 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 100 रुपये की दर से अतिरिक्त
10	श्रेणी : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) (अधिकृत क्षेत्र) (प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु है और किसी परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण, इकाई द्वारा अलग से अपने व्यय पर किया जायेगा)	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	1000 वर्ग फीट तक	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये +	400 रुपये +	350 रुपये +	200 रुपये +

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
		1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त
11	गोदाम, भंडागार, शीत गृह (क्षेत्र) टिप्पणी : प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु है।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	1000 वर्ग फीट तक	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	400 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	200 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त
12	मैरिज हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला हॉल, खुला स्थान, (जिसमें समारोहों/एक बार के समारोह, जिसमें भोजन सहित अतिथि सम्मिलित है, के लिए अस्थायी टेंट/मानक व्यवस्था/सम्मिलित) इन्हीं सुविधाओं वाले होटल इसमें सम्मिलित नहीं है। टिप्पणी : यहां विहित प्रयोक्ता शुल्क प्रतिदिन के लिये है और शुल्क की गणना, समारोह की मेजबानी करने वाले स्वामी के भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर की जायेगी। नगरीय स्थानीय निकाय को समारोह बुकिंग करने के दिनांक/उसकी संख्या के सम्बन्ध में सूचित करना स्वामी का कर्तव्य होगा।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	300 वर्ग मीटर तक (यह आयोजन के प्रत्येक दिवस के अनुसार नियत होगा और तदनुसार शुल्क ग्रहण किया जायेगा)	1000 रुपये प्रतिदिन	800 रुपये प्रतिदिन	750 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन
ii	300 वर्ग मीटर से अधिक	1000 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के	800 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम	750 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर	500 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
		लिए अधिकतम 5000)	3000)	(आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 2000)	(आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 1500)
13	श्रेणी : पेट्रोल पंप	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	पेट्रोल पम्प, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान न हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन)	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये
ii	पेट्रोल पम्प, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन)	1000 रुपये	700 रुपये	500 रुपये	400 रुपये
14	श्रेणी : नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर /स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर प्रयोक्ता शुल्क, क्षेत्रफल और सुविधा के प्रकार (वातानुकूलित/ गैर-वातानुकूलित) के आधार पर उद्ग्रहीत किये जायेंगे।	नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर-निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से कम	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये
ii	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्ग फीट से कम	1500 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये
iii	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक	2500 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये
iv	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार- गैर-वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से कम	200 रुपये	175 रुपये	150 रुपये	100 रुपये
v	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्ग फीट से कम	400 रुपये	300 रुपये	250 रुपये	150 रुपये

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)					
vi	नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार-गैर यातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये	350 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
15	श्रेणी : प्रिंटिंग प्रेस (गैर-परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोक्ता शुल्क)	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	500 वर्ग फीट तक	350 रुपये	250 रुपये	200 रुपये	150 रुपये
ii	500 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	250 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	200 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	150 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त
16	मोटर यान धुलाई/सर्विस सेंटर (गैराज/फेब्रीकेशन दुकान/सर्विस सेंटर) इनमें छोटी मरम्मत की दुकानें सम्मिलित नहीं हैं, उन पर इस अनुसूची की क्रम संख्या 2 में उल्लिखित प्रतिमानों के अनुसार प्रति वाणिज्यिक दुकानों के मानकों के हिसाब से शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क उद्गृहीत किये जायेंगे।	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
i	1000 वर्ग फीट तक	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट तक	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये
iii	2000 वर्ग फीट से अधिक	1000 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 20 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	750 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 15 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	500 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त

अन्य श्रेणियां: (क्रियाकलापों के प्रकार पर आधारित)	नगर निगम क्षेत्रफल जिसकी जनसंख्या 6 लाख या उससे अधिक हो	नगर निगम क्षेत्रफल जिसकी जनसंख्या 6 लाख से कम हो	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
17 मांस की दुकान/मछली की दुकान/चिकन (मुर्गे के मांस) या कोई अन्य ऐसी दुकान जहां पर कच्चा/बिना पकाया हुआ मांस फुटकर में विक्रय होता हो (बधशालाओं को छोड़कर)	400 रुपये	350 रुपये	300 रुपये	250 रुपये

18	वाइन की दुकानें (बियर की दुकान सम्मिलित है)	750 रुपये	600 रुपये	500 रुपये	400 रुपये
19	मॉडल मदिरा शॉप	2000 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये
20 क	श्रेणी : मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग माल्स (प्रतिदिन 5 टन तक अपशिष्ट उत्सर्जन हेतु)	25000 रुपये	20000 रुपये	15000 रुपये	10000 रुपये
20 ख	प्रतिदिन 5 टन अपशिष्ट उत्सर्जन से अधिक उत्सर्जित मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग माल्स	25000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अधिक होने पर, 5000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन	20000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न होने पर, 4000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन	15000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न होने पर, 3000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन	10000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न होने पर, 2000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन
21	सिनेमा हॉल (मॉल में स्थित मल्टीप्लेक्स से भिन्न) सिनेमा हॉल की कुल सीटों की संख्या में विहित शुल्क से गुणा कर बैठने वाली सीट की क्षमता के आधार पर मासिक प्रयोक्ता शुल्क की गणना की जायेगी।	10 रुपये	6 रुपये	5 रुपये	3 रुपये
22	भंडारा/लंगर (एक दिन होने पर)	200 रुपये	150 रुपये	125 रुपये	100 रुपये
23	अन्य, जो उपरोक्त में उल्लिखित नहीं हैं।	नगरीय स्थानीय निकाय के आंकलन के अनुसार			

अनुसूची तीन

अपराध/उल्लंघन शास्ति/स्थलीय जुर्माना शुल्क

विनिर्दिष्ट अपराध	8 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	8 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	
कूड़ा फैलाने/उपताप करने/स्वच्छ आगन उपताप करने के प्रत्येक दृष्टांत /कृत्य हेतु शास्ति/स्थलीय जुर्माना निम्नलिखित रूप में उद्ग्रहीत किया जावेगा:-					
1	अपशिष्ट क्षेपित करना, निक्षेपित करना, उन्मोचित करना, उसे फैलाना या बेकार छोड़ना अथवा ऐसे अपशिष्ट को क्षेपित, उन्मोचित, बिखारत या मोचित कराना या कराने की अनुज्ञा देना, चाहे उक्त अपशिष्ट किसी पात्र या आधान में, किसी पात्र के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में या पर या ऐसे संस्था, जो इस प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्ट रूप से संसूचित उपबंधित या पृथक रखा गया हो; पर हो या न हो। इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं हैं:-				
क	कोई अध्यासित खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
ख	किसी जल स्रोत के किनारे पर या फिर जल संग्रहण स्थल स्रोत में यथा-नदी, जल मार्ग, सीवर, झंझा जल नाले	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020

44

विनिर्दिष्ट अपराध	5 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर नियम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर नियम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
(इसमें पूजा सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकना, सम्मिलित है।)				
ग सार्वजनिक पथ या निजी पथ अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर जो किसी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर इत्यादि के पास हो	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
घ शैक्षणिक संस्थायें, चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी संस्थायें, स्थल, धार्मिक विरासतीय इमारतें	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये
2 जान-बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को इस प्रकार रखना, जमा करना अथवा, रखने/जमा करने की अनुज्ञा देना जिससे वह 24 घंटे से अधिक समय तक उक्त परिसर में संग्रह रहे।	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
3 नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर यान चलाते समय या फिर खड़े यान से या फिर किसी यान से यात्रा करते समय किसी सार्वजनिक या निजी सड़क या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर में अपशिष्ट फेंकना/डालना। किसी ऐसे यान का कोई चालक ऐसे यान में किसी भी यात्री को थूकने या फिर इस तरह से अपशिष्ट फेंकने या जमा करने नहीं देगा।	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
4	क प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री में लिप्त होना जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/ प्रतिबंधित है।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्त्र/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।			
	ख प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/ प्रतिबंधित है।				
5	थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो।	250 रुपये	150 रुपये	100 रुपये	50 रुपये
6	किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या दहन करने या मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये

विनिर्दिष्ट अपराध	8 लाख से इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	8 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
<p>किसी मार्ग के किनारे, एकत्र स्थलों या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण करना। यह प्रतिषेध समस्त प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होगा, जिनमें सफाई कर्मचारी या नगरीय स्थानीय निकाय के अन्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अपशिष्ट उत्पापक या सड़क, पथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता कार्य में संलग्न कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है।</p>				
<p>7 बिना ढंके (अनकवर्ड) हुए किसी ट्रक या अन्य ऐसे यान को चलाना या स्थान-परिवर्तन करना जो अपशिष्ट/कूड़ा से भरा हो</p>	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये
<p>8 अपने पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करने देकर सड़कों/पार्कों/सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा करना। टिप्पणी : किसी मल त्याग किये जाने की स्थिति में स्वामी को पालतू जानवरों के सड़कों पर मल त्याग को अपने घर को ले जायेगा ताकि इसका निस्तारण मल वहन के माध्यम से बहाकर किया जा सके अन्यथा शास्ति उद्ग्रहीत किया जायेगा।</p>	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
<p>9 निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट या किसी प्रकार के अपशिष्ट को झंझा-जल नालियों, सड़क के फुटपाथ, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित खुले मैदानों और/या सार्वजनिक</p>	3000 रुपये	2500 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये

विनिर्दिष्ट अपराध	8 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	8 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
मार्गों के किनारे जमा करना या फैलाना				
अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा पृथक्करण, परिदान और संग्रहण किये जाने संबंधी उपबंध				
10 अपृथक्कृत और पृथक डिब्बों में न रखे गये शुष्क, आर्द्र और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये प्रति माह विहित प्रयोक्ता शुल्क के अतिरिक्त शास्तिक धनराशि प्रति माह प्रभारित की जायेगी)	200 रुपये प्रतिमाह	150 रुपये प्रतिमाह	100 रुपये प्रतिमाह	50 रुपये प्रतिमाह
11 निर्माण और ध्वस्तीकरण थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपृथक्कृत निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	2000 रुपये	1200 रुपये	750 रुपये	500 रुपये
12 अपृथक्कृत उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल और कतरनों का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	200 रुपये	100 रुपये	75 रुपये	50 रुपये
13 अपृथक्कृत मत्स्य, कुक्कुट, और मांस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शास्तिक धनराशि प्रभारित की जायेगी।)	750 रुपये प्रतिमाह	500 रुपये प्रतिमाह	300 रुपये प्रतिमाह	150 रुपये प्रतिमाह
14 किसी थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण तथा परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शास्तिक धनराशि प्रभारित की जायेगी।)	1000 रुपये प्रतिमाह	750 रुपये प्रतिमाह	500 रुपये प्रतिमाह	350 रुपये प्रतिमाह
15 नगरीय स्थानीय निकाय में रजिस्ट्रीकरण और वहाँ से	500 रुपये प्रति	400 रुपये प्रति	300 रुपये प्रति	200 रुपये प्रति

विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
प्राधिकार के बिना अपशिष्ट संग्रहण किया जाना।	अपराध पर	अपराध पर	अपराध पर	अपराध पर
नालों/मल नालियों/सोक पिट से संबंधित उपबंध				
16 निजी नालियों/सीवर लाइनों से घरेलू मल/मल जल/बहिस्त्राव को किसी झंझा-जल नालियों, मार्गों, खुले मैदान, जल स्रोतों, जलमार्गों, कृषि भूमि, अथवा अन्य किन्हीं गैर अभिहित अवस्थानों पर प्रवाहित किया जाना या प्रवाहित किये जाने देना।	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
17 किसी ऐसे सामग्री को नाली के प्रवाह में आने दिया जाना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित किया जाना	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
18 खुले नालों और/या मैनहोलों में किसी ऐसी सामग्री को जमा किया जाना या जमा किये जाने देना जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा/जाम होने की स्थिति बने। यह उपबंध नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए लागू है जो खुले नालों में मार्गों की सफाई से निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, अपशिष्ट उत्सर्जक के निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट आदि को जमा करते हैं।	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये
19 औद्योगिक बहिस्त्राव अथवा विशेष रूप से किसी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, बधशालाओं और मांस बाजार, दुग्धशाला और पशुपालन स्थल, कर्मशाला या गैराज के	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये

विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
क्रियाकलाप की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक बहिष्कारों का आवश्यक विहित उपचार किये बिना उन्हें सार्वजनिक मल नालों में बहाना या बहाने देना।				
20 किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/ अभिकर्ता द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गंदे नाले, और मलकुंड में हाथ से कार्य करने देना	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
21 अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में जल जमाव/अपशिष्ट क्षेपण /अस्वास्थ्यकर स्थितियों / अस्वच्छ स्थितियों/द्वारा आदि न होने देना, जिससे रोगवाहक विषाणु प्रजनित हो सकें अथवा उनके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हों	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
अन्य विनिर्दिष्ट अपराध				
22 विक्रय स्थल पर किसी विक्रेता /फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैव नाशित और अन्य अपशिष्ट रखा जाना	25 रुपये प्रतिदिन	20 रुपये प्रतिदिन	15 रुपये प्रतिदिन	10 रुपये प्रतिदिन
23 यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमावड़ा करता है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है।	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी
24 यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति, परिवार, आवासीय सोसाइटियां	1000 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	750 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	250 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता

विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
/कालोनिया और थोक अपशिष्ट उत्सर्जक, जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	में आयी लागत
25 यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के अंचल और सीमांत ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	1000 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	750 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	250 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत
26 यानों, ट्रकनों, डिब्बों, हाथ-गाड़ी, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा और जो नगरीय स्थानीय निकाय अथवा इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अनिकरण द्वारा उपबंधित उपकरण सहित किसी अवसरचना को बिना अनुज्ञा के क्षतिग्रस्त करना या उन्हें हटाना	2000 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/ प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	1500 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/ प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	1000 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	500 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत
27 नदियों/जलाशयों/नालों/जल ग्रहण क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण	3000 रुपये	2000 रुपये	1000 रुपये	500 रुपये
28 यदि मंडारा या लंगर आयोजित करने वाला/वाले कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बे उपलब्ध नहीं कराते हैं।	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव।

RECIPTS OF CHALLAN

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

बुक संख्या..... 272
रसीद संख्या..... 27118

श्री. 21/शीघ वार्ड सं०.....

मुहल्ला: लेल रोड से रूपया (शब्दों में) हजार रूपया मात्र /-

वास्ते कूड़, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया 0.00 /-.....

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नं० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 11/25.....

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

बुक संख्या..... 244
रसीद संख्या..... 24378

श्री. नंदकु सिंघ वार्ड सं०.....

मुहल्ला: गोरखपुर से रूपया (शब्दों में) पाँच हजार 54 /-

वास्ते कूड़, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया 5400 /-.....

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नं० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 14/08/25.....

online

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

बुक संख्या..... 292

रसीद संख्या..... 29116

श्री..... दिनेश कुमार..... वार्ड सं०.....

मुहल्ला..... चहैरी गल्ली..... से रूपया (शब्दों में)..... पाँच हजार २००/-

वास्ते कूड़, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया..... 5000/-


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

न० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक..... 5/12/25

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

बुक संख्या..... 271

रसीद संख्या..... 27030

श्री..... रामेश्वर पाण्डे..... वार्ड सं०.....

मुहल्ला..... चहैरी गल्ली..... से रूपया (शब्दों में)..... पाँच हजार २००/-

वास्ते कूड़, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया..... 5000/-


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

न० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक..... 14/11/25

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

नं० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में
पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम
में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

बुक संख्या..... 244
24377

दिनांक..... 19/05/25

रसीद संख्या.....

श्री..... वार्ड सं०.....

मुहल्ला..... से रूपया (शब्दों में).....

वास्ते कूड़, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया.....

नगर आयुक्त

नगर निगम, गोरखपुर

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

नं० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में
पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम
में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

बुक संख्या..... 272

दिनांक..... 11/12/25

रसीद संख्या..... 27139

श्री..... वार्ड सं०.....

मुहल्ला..... से रूपया (शब्दों में).....

वास्ते कूड़, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया.....

नगर आयुक्त

नगर निगम, गोरखपुर

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

नं० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

दिनांक.....14/11/25

बुक संख्या..... 269

रसीद संख्या..... 26818

श्री..... कुशिका..... वार्ड सं०.....

मुहल्ला..... केदार..... से रूपया (शब्दों में)..... बीस हजार ६० मात्र /

वास्ते कूड़ा, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया..... 50250 /

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर निगम, गोरखपुर

प्रशासनिक शुल्क

नं० NGT द्वारा CA/NO 613/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.24 के क्रम में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

दिनांक.....14/11/25

बुक संख्या..... 271

रसीद संख्या..... 27029

श्री..... अमिता शर्मा..... वार्ड सं०.....

मुहल्ला..... केदार..... से रूपया (शब्दों में)..... बीस हजार ६० मात्र /

वास्ते कूड़ा, मलवा, अतिक्रमण निस्तारण हेतु प्राप्त किया।

रूपया..... 50250 /

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

कार्यालय, नगर निगम हथालन, गोरखपुर

06 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 23/न0आ0/एस0बी0एम0/2019-20-नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों, 2018 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के तहत अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये समस्त पूर्ववर्ती नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करके प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 03 मई, 2018 तथा मा0 सदन की पाँचवी बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 में नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों का प्रस्ताव पारित किया गया। तदपश्चात नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों जनसाधारण के सूचनार्थ दिनांक 09 मार्च, 2019 को "हिन्दुस्तान" हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र तथा "अमर उजाला" हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में एक माह के भीतर आपत्ति एवं अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकाशित कराया गया। उपरोक्त दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित आपत्ति/अनापत्ति आमंत्रण की कार्यवाही में नियमानुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। आपत्तियों/अनापत्तियों के निस्तारण हेतु नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, तथा मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी की गठित कमेटी ने निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन किये जाने की संस्तुति आख्या दिनांक 10 जून, 2019 को नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। उत्क्रम में नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों 2018 के प्रस्ताव को पुनः अन्तिम रूप से पारित किये जाने हेतु मा0 नगर निगम सदन की 11वीं बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2019 प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पारित हुआ। तदनुक्रम में नियमावली राजकीय गजट हेतु प्रस्तावित है।

उपविधि

1-संक्षिप्त नाम-

यह उपविधियों नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व हथालन उपविधियों, 2018 कहलायेगी।

2-लागू होना-यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

3-परिभाषाएँ-

(1) वातनिरपेक्ष पाचन से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें आक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबायिल नियोजन अंतर्वलित है।

(2) प्राधिकार से सुविधा के प्रचालक को बोर्ड या समिति द्वारा दी गयी सहमति अभिप्रेत है।

(3) जैव निम्नकरणीय पदार्थ से वह पदार्थ अभिप्रेत है, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है।

(4) जैविक मीथेनीकरण से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिये सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाइमी विघटन करती है।

(5) संग्रहण से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाया या हटाया जाना अभिप्रेत है।

(6) कचरा खाद बनाने से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैविक निम्नकरण अंतर्वलित है।

(7) निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण मरम्मत और ढहाने से सम्बन्धित कार्यवाही के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़िया और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

अपर नगर आयुक्त

(8) व्ययन से भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी स्मरणीय ठोस अपशिष्टों को अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(9) प्रारूप से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है।

(10) अपशिष्टों के उत्पादक से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।

(11) भूमिवरण से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल, अस्थिरता और कटाव के लिये संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गयी सुविधा में अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है।

(12) निक्षालितक से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलिव अथवा लिम्बित पदार्थ का निष्करण किया है।

(13) लाइसोमीटर से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उसमें से जल की गति मापने के लिये किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणात्मक विश्लेषक के लिये अन्तःस्रव जल के एकत्रण के लिये किया जाता है।

(14) नगर निगम प्राधिकारी से नगरीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(15) ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचरित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अभिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(16) प्रसुविधों के प्रचालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथक्करण भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटाने की सुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन व हथालन के लिये नगर निगम, प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है।

(17) गुटिकारण से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे गुटिकायें तैयार की जाती हैं। ठोस अपशिष्टों से तैयार की गयी लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़े होंगे और इसके अन्तर्गत ईंधन गुटिकायें भी आती हैं जिसे कचरे से प्राप्त ईंधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है।

(18) प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(19) पुनःचक्रण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिये पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तित करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है।

(20) अनुसूची से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(21) पृथक्करण से नगरीय ठोस अपशिष्ट को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्ट को अलग-अलग वर्गों में करना अभिप्रेत है।

(22) राज्य बोर्ड या समिति से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है।

(23) भण्डारण से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है। जिसमें कूड़ा करकट बिखेरने, रोग वाहकों को आकर्षित करने, आवास पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

अपर नगर आयुक्त
उत्तर प्रदेश गजट

(24) परिवहन से विशेष रूप से डिजाईन की गयी परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध कूड़ा करकट बिखरने, रोगवाहकों के कण को रोका जा सके।

(25) अधिभौमजल से वह जल अभिप्रेत है, जो भू-सतह तथा भौम जल स्तर के मध्य अर्थात् असंतृप्त क्षेत्र में होता है।

(26) कृमि कचरा खाद बनाना जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिये केचुओं का उपयोग में जाने की प्रक्रिया है।

4-नगर ठोस अपशिष्टों का प्रथक्करण-

(1) समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उद्गम स्थल पर ही पृथक-पृथक सूखा एवं गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण हेतु उपलब्ध करायी गयी सेवा का मासिक शुल्क देकर निस्तारण करना होगा, ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट न फैले अन्यथा एन्टी लिटरिंग के लिये मौके पर कैरिंग चार्जज वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग भी दायर किया जा सकेगा।

(2) नगर निगम गोरखपुर द्वारा समय-समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय सेनीटेशन वेलफेयर, एसोसियेशन, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, नगर निगम गोरखपुर के कर्मियों/अनुबन्ध सुफाई कर्मियों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये अधिकृत होगा।

5-नगरीय ठोस अपशिष्टों को भण्डारण-

नगर निगम गोरखपुर अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय-संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों द्वारा अस्वास्थ्यपरक/अस्वच्छकारी परिस्थितियों पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा-

(1) निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के धनत्व को ध्यान में रखते हुये भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी, परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा मोबाईल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर होगी, जहां प्रयोक्ता पहुँच सके।

(2) नगर निगम गोरखपुर अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उलब्ध करायी जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो, सौन्दर्यपरक रूप में प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं कूड़ेदान के भीतर ही अपना कचरा खाली कर सकें।

(3) नगर निगम गोरखपुर द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नानुसार रंग के पृथक-पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं-

(ए) हरा	-	जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।
(बी) सफेद	-	पुनःचक्रण योग्य अपशिष्टों हेतु।
(बी) काला/पीला/नीला	-	अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथालन निकाले जाने और परिवहन के लिये सुगम प्रचालन डिजाईन कैरियर वाहन काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।

अपर नगी आयुक्त
अपर निगम, गोरखपुर

(4) शहर में स्थित सभी को-आपरेटिव, सोसाइटीज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनर जिसकी डिजाइन नगर निगम गोरखपुर द्वारा अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित कर सकें ताकि वहाँ उत्सर्जित दैनिक कचरे की भलि-भौंति भण्डारण हो सके, जिसे नगर निगम गोरखपुर वाहनों की व्यवस्था करवा कर उठवा सके।

(5) समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि अपने परिसर में उत्पन्न पुनःचक्रिय अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रैगपीकर्स) नगर निगम गोरखपुर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाड़ी को विक्रय कर दें, व किसी भी स्थिति में आम सड़क पर अथवा नगर निगम के कूड़ेदान/कन्टेनर में न डालें।

(6) अन्य समस्त कार्यवाही नगर निगम गोरखपुर द्वारा (बी0ओ0टी0/बी0जी0एफ0/स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर) की जायेगी और इस व्यवस्था का सभी संस्थान नगर निगम गोरखपुर द्वारा अनुमोदित यूजर चार्ज देकर अपनाना होगा, अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट को फैलाने वालों से कैरिंग चार्जज मौके पर तत्काल वसूल किया जायेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(7) बूचड़खानो मांस-मछली, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्टों का जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में जाया जा सके और इसमें कोई संक्रामक बीमारी नहीं फैले। यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपना प्रबन्ध कर इसका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगर निगम अपशिष्ट फैलाने पर कैरिंग चार्जज को अपना कर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर कैरिंग चार्जज मौके पर वसूल किये जा सकेंगे अथवा मा0 न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(8) जैव चिकित्सीय, अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा, और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिये प्रथम रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के नियमानुसार निस्तारण हेतु कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी संयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(9) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को ट्राई साइकिल रिक्शों अथवा आटो ट्रिपर गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुये कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लान्ट पर डलवाया जायेगा।

(10) बागवानी और निर्माण/ढहाये गये कार्यों से उदभूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानको के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। बागवानी के अपशिष्टों को नगर निगम गोरखपुर के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्यान्ह तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिवहन सम्भव हो सके। निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के अपशिष्ट को मकान मालिक अपने स्वयं के प्रबन्धन पर अथवा नगर निगम गोरखपुर द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन कराकर निर्धारित चिन्हित गन्तव्य स्थल तक पहुँचाना होगा। खुले स्थलों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलबा डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा।

(11) अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी प्रतियाँ) को जलाया नहीं जायेगा।

(12) आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आस-पास मूलरूप से घुमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबंध करना होगा।

(13) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड़, पानी नाइट, स्वायल, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा, एवं मा0 न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

(14) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्कों इत्यादि में एकत्रित नहीं करेगा। किसी प्रकार का प्रदूषण गंदगी फैलाते हुये पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध होगा और उससे कौरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

6-नगर निगम गोरखपुर का दायित्व-

(1) नगर निगम गोरखपुर प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी, क्षेत्र बाजारों पर्यटक स्थलों के आस-पास नगर निगम गोरखपुर के स्वयं के उद्यानों, शमशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्ष भर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहां से एकत्रित किया गया कचरा-कूड़ा नजदीक के घोषित कूड़ादान/कन्टेनर में एकत्रित करवाकर वहां से प्रतिदिन उसका परिवहन अंतिम निस्तारण स्थल तक बन्द वाहनों में करवाने के लिये प्रतिबद्ध होगा, जिसके लिये नगर निगम गोरखपुर अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं अन्य सफाई कर्मचारी तथा कर्मचारी रहित कालोनियों, क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिये अधिकृत होगी। ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा स्वास्थ्य हित में स्वच्छता एवं सुन्दरता सुनिश्चित करने में असमर्थ हो सके।

(2) प्रत्येक कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर कूड़ा/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय (सामुदायिक कूड़ादान कचरे का ट्रान्सफर स्टेशन शहर के कूड़े के अंतिम निस्तारण हेतु कचरागाह/लैण्डफिल) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतन्त्र होगा। नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट निर्माता को नगर निगम, गोरखापुर द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

7-नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण-

नगर निगम गोरखपुर क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिरोध होगा। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा-करकट फैलाते/रखते पाया गया तो नगर निगम गोरखपुर के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं होगा। संलग्न सूची-अ में घोषित समय-समय पर नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निर्धारित कौरिंग चार्जेज ऐसे व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने को सक्षम होगा।

नगर निगम गोरखपुर द्वारा इस हेतु-

(1) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2018 के अनुपालन में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये 'स्वच्छता मित्र आपके द्वारा' योजना निगम के सभी क्षेत्रों/वार्डों में लागू की जायेगी।

(2) घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जायें, जो सामान्यतः समय प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक निर्धारित रूप से किया जायेगा। किन्तु यदि नगर निगम द्वारा कोई विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है तो इसके समय में बदलाव किया जा सकेगा। जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कचरा संग्रहण के समय घंटी/भोपू/सीटी बजाकर निवासियों को सूचित किया जायेगा।

(3) व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जायेगा।

4-घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरे (यूजर चार्जेज) संकल्प प्रस्तावित है-

क्र० सं०	उपयोग का प्रकार	अवधि	नगर निगम द्वारा निर्धारित दरें (रु० में)
1	2	3	4
1	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले-		रु०
ए	झोपड़ी	प्रतिमाह	निःशुल्क
बी	पक्का घर/फ्लैट	प्रतिमाह	30.00
2	ई०डब्ल्यू०एस०	प्रतिमाह	40.00

1	2	3	4
			रु0
3	एम0आई0जी0 200 वर्ग मीटर वाले	प्रतिमाह	50.00
4	एच0आई0जी0 200 वर्ग मीटर वाले	प्रतिमाह	70.00
5	सब्जियों एवं फलों के विक्रेता-		
ए	ठेला	प्रतिमाह	140.00
बी	चलती फिरती दुकान वाले	प्रतिमाह	455.00
6	मांस मछली की दुकान वाले		
ए	सड़कों के किनारे	प्रतिमाह	350.00
बी	मांस एवं मछली की दुकान लगाने वाले	प्रतिमाह	700.00
7	रेस्टोरेन्ट		
ए	छोटे रेस्टोरेन्ट 200 वर्ग फीट तक	प्रतिमाह	700.00
बी	मध्यम रेस्टोरेन्ट 201 से 300 वर्ग फीट तक	प्रतिमाह	1,050.00
सी	301 वर्ग फीट से अधिक	प्रतिमाह	1,400.00
डी	अस्थाई स्नेक फास्ट फूड विक्रेता	प्रतिमाह	700.00
8	होटल/लाज/गेस्ट हाउस		
ए	20 बेड तक	प्रतिमाह	1,750.00
बी	21 से 40 बेड तक	प्रतिमाह	3,500.00
सी	41 से अधिक बेड	प्रतिमाह	7,000.00
डी	1,000 वर्ग मीटर से अधिक (तीन सितारा व उससे अधिक)	प्रतिमाह	14,000.00
9	धर्मशाला		
ए	अवातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	350.00
बी	वातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	2,100.00
10	मैरेज हाल		
ए	1,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	2,100.00
बी	1,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	4,900.00
सी	5,001 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	10,500.00
11	बेकरी एवं मिठाई की दुकान		
ए	100 वर्ग फीट से 999 वर्ग फीट तक	प्रतिमाह	350.00
बी	1,000 वर्ग फीट से 1,999 वर्ग फीट तक	प्रतिमाह	525.00
सी	2,000 वर्ग फीट से अधिक तक	प्रतिमाह	700.00

1	2	3	4
			रु0
12	कार्यालय (सरकारी/गैर सरकारी)		
ए	50 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	175.00
बी	51 से 100 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	350.00
सी	101 से 300 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	525.00
डी	301 कर्मचारी से अधिक	प्रतिमाह	700.00
13	स्कूल/शिक्षण संस्थान हास्टल सहित		
ए	100 बेड तक	प्रतिमाह	1,750.00
बी	100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	3,500.00
14	स्कूल/शिक्षण संस्थान		
ए	500 छात्र/छात्रा तक	प्रतिमाह	1,050.00
बी	500 से अधिक छात्र/छात्रा	प्रतिमाह	1,750.00
15	इन्जी0/एम0बी0ए0 व्यवसायिक शिक्षण संस्थान		
ए	500 छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	3,500.00
बी	501 से 1,000 छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	7,000.00
सी	1,001 से अधिक छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	10,500.00
16	अस्पताल एवं नर्सिंग होम (चिकित्सकीय कूड़ा रहित)		
ए	20 बेड तक	प्रतिमाह	2,100.00
बी	21-40 बेड तक	प्रतिमाह	3,500.00
सी	41-100 बेड तक	प्रतिमाह	7,000.00
डी	100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	10,500.00
17	क्लीनिक/पैथालाजी/एक्स-रे (चिकित्सीय कूड़ा रहित)		
ए	क्लीनिक	प्रतिमाह	1,400.00
बी	पैथालाजी/एक्स-रे	प्रतिमाह	700.00
18	दुकान/चाय की दुकान		
ए	मोहल्ले की छोटी दुकान (न खाने योग्य)	प्रतिमाह	70.00
बी	मोहल्ले की छोटी दुकान (खाने योग्य)	प्रतिमाह	175.00
सी	वाणिज्यिक क्षेत्र में (न खाने योग्य)	प्रतिमाह	105.00
डी	वाणिज्यिक क्षेत्र में (खाने योग्य)	प्रतिमाह	210.00
19	आवासीय दुकान		
ए	बिना बड़ाव पदार्थों के	प्रतिमाह	10 405.00
बी	खाद्य पदार्थों के	प्रतिमाह	210.00

1	2	3	4
			रु0
20	शो-रुम		
ए	दुपहिया वाहन	प्रतिमाह	700.00
बी	दुपहिया वाहन वर्कशाप के साथ	प्रतिमाह	3,500.00
सी	चार पहिया वाहन	प्रतिमाह	1,400.00
डी	चार पहिया वाहन वर्कशाप के साथ	प्रतिमाह	7,000.00
21	माल/व्यावसायिक काम्प्लैक्स		
ए	1 से 1,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	3,500.00
बी	1,001 से 2,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	7,000.00
सी	2,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	14,000.00
डी	5,001 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	35,000.00
22	औद्योगिक ईकाई एवं उत्पादन संस्थाने		
22-1	नान मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल यूनिट		
ए	1 से 500 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	525.00
बी	501 से 1,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	700.00
सी	1,001 से 2,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	1,050.00
डी	2,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	1,750.00
ई	5,001 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	3,500.00
22-2	मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल यूनिट		
ए	1 से 500 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	350.00
बी	501 से 1,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	525.00
सी	1,001 से 2,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	700.00
डी	2,001 से 5,000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	1,400.00
ई	5,001 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	2,100.00
23	कबाड़ी/रद्दी आदि का संग्रहण करने वाले		
ए	1 से 50 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	175.00
बी	51 से 100 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	350.00
सी	101 से 200 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	700.00
डी	201 से 500 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	1,050.00
ई	501 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	1,400.00

1	2	3	4
			रु0
24	जूस/गन्ने का जूस	प्रतिमाह	350.00
25	पब्लिक/प्राइवेट प्रदर्शनी/विवाह/प्रतियोगित आदि	प्रतिदिन	350.00
26	पेट्रोल पम्प		
ए	पेट्रोल पम्प	प्रतिमाह	350.00
बी	पेट्रोल पम्प/सी0एन0जी0 पम्प सर्विस स्टेशन के साथ	प्रतिमाह	1,750.00
सी	सर्विस स्टेशन तथा मोटर गैरेज	प्रतिमाह	1,400.00
27	डेयरी		
ए	01 से 10 पशु तक	प्रतिमाह	1,000.00
बी	11 से 20 पशु तक	प्रतिमाह	2,000.00
सी	20 से अधिक पशु	प्रतिमाह	3,500.00
28	शराब की दुकान		
ए	केवल शराब की दुकान	प्रतिमाह	1,400.00
बी	कैन्टीन के साथ शराब की दुकान	प्रतिमाह	3,500.00
सी	बैंक	प्रतिमाह	1,050.00

घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जायेगा। उक्त दरों की संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं दरों को रिक्शा ट्राली/आटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा/आटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

(5) संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट सम्बन्धित नगर निगम, गोरखपुर के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(6) होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपड़ी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जायेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सबस्टेन्स के उद्गम स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अंतिम निस्तारण स्थल पर ले जायेगा।

(7) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई नहीं किया जायेगा। किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कार्यकाल की सुरक्षा के सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित व्यवस्था के साथ पूर्ण किया जायेगा।

(8) किसी भी व्यक्ति द्वारा जन सुविधा के लिये नगर निगम के वाहनों/कन्टेनरों/पाकों इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये, कन्टेनर के भीतर ही कचरा डाला जायेगा, अन्यत्र कचरा नहीं डाला जाएगा।

(9) नगर निगम गोरखपुर कन्टेनर रहित व्यवस्था भी कर सकेगी। ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सड़क पर पड़ा नहीं रहे।

8—नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन—

अपशिष्ट का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भांति ढके हुये होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों प विखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा—

(1) स्थापित भण्डारक सुविधा से प्रतिदिन कूड़ा कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आस-पास का क्षेत्र भी साफ सुधरा रखा जायेगा।

(2) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अंतिम व्ययन के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके।

9—नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण—

नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को उपयोगी बनाने के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके, के लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जा सकेगा—

(1) जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिये कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बात निरपेक्ष पाचन संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जा सकेगा जिससे नगर निगम स्वयं अपने स्तर से अथवा किसी अन्य संस्थाना को लाइसेन्स प्रदान कर बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ0टी0 पद्धति से कार्य करवा सकेगा।

(2) पुनः प्राप्त संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिये रिसायकलिंग प्रक्रिया अपनाते हुये विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिये इन्शोरेसन के साथ अथवा उसके बिना ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अन्य प्लान्ट और कई नवीनतम पद्धति है, तो स्वयं या सुविधा प्रचलित बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ0टी0 पद्धति पर स्थापित करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से तकनीकी अनुमोदन करवाकर किसी संस्था को अधिकृत लाइसेंस जारी कर सकेगा।

10—नगरीय ठोस, अपशिष्टों का व्ययन—

भूमि भरण में जैव अनिम्नकरणीय निष्क्रिय अपशिष्टों अथवा अन्य ऐसे अपशिष्टों को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिये समुचित है, निर्वाचित रखा जायेगा। भूमि भरण अपशिष्टों के प्रसंस्करण सुविधा से प्रसंस्करण पूर्व छूट गये अपशिष्टों से भी बचा जायेगा, जब तक उसे अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधायें स्थापित किये जाने तक नगर निगम गोरखपुर अपने लैन्डफिल साइट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुये भूमिकरण कर सकेगा।

11—अभियोजन/शास्तियों—

(1) इन उपविधियों के प्रवर्तन आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा। बशर्त की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो।

(2) ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व दी गयी किसी शास्ति, समपरव या किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधि कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

“अनुसूची — अ”

क्र० सं०	कृत्य	नगर निगम मा० सदन द्वारा पारित दरें रुपये में
1	2	3
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	100.00
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	250.00
3	रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा सार्वजनिक खुले में कचरा डालने पर	500.00

1	2	3
		₹0
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00
5	औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2,000.00
6	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फ्रूट, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य सभी जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	1,000.00
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों में डालने पर/नाली अथवा सीवर में बहाने पर	2,000.00
8	निजी मकान दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, निर्माण सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोक ऐसी सरकारी भूमि पर डालने पर	5,000.00
9	निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी, कचरा मलवा गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर	10,000.00
10	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारों व उनके गेटों पर किसी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दिवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर लगाने पर	2,000.00
11	बिना स्वीकृति के रोड/डिवाइडर काटने/गड्ढा करने पर तथा नाली तुड़वाने की दशा में	1,000.00
12	क्रमांक 2 से 6 तक के वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित करने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	500.00
13	दुकानदार/ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठक स्कूटर एवं साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर।	200.00
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे हुये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,500.00
15	आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गदहा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	1,000.00
16	शादी/विवाह स्थलों के खुले में कचरा डालने पर	5,000.00
17	आम रास्ता सड़क पर खुले में या देह लगाकर खुले में भैंस, मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	5,000.00
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	200.00
19	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	200.00
20	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता सड़क अथवा दुकानों के सामने खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय, करने पर	2,500.00
21	आम रास्ता, सड़क, सड़क फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00
22	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर फैलाने पर	2,000.00
23	सड़क के किनारे वाहन की धुलाई/डामर की सड़क पर पानी बहाने पर	1,000.00
24	ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा व कूड़ा डालने पर	5,000.00

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।



अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

NTPC Plant Construction Pictures




अपर नगा आपुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

NTPC Plant Construction Pictures




2


1046



Current Progress Photographs



Current Progress Photographs



1047

Photos of 05 TPD Hazardous Waste Management Plant



अपर नमि आयुक्त
अपर निगम, गोरखपुर

City Facilities: Pit Composting (Total Capacity- 215 TPD)

SN.	Ward Number	Ward Name	Plant Name	Plant Type	Landmark	Capacity (TPD)
1	55	BANDHU SINGH NAGAR	Ilahibagh WTC	Waste to Compost	Old Kuuda Padav	15
2	44	BASANTPUR	Lal Diggi WTC	Waste to Compost	Lal Diggi GTS	15
3	72	CIVIL LINE DWITIYA	University Chowk WTC	Waste to Compost	Vehicle Stand	15
4	66	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOS NAGAR	Vermi Composting, Bilandpur Khatta	Waste to Compost	Neta ji Subhas Chandra Bose Nagar	30
5	26	BETIAHATA	Betiayahata WTC 02	Waste To Compost	Aayukt Aawas	15
6	79	CIVIL LINE PRATHAM	Chakbandi WTC	Waste to Compost	Vending Zone	15
7	10	MADHAV NAGAR	Mahesra WTC	Waste to Compost	Maheshra Charging Station	15
8	25	GIRIDHARGANJ	Girdharganj, Jharkhandi WTC	Waste to Compost	Jharkhandi Mandir	15
9	80	RAPTINAGAR	Sports College WTC	Waste to Compost	Sports College	15
10	72	CIVIL LINE DWITIYA	DDU Zero Waste Campus WTC	Waste to Compost	DDU	20
11	19	GOPALPUR	Sahara Estate WTC	Waste to Compost	Sahara Estate	15
12	38	KANHA UPVAN NAGAR	Vermi Composting Mahewa	Waste to Compost	Kanha Upavan	30



 अपर नगर आयुक्त
 नगर निगम, गोरखपुर

City Facilities: Pit Composting

Near Sports College ,
Rapti Nagar



Ilahibagh, Bandhu Singh
Nagar



Kanha Upvan Nagar




Lal Digg, Basantpur



Aayukt Aawas,
Betiyahata



Chakbandi, Civil Line
Pratham



अपर नगर आयुक्त
कमल विहार, नैगमवृद्ध

City Facilities: Pit Composting


Sahara Estate



DDU Zero Waste Campus



University Chowk



Neta ji Subhas Chandra Bose Nagar



Mahesra WTC



Near Jharkhandi Mandir, Giridhar Ganj



City Facilities: Material Recovery Facilities (Total Capacity- 190 TPD)

SN	Plant Name	Plant Type	Ward Number	Ward Name	Capacity (TPD)
1	Neta Ji Subash Chandra Bose, Bilandpur Khatta	Material Recovery Facility (MRF)	66	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOS NAGAR	50
2	Material Recovery Facility Mahewa		38	KANHA UPVAN NAGAR	30
3	BRD Medical College MRF		2	BABA RAGHAV DAS NAGAR	30
4	Material Recovery Facility, Lal Diggi		44	BASANTPUR	50
5	Material Recovery Facility Bhairampur		1	MAHADEV JHARKHANDI TUKRA NO. 1	30


NETAJI SUBHASH CHANDRA BOS NAGAR



Material Recovery Facility Mahewa



BRD Medical College



Lal Diggi, Basantpur



Bhairampur, Mahadev Jharkhandi Tukra No. 1



भारत में आमुक्त
कर निगम, गोरखपुर

City Facilities: C&D Waste processing Plant (Total Capacity- 50 TPD)

SN	Plant Name	Plant Type	Ward Number	Ward Name	Capacity (TPD)
1	Construction & Demolition Waste Plant Mahesra	C & D Waste Processing Facility	10	MADHAV NAGAR	50

C & D Waste Processing Facility



C & D Waste finished Products



1053

List of Rag Pickers

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
1	1	Rohini	9957840806	Girdharganj	25	40	38	Munna Chaudhari	7234073651
2	1	Talebar Ali	8175099965	Girdharganj	25	40	35	Munna Chaudhari	7234073651
3	1	Hasmala Khatoon	9628209432	Girdharganj	25	40	35	Munna Chaudhari	7234073651
4	1	Toofan	8709694453	Girdharganj	25	30	25	Munna Chaudhari	7234073651
5	1	Jasmla Noor	8953577393	Girdharganj	25	40	35	Munna Chaudhari	7234073651
6	1	Harish Chand	9336105722	Girdharganj	25	50	47	Munna Chaudhari	7234073651
7	1	Phool Bano	9957840806	Girdharganj	25	19	16	Jiharuddin	7071497116
8	1	Monu	9235527516	Girdharganj	25	20-22	19-20	Jaharuddin	7071497116
9	1	Sulekha Khatoon	9707037205	Girdharganj	25	17-19	15-16	Jaharuddin	7071497116
10	1	Sufiya Khatoon	9676776462	Girdharganj	25	17-20	15-17	Jaharuddin	7071497116
11	1	Mufeda Khatoon	9667830199	Girdharganj	25	19-20	17-18	Jaharuddin	7071497116
12	1	Haseena Khatoon	6002817560	Girdharganj	25	14-16	15-16	Jaharuddin	7071497116
13	1	kujeera Rahman	8099260208	Ranidiha	3	18- 20	17 to 19	jaharuddin	7071497116
14	1	sadul Islam	76380 7212 5	Ranidiha	3	14-18	13 to 17	jaharuddin	7071497116
15	1	Saiful Islam	6302887033	Ranidiha	3	15-17	17 to 16	jaharuddin	7071497116
16	1	Saindul Islam	9101920650	Ranidiha	3	18-20	17 to 19	jaharuddin	7071497116
17	1	Saiful Miyan	9101791974	Ranidiha	3	15-18	14 to 17	jaharuddin	7071497116
18	1	batashe Khatoon	9101779175	Ranidiha	3	16-18	14 to 17	jaharuddin	7071497116
19	1	Subhan Ali	9394637047	Ranidiha	3	14 to 13	10 to 12	jaharuddin	7071497116
20	1	Tajamina Khatoon	9394637047	Ranidiha	3	15 to 17	14 to 15	jaharuddin	7071497116
21	1	Sahdul Miyan	9678776462	Ranidiha	3	16 to 17	12 to 13	jaharuddin	7071497116
22	1	Elahi Miyan	9678776462	Ranidiha	3	10 to 13	10 to 11	jahiruddin	7071497116
23	1	Mahiran Nisha	6002887033	madan Mohan Malviya Nagar	4	15 - 20	13-23	jahiruddin	7071497116
24	1	Jeneral hak	9008543090	madan Mohan Malviya Nagar	4	14-15	12-13	jahiruddin	7071497116
25	1	Hunufa Begum	9008543090	madan Mohan Malviya Nagar	4	20-14	10 to 12	jahiruddin	7071497116
26	1	Johara Khatoon	896016227	madan Mohan Malviya Nagar	4	10-12	13-15	jahiruddin	7071497116
27	1	Yadandu mai	896016227	madan Mohan Malviya Nagar	4	15-18	15-16	jahiruddin	7071497116
28	1	Fote Lal	9935689305	madan Mohan Malviya Nagar	4	12-14	10-11	jahiruddin	7071497116
29	1	Jay Prakash Vishwakarma	9838764558	madan Mohan Malviya Nagar	4	14-17	11-13	jahiruddin	7071497116
30	1	Satish kausudan	9129208009	khobarbar	6	17	14	jahiruddin	7071497116
31	1	Sunil Prajapati	9532213023	khobarbar	6	6	4	jahiruddin	7071497116
32	1	Maqbool	8099288652	khobarbar	6	5	4	jahiruddin	7071497116
33	1	Mohammed Jamal	8869934866	khobarbar	6	7	5	jahiruddin	7071497116

आगर नगर प्रमुख
आगर नगर, आगर

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
34	1	Mohammed kadam	9395312825	khobarar	6	4	2	jahiruddin	7071497116
35	1	Mohammed Lal Mia	8887644127	khobarar	6	6	4	jahiruddin	7071497116
36	1	Ahmed Ali	7988588828	khobarar	6	7	5	jahiruddin	7071497116
37	1	Pappu Jaiswal	8997346148	khobarar	6	4	3	jahiruddin	7071497116
38	1	Brijesh Gupta	9555988685	khobarar	6	5	4	jahiruddin	7071497116
39	1	Jay Ram Gupta	8400933905	khobarar	6	6	4	jahiruddin	7071497116
40	1	Salima Khatun	8135928337	Gayghat	39	7	5	Sadhu	955967606
41	1	Sampal	6900935367	Gayghat	39	6	5	Sadhu	955967606
42	1	Javed	8638967445	Gayghat	39	5	3	Sadhu	955967606
43	1	Vijay Singh	8099288652	Mahadev Jharkhandi Tu. No. 1	1	22	20	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
44	1	Rinku	7988588828	Mahadev Jharkhandi Tu. No. 1	1	17	14	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
45	1	Asaman Noor	7991237205	Mahadev Jharkhandi Tu. No. 1	1	11	8	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
46	1	Manora Khaton	7269090624	Mahadev Jharkhandi Tu. No. 1	1	27	23	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
47	1	Phool Bano	9957840806	Mahadev Jharkhandi Tu. No. 1	1	20	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
48	2	Bhola	9721413739	Salikram Nagar	35	15	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
49	2	Bechan	8709694453	Salikram Nagar	35	19	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
50	2	Raj	8953577393	Salikram Nagar	35	20	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
51	2	Mannu	9336105722	Salikram Nagar	35	20	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
52	2	Digender	9957840806	Salikram Nagar	35	16	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
53	2	Manoj Jaiswal	9235527516	Salikram Nagar	35	18	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
54	2	Jay Hind	9707037205	Salikram Nagar	35	20	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
55	2	Jabbar Ali	9676776462	Salikram Nagar	35	16	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
56	2	Ramesh Gupta	9667830199	Salikram Nagar	35	16	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
57	2	Nandkishor Madheshiya	6002817560	Salikram Nagar	35	17	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
58	2	Umashankar Dubey	8099260208	Salikram Nagar	35	15	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813

S.V.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
59	2	Rajesh Kumar Jaiswal	76380 7212 5	Gopalapur	19	20	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
60	2	Arjun Gupta	6302887033	Gopalapur	19	16	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
61	2	Mohan Jaiswal	8709694453	Gopalapur	19	18	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
62	2	Sunil Sharma	8953577393	Gopalapur	19	15	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
63	2	Yashraj Chaudhari	9336105722	Gopalapur	19	19	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
64	2	Krishna Kumar gaud	9957840806	Gopalapur	19	20	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
65	2	Shambhu nath	9235527516	Gopalapur	19	20	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
66	2	Mandeep Kumar	9707037205	Gopalapur	19	20	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
67	2	Uttam Singh	9676776462	Gopalapur	19	17	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
68	2	Saddam	9667830199	Gopalapur	19	15	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
69	2	Suman Kumar	6002817560	Gopalapur	19	20	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
70	2	Sunil	8099260208	Gopalapur	19	15	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
71	2	Mannu	76380 7212 5	Gopalapur	19	20	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
72	2	Nisha	6302887033	Sardar Bhagat Singh Nagar	67	19	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
73	2	Chhotu	8709694453	Sardar Bhagat Singh Nagar	67	18	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
74	2	Neetu	8953577393	Sardar Bhagat Singh Nagar	67	17	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
75	2	Dilip pal	9336105722	Shivpur	17	16	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
76	2	Sonu	9957840806	Shivpur	17	16	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
77	2	kallu	9235527516	Shivpur	17	17	13	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
78	2	Raju	9707037205	Shivpur	17	15	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
79	2	Sameer	9676776462	Shivpur	17	19	13	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम गोरखपुर

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
80	2	Brahma Soni	9667830199	Shivpur	17	20	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
81	2	Ramnath Gupta	6002817560	Shivpur	17	18	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
82	2	Uttam Kumar	8099260208	Shivpur	17	17	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
83	2	Rajkumar	76380 7212 5	Shivpur	17	16	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
84	2	Radheshyam	6302887033	Shivpur	17	19	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
85	2	Vishnu Soni	8709694453	Shivpur	17	15	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
86	2	Krishna Soni	8953577393	Shivpur	17	18	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
87	2	Jitendra Soni	9336105722	Shivpur	17	18	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
88	2	Guddu Kumar	9957840806	Mohanpur	21	15	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
89	2	Mustafa Khan	9235527516	Mohanpur	21	20	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
90	2	Mukesh	9707037205	Mohanpur	21	15	17	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
91	2	Manoj Kumar	9676776462	Mohanpur	21	16	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
92	2	Ram Charan	9667830199	Mohanpur	21	18	19	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
93	2	ballu	6002817560	Mohanpur	21	17	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
94	2	Akhilesh Kumar	8099260208	Mohanpur	21	15	15	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
95	2	Ravi	76380 7212 5	Mohanpur	21	17	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
96	2	Munna	6302887033	Mohanpur	21	16	16	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
97	2	Rakesh Jaiswal	8709694453	Shahid Shivsingh Kshetri Nagar	23	18	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
98	2	Munna	8953577393	Shahid Shivsingh Kshetri Nagar	23	20	18	Shri Lal Kishor Chaudhari	9936711813
99	3	Saleha Khatoon	9336105722	Shri Ram Chowk	69	17-19	15-17	Gaji Rahman	8099260201
100	3	Quzuir Rahman	9957840806	Shri Ram Chowk	69	20-25	18-23	Gaji Rahman	8099260201
101	3	Shandyul Islam	9235527516	Shri Ram Chowk	69	20-25	18-22	Gaji Rahman	8099260201
102	3	Shayful Islam	9707037205	Shri Ram Chowk	69	26-30	24-28	Gaji Rahman	8099260201

श्री लाल किशोर चौधरी
9936711813

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
103	3	Shandyul Islam	9676776462	Shri Ram Chowk	69	20-25	18-23	Gaji Rahman	8099260201
104	3	Sydul Miya	9667830199	Shri Ram Chowk	69	26-30	24-28	Jahruddin	7071497116
105	3	Ishat Ahmad	6002817560	Shri Ram Chowk	69	15	18	Jahruddin	7071497116
106	3	Ilahi Miyan	8099260208	Kanha Upwan Nagar	38	24-28	22-26	Jahruddin	7071497116
107	3	Sufiya Khatoon	76380 7212 5	Kanha Upwan Nagar	38	14-18	13-17	Jahruddin	7071497116
108	3	Mukbil Islam	6302887033	Kanha Upwan Nagar	38	18-25	16-23	Jahruddin	7071497116
109	3	Mushir Ali	9678430199	Kanha Upwan Nagar	38	25-30	23-28	Jahruddin	7071497116
110	3	Mufeeda Khatoon	8709694453	Kanha Upwan Nagar	38	15-20	14-18	Jahruddin	7071497116
111	3	Mamota Begum	8953577393	Kanha Upwan Nagar	38	14-19	13-17	Jahruddin	7071497116
112	3	Haseena Khatoon	9336105722	Matsyendra Nagar	24	16-18	14-16	Jahruddin	7071497116
113	3	Shohidul Islam	9957840806	Matsyendra Nagar	24	14-18	14-16	Jahruddin	7071497116
114	3	Sujeeta Begum	9235527516	Matsyendra Nagar	24	14-18	14-16	Jahruddin	7071497116
115	3	Sabeena Parveen	9707037205	Matsyendra Nagar	24	20-25	18-23	Jahruddin	7071497116
116	3	Shajan Haq	9676776462	Matsyendra Nagar	24	20-25	18-23	Jahruddin	7071497116
117	3	Hunufa Begum	9667830199	Matsyendra Nagar	24	15-20	14-18	Jahruddin	7071497116
118	3	Mahrnun Nisa	6002817560	Geeta Press Nagar	77	14-18	13-17	Jahruddin	7071497116
119	3	Janal haq	8099260208	Geeta Press Nagar	77	25-28	23-26	Jahruddin	7071497116
120	3	Johra Khatoon	76380 7212 5	Geeta Press Nagar	77	15-20	14-18	Jahruddin	7071497116
121	3	Chandu Miyan	6302887033	Geeta Press Nagar	77	20-25	18-23	Jahruddin	7071497116
122	3	Mahmood	7309061930	Geeta Press Nagar	77	20-25	18-23	Mohd. Tabish	6393058520
123	3	Saniya Begum	9026979002	Geeta Press Nagar	77	28	18-23	Mohd. Tabish	6393058520
124	3	Ilema Hamid	9101920650	Shahid Ashfakullah Nagar	32	16-20	15-18	Jahruddin	7071497116
125	3	Saiful Miyan	9101779174	Shahid Ashfakullah Nagar	32	21-25	19-23	Jahruddin	7071497116
126	3	Batashi Khatoon	9101779174	Shahid Ashfakullah Nagar	32	14-18	13-17	Jahruddin	7071497116
127	3	Shubhan Ali	9394637097	Shahid Ashfakullah Nagar	32	24-28	22-26	Jahruddin	7071497116
128	3	Tazmeena Khatoon	9394637047	Shahid Ashfakullah Nagar	32	15-18	13-16	Jahruddin	7071497116
129	3	Mojibur Ali	9678430199	Shahid Ashfakullah Nagar	32	20-25	18-23	Jahruddin	7071497116
130	3	Shahid Ali	9707037105	Basantpur	44	25-30	24-26	Gazi Rahman	8099260201
131	3	Nalomia	8528144315	Basantpur	44	24-28	22-25	Gazi Rahman	8099260201
132	3	Ali Hussian	7269090624	Basantpur	44	22-25	20-25	Gazi Rahman	8099260201
133	3	Babar Ali	7269090624	Basantpur	44	27-30	23-26	Gazi Rahman	8099260201
134	3	Hussain Khan	7307415413	Basantpur	44	22-26	20-24	Gazi Rahman	8099260201
135	3	Mohammad Ali	7991237205	Basantpur	44	25-30	20-24	Gazi Rahman	8099260201
136	3	Aminoor Islam	7086419393	Raiganj	57	18-25	15-22	Gazi Rahman	8099260201
137	3	Ainal Haq	9957840806	Raiganj	57	24-28	20-25	Gazi Rahman	8099260201
138	3	Arman Ali	9682711454	Raiganj	57	20-25	18-22	Gazi Rahman	8099260201
139	3	Sharda Khatoon	7307415413	Raiganj	57	18-20	17-20	Gazi Rahman	8099260201
140	3	ramesha Khatoon	8528144315	Raiganj	57	17-20	15-20	Gazi Rahman	8099260201
141	3	Jasmeena Parveen	7086419393	Raiganj	57	15-20	14-20	Gazi Rahman	8099260201
142	3	Shantoo Bano	7269090624	Jaganathpur	63	16-20	14-18	Gazi Rahman	8099260201
143	3	Manora Khatoon	9682711454	Jaganathpur	63	20-25	18-20	Gazi Rahman	8099260201
144	3	Sabiya Khatoon	8174071957	Jaganathpur	63	24-28	22-26	Gazi Rahman	8099260201

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
145	3	Phool Bano	9957840806	Jaganathpur	63	17-19	15-17	Gazi Rahman	8099260201
146	3	Monu	9235527516	Jaganathpur	63	20-25	18-23	Gazi Rahman	8099260201
147	3	Anora	9235527516	Jaganathpur	63	20-25	18-22	Gazi Rahman	8099260201
148	4	Paltu Maurya	9935689305	Shivaji Nagar	75	16	10	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
149	4	Jayprakash Srivastav	9838764558	Shivaji Nagar	75	20	15	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
150	4	Satish Kasuadhan	9129208009	Shivaji Nagar	75	17	13	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
151	4	Sunil Prajapati	9532213023	Shivaji Nagar	75	6	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
152	4	Buddhu Sali	6394877958	Shivaji Nagar	75	4	3	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
153	4	Kurban Ali	7081882505	Bharwaliya	37	4	3	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
154	4	Hamidul	9771347343	Bharwaliya	37	4	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
155	4	Lal Miyan	8887644127	Bharwaliya	37	4	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
156	4	Jairam Gupta	8400933905	Bargon	11	4	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
157	4	Lilima	7755851694	Bargon	11	16	10	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
158	4	Saboot Uddudin	7355388519	Bargon	11	20	15	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
159	4	Mukibul	8099288682	Chandrashekhar Azad Chowk	75	4	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
160	4	Jamaal	8869934866	Chandrashekhar Azad Chowk	75	4	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
161	4	Adam Ali	9395312825	Chandrashekhar Azad Chowk	75	6	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
162	4	Ahmad Ali	7988588828	Betiahata	26	6	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
163	4	Pappu Jaiswal	8997346148	Betiahata	26	4	3	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
164	4	Brijesh Gupta	9555988685	Betiahata	26	4	4	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
165	4	Jamiddul Badshah	9101228826	Semara Devi Prasad Nagar	51	17	13	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
166	4	Samej Uddudin	9101467659	Semara Devi Prasad Nagar	51	16	10	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
167	4	Asha Ali	9864526136	Raghupati Sahay Firaq Nagar	56	20	15	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
168	4	Mujibal Ali	8303925749	Raghupati Sahay Firaq Nagar	56	17	13	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
169	4	Jitendra	7752809155	Krishnmohan Pandey Nagar	65	4	3	Prakash Ji from Kanpur	9838764558
170	5	Manoj Kumar	9026237137	Dharmshala	48	16	15	Vinay	8303721067
171	5	Monu	8840875279	Dharmshala	48	20	16	Vinay	8303721067
172	5	Munna Kumar	9169743642	Dharmshala	48	18	19	Vinay	8303721067
173	5	Akash	8303925749	Dharmshala	48	17	19	Vinay	8303721067
174	5	Jainuddin Ali	9695489081	Dharmshala	48	18	15	Vinay	8303721067
175	5	Alma Khatoon	7991299432	Civil Lines 1	79	19	19	G. D. Enterprises	7054969032
176	5	Anwar Ali	9219126002	Civil Lines 1	79	15	19	G. D. Enterprises	7054969032
177	5	Ali Hussian	9000926002	Civil Lines 1	79	19	17	G. D. Enterprises	7054969032
178	5	Babar Ali	8011037294	Civil Lines 1	79	19	18	G. D. Enterprises	7054969032
179	5	Javed	995429650	Civil Lines 1	79	20	17	G. D. Enterprises	7054969032
180	5	Bela	9580563882	Civil Lines 1	79	19	20	G. D. Enterprises	7054969032
181	5	Salman	6980935367	Aryanagar	71	18	18	Saadhu	9559676061
182	5	Babina	8997346148	Aryanagar	71	19	20	Saadhu	9559676061
183	5	Chalmina	8133928337	Aryanagar	71	15	16	Saadhu	9559676061
184	5	Sufiya	9219126002	Aryanagar	71	16	16	Saadhu	9559676061
185	5	Momina	7521098461	Aryanagar	71	15	17	Saadhu	9559676061
186	5	Sabnam	9676776462	Aryanagar	71	18	17	Saadhu	9559676061

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
187	5	Jarina	8709694453	Mahatma Jyotiba Nagar	47	19	18	Saadhu	9559676061
188	5	Dilwar Ali	9336105722	Mahatma Jyotiba Nagar	47	19	15	Saadhu	9559676061
189	5	Moha Ali	9235527516	Mahatma Jyotiba Nagar	47	20	15	Saadhu	9559676061
190	5	Naisad Ali	9707037205	Mahatma Jyotiba Nagar	47	17	17	Saadhu	9559676061
191	5	Abid Ali	9667830199	Vijay Chowk	52	20	18	Vijay kumar	8303721067
192	5	Sibina	6002817560	Vijay Chowk	52	18	16	Vijay kumar	8303721067
193	5	Jareena	76380 7212 5	Vijay Chowk	52	17	17	Vijay kumar	8303721067
194	5	Sona Bano	6302887033	Vijay Chowk	52	18	16	Vijay kumar	8303721067
195	5	Sabiya	8709694453	Vijay Chowk	52	20	18	Vijay kumar	8303721067
196	5	Belan Shah	8953577393	Vijay Chowk	52	16	20	Vijay kumar	8303721067
197	5	Manoj	76380 7212 5	Ghantaghar	76	16	17	Vijay kumar	8303721067
198	5	Nisa	6302887033	Maya Bazaar	62	16	20	Vijay kumar	8303721067
199	5	Uttam	8709694453	Civil Lines 2	72	16	20	Vijay kumar	8303721067
200	6	Rafiku Islam	8953577393	Atmaram Nagar	59	17	15	Vijay kumar	8303721067
201	6	Aainal haq	9864390612	Atmaram Nagar	59	18	20	Vijay kumar	8303721067
202	6	Vayais Ali	9676776462	Atmaram Nagar	59	16	16	Vijay kumar	8303721067
203	6	Noori Aslam	8709694453	Atmaram Nagar	59	18	19	Vijay kumar	8303721067
204	6	Merajaan khatoon	9336105722	Atmaram Nagar	59	15	17	Vijay kumar	8303721067
205	6	Amla Khatoon	9235527516	Atmaram Nagar	59	19	18	Vijay kumar	8303721067
206	6	Shahida Khatoon	9707037205	Atmaram Nagar	59	20	19	Vijay kumar	8303721067
207	6	Mallika Khatoon	9667830199	Atmaram Nagar	59	18	15	Vijay kumar	8303721067
208	6	Sukujan Nisa	6002817560	Atmaram Nagar	59	16	19	Vijay kumar	8303721067
209	6	Haseena Begum	76380 7212 5	Atmaram Nagar	59	19	18	Vijay kumar	8303721067
210	6	Shanoor Islam	6302887033	Atmaram Nagar	59	19	15	Vijay kumar	8303721067
211	6	Ramjaan	8709694453	Atmaram Nagar	59	15	20	Vijay kumar	8303721067
212	6	Sharibul Islam	8953577393	Atmaram Nagar	59	17	15	Vijay kumar	8303721067
213	6	Baheshullah	76380 7212 5	Atmaram Nagar	59	15	20	Vijay kumar	8303721067
214	6	Nabir Hussain	6302887033	Atmaram Nagar	59	15	20	Vijay kumar	8303721067
215	6	Sabruddin Ali	8709694453	Atmaram Nagar	59	16	18	Vijay kumar	8303721067
216	6	Guddu	8953577393	Atmaram Nagar	59	16	19	Vijay kumar	8303721067
217	6	Mokibul Islam	9676776462	Atmaram Nagar	59	20	18	Vijay kumar	8303721067
218	6	Mehar Ali	8709694453	Atmaram Nagar	59	15	18	Vijay kumar	8303721067
219	6	Kasam Ali	9336105722	Atmaram Nagar	59	16	19	Vijay kumar	8303721067
220	6	Shahid Islam	9235527516	Atmaram Nagar	59	15	17	Vijay kumar	8303721067
221	6	Pappu Ali	9707037205	Atmaram Nagar	59	16	16	Vijay kumar	8303721067
222	6	Kushnaama	9667830199	Atmaram Nagar	59	20	16	Vijay kumar	8303721067
223	6	Parwaan Ali	6002817560	Shivaji Nagar	73	15	15	Vijay kumar	8303721067
224	6	Sahiddul Islam	76380 7212 5	Shivaji Nagar	73	15	16	Vijay kumar	8303721067
225	6	Tara bano	6302887033	Shivaji Nagar	73	17	15	Vijay kumar	8303721067
226	6	Kamaruddin	8709694453	Shivaji Nagar	73	20	15	Vijay kumar	8303721067
227	6	Monu Aara Begum	8953577393	Shivaji Nagar	73	15	16	Vijay kumar	8303721067
228	6	Jabaan Ali	76380 7212 5	Shivaji Nagar	73	18	15	Saadhu	9559676061

अपर नगा आयुक्त
कमल निवास, गोरखपुर

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
229	6	Jainal Khatoon	6302887033	Shivaji Nagar	73	15	17	Saadhu	9559676061
230	6	Rubiya Hussian	8709694453	Shivaji Nagar	73	19	16	Saadhu	9559676061
231	6	Falani Begum	8953577393	Shivaji Nagar	73	17	19	Saadhu	9559676061
232	7	Sharbad Ali	7460868742	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	18	19	Saadhu	9559676061
233	7	Jaibuta Nisa	8709694453	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	17	15	Saadhu	9559676061
234	7	Dulaal	9336105722	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	19	20	Saadhu	9559676061
235	7	Firoza Khatoon	9957840806	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	15	20	Saadhu	9559676061
236	7	Jahangir Ali	9707037205	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	16	15	Saadhu	9559676061
237	7	Aaisha	9667830199	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	20	19	Saadhu	9559676061
238	7	Habil	6002817560	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	20	20	Saadhu	9559676061
239	7	Samphool	8099260208	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	17	20	Saadhu	9559676061
240	7	Hasoor	8709694453	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	16	18	Saadhu	9559676061
241	7	Raheem	9707037205	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	18	18	Saadhu	9559676061
242	7	Anwar Khatoon	9667830199	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	15	18	Saadhu	9559676061
243	7	Nasoor	8099260208	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	20	19	Saadhu	9559676061
244	7	Kashim	76380 7212 5	Shubhash Chandra Bose Nagar	66	20	18	Saadhu	9559676061
245	7	Rashida Khatoon	8709694453	Maharana Pratap	42	20	17	Saadhu	9559676061
246	7	Hasina	8953577393	Maharana Pratap	42	18	15	Saadhu	9559676061
247	7	Shabi Ali	9957840806	Maharana Pratap	42	19	17	Saadhu	9559676061
248	7	Asaruddin	9235527516	Maharana Pratap	42	20	19	Saadhu	9559676061
249	7	Shahid	9676776462	Maharana Pratap	42	16	15	Saadhu	9559676061
250	7	Ali Mohammad	8709694453	Maharana Pratap	42	19	20	Saadhu	9559676061
251	7	Ashok	9336105722	Maharana Pratap	42	16	19	Saadhu	9559676061
252	7	Shafiq	9235527516	Maharana Pratap	42	16	15	Saadhu	9559676061
253	7	Abdul kalam	9707037205	Rajendra Nagar	14	17	16	Saadhu	9559676061
254	7	Guddu	9667830199	Rajendra Nagar	14	16	17	Saadhu	9559676061
255	7	Alazi Begum	6002817560	Rajendra Nagar	14	17	19	Saadhu	9559676061
256	7	Alauddin	76380 7212 5	Maansarovar	28	18	17	Saadhu	9559676061
257	7	Salim	6302887033	Maansarovar	28	20	18	Saadhu	9559676061
258	7	Pappu	8709694453	Maansarovar	28	17	16	Saadhu	9559676061
259	7	Awadesh Kumar	8953577393	Sanjhaai	13	15	20	Saadhu	9559676061
260	7	Sufer Ahmad	76380 7212 5	Sanjhaai	13	19	19	Saadhu	9559676061
261	7	Adarsh	6302887033	Sanjhaai	13	17	17	Saadhu	9559676061
262	7	Vijay	8709694453	Sanjhaai	13	15	15	Saadhu	9559676061
263	7	Abdullah	7007699369	Purana Gorakhpur	78	18	18	Saadhu	9559676061
264	7	Aabid	8709694453	Purana Gorakhpur	78	19	19	Saadhu	9559676061
265	7	Sahab Ali	8953577393	Madhopur	41	19	18	Saadhu	9559676061
266	8	Arbia Begum	9667830199	Jatepur	27	19	17	Saadhu	9559676061
267	8	Shamad	6002817560	Jatepur	27	16	19	Saadhu	9559676061
268	8	Samar	76380 7212 5	Jatepur	27	19	18	G. D. Enterprises	7054969032
269	8	Sai Nurin	6302887033	Jatepur	27	18	20	G. D. Enterprises	7054969032
270	8	Babu Ali	8709694453	Lacchipur	20	17	20	G. D. Enterprises	7054969032

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, वेरवल

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
271	8	Abed Ali	6302887033	Lacchipur	20	17	16	G. D. Enterprises	7054969032
272	8	Kanchan	8709694453	Sant Jhulelal Nagar	74	18	19	G. D. Enterprises	7054969032
273	8	Shaili	7307386241	Sant Jhulelal Nagar	74	19	16	G. D. Enterprises	7054969032
274	8	Sonu	8299582500	Sant Jhulelal Nagar	74	19	19	G. D. Enterprises	7054969032
275	8	Kiran	6389312859	Sant Jhulelal Nagar	74	20	16	G. D. Enterprises	7054969032
276	8	Himanshu	9026689460	Sant Jhulelal Nagar	74	20	19	G. D. Enterprises	7054969032
277	8	Somad Ali	7880677072	Hanumat nagar	15	16	19	G. D. Enterprises	7054969032
278	8	Dilbad Hussain	7086997102	Hanumat nagar	15	20	17	G. D. Enterprises	7054969032
279	8	Mohar Ali	7880677672	Hanumat nagar	15	19	20	G. D. Enterprises	7054969032
280	8	Naushad Ali	8134893678	Hanumat nagar	15	20	18	G. D. Enterprises	7054969032
281	8	Sabiduur Ali	6003348182	Hanumat nagar	15	19	16	G. D. Enterprises	7054969032
282	8	Sabiduur Aslam	9219404818	Hanumat nagar	15	20	16	G. D. Enterprises	7054969032
283	8	Sonu Bano	7886677671	Hanumat nagar	15	16	19	G. D. Enterprises	7054969032
284	8	Sharifa Nisar	8709694453	Hanumat nagar	15	19	20	G. D. Enterprises	7054969032
285	8	Sabiya	8953577393	Hanumat nagar	15	17	20	G. D. Enterprises	7054969032
286	8	Mobida	9667830199	Hanumat nagar	15	18	18	G. D. Enterprises	7054969032
287	8	Abid Ali	6002817560	Hanumat nagar	15	19	18	G. D. Enterprises	7054969032
288	8	Mobina	76380 7212 5	Hanumat nagar	15	20	16	G. D. Enterprises	7054969032
289	8	Sammoal	6302887033	Digvijay Nagar	16	20	16	G. D. Enterprises	7054969032
290	8	Bachicha Khatoon	8709694453	Digvijay Nagar	16	19	17	G. D. Enterprises	7054969032
291	8	Chalmeena Khatoon	6302887033	Digvijay Nagar	16	18	18	G. D. Enterprises	7054969032
292	8	Javed Ali	8709694453	Digvijay Nagar	16	18	15	G. D. Enterprises	7054969032
293	8	Gulab Usaiyani	8127799025	Digvijay Nagar	16	20	17	G. D. Enterprises	7054969032
294	8	Bela	8822726967	Digvijay Nagar	16	19	18	G. D. Enterprises	7054969032
295	8	Salma Khatoon	7991299432	Digvijay Nagar	16	19	17	G. D. Enterprises	7054969032
296	8	Anwar Ali	9219126002	Digvijay Nagar	16	15	18	G. D. Enterprises	7054969032
297	8	Ali Hussain	6000928751	Digvijay Nagar	16	20	19	G. D. Enterprises	7054969032
298	8	Sabiya Begum	6000928751	Digvijay Nagar	16	16	16	G. D. Enterprises	7054969032
299	8	Babar Ali	8011037294	Digvijay Nagar	16	18	19	G. D. Enterprises	7054969032
300	8	Bobil Islam	8709694453	Digvijay Nagar	16	16	18	G. D. Enterprises	7054969032
301	8	Surya Khatoon	8953577393	Digvijay Nagar	16	15	20	G. D. Enterprises	7054969032
302	8	NA	9667830199	Madhav Nagar	10	20	20	G. D. Enterprises	7054969032
303	8	Sai Nurin	6002817560	Vikas Nagar	60	17	20	G. D. Enterprises	7054969032
304	8	Raignan Ali	76380 7212 5	Vikas Nagar	60	20	16	G. D. Enterprises	7054969032
305	8	Paro	6302887033	Vikas Nagar	60	17	20	G. D. Enterprises	7054969032
306	8	Priya	8709694453	Vikas Nagar	60	19	17	G. D. Enterprises	7054969032
307	9	Priya	6302887033	Baba Raghavdas Nagar	2	16	15	G. D. Enterprises	7054969032
308	9	Shyamlal Yadav	8709694453	Harisevakpur	31	16	17	G. D. Enterprises	7054969032
309	9	Kamlesh Vishwakarma	8709694453	Harisevakpur	31	15	16	Mohd. Tabish	6393058520
310	9	Suresh Maddhesiya	76380 7212 5	Harisevakpur	31	18	17	Mohd. Tabish	6393058520
311	9	Jayram Prasad	8709694453	Chargawan	8	19	15	Mohd. Tabish	6393058520
312	9	Vijay	8953577393	Chargawan	8	18	16	Mohd. Tabish	6393058520

अपर नगर आयुक्त
जनक सिन्धु, गोरखपुर

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
313	9	Rupesh Gupta	9676776462	Chargawan	8	20	19	Mohd. Tabish	6393058520
314	9	Sikander	8709694453	Harisevakpur	31	17	19	Mohd. Tabish	6393058520
315	9	Jayram	9336105722	Baba Gambhiraath Nagar	5	19	15	Mohd. Tabish	6393058520
316	9	Supal	9235527516	Baba Gambhiraath Nagar	5	19	16	Mohd. Tabish	6393058520
317	9	Jay Prakash	8709694453	Baba Gambhiraath Nagar	5	15	16	Mohd. Tabish	6393058520
318	10	Manoj Sharma	8953577393	Ashok Nagar	12	17	19	Mohd. Tabish	6393058520
319	10	Sanjay	9667830199	Ashok Nagar	12	17	17	Mohd. Tabish	6393058520
320	10	Ashok	6002817560	Ashok Nagar	12	18	16	Mohd. Tabish	6393058520
321	10	Rajesh	76380 7212 5	Ashok Nagar	12	16	20	Mohd. Tabish	6393058520
322	10	Laltu Gupta	6302887033	Ashok Nagar	12	16	15	Mohd. Tabish	6393058520
323	10	Taiyab	8709694453	Ashok Nagar	12	16	18	Mohd. Tabish	6393058520
324	10	Sonu	6302887033	Ashok Nagar	12	15	19	Mohd. Tabish	6393058520
325	10	Manish Jaiswal	8709694453	Ashok Nagar	12	18	16	Mohd. Tabish	6393058520
326	10	Ganesh	8709694453	Ashok Nagar	12	15	16	Mohd. Tabish	6393058520
327	10	Ravi	8709694453	Ashok Nagar	12	18	16	Mohd. Tabish	6393058520
328	10	Manoj	8953577393	Ashok Nagar	12	19	16	Mohd. Tabish	6393058520
329	10	Shivanand Jaiswal	6002817560	Ashok Nagar	12	19	17	Mohd. Tabish	6393058520
330	10	Grish Chand	8709694453	Ashok Nagar	12	18	17	Mohd. Tabish	6393058520
331	10	Krishna Chand	8709694453	Ashok Nagar	12	15	15	Mohd. Tabish	6393058520
332	10	Awadhesh	8953577393	Ashok Nagar	12	16	16	Mohd. Tabish	6393058520
333	10	Lallu	9667830199	Ashok Nagar	12	16	18	Mohd. Tabish	6393058520
334	10	Ishwar	6302887033	Ashok Nagar	12	16	17	Mohd. Tabish	6393058520
335	10	Harishchandra Gupta	8709694453	Krishnanagar	40	20	19	Mohd. Tabish	6393058520
336	10	Anil Vishwakarma	6390232981	Krishnanagar	40	19	16	Mohd. Tabish	6393058520
337	10	Deepak Vishwakarma	8355033593	Krishnanagar	40	19	19	Mohd. Tabish	6393058520
338	10	Ganesh Vishwakarma	7860991216	Krishnanagar	40	19	15	Mohd. Tabish	6393058520
339	10	Yogendra Gupta	9793167525	Ramjanki Nagar	53	20	18	Mohd. Tabish	6393058520
340	10	Mukesh	8187905530	Ramjanki Nagar	53	15	17	Mohd. Tabish	6393058520
341	10	Pappu	9696872800	Ramjanki Nagar	53	15	18	Mohd. Tabish	6393058520
342	10	Jallaudin	6391060143	Ramjanki Nagar	53	15	16	Mohd. Tabish	6393058520
343	10	Shahrulkh	9108759825	Ramjanki Nagar	53	16	16	Mohd. Tabish	6393058520
344	10	Ajhar	9793433751	Ramjanki Nagar	53	15	19	Mohd. Tabish	6393058520
345	10	Anju	9369282771	Ramjanki Nagar	53	18	19	Mohd. Tabish	6393058520
346	10	Shahdul	8099102701	Ramjanki Nagar	53	18	19	Mohd. Tabish	6393058520
347	10	Moharuddin	9792277804	Ramjanki Nagar	53	18	19	Mohd. Tabish	6393058520
348	10	Badihat Jamal	9395583074	Ramjanki Nagar	53	18	19	Mohd. Tabish	6393058520
349	10	Maruddin	9101116977	Ramjanki Nagar	53	18	18	Mohd. Tabish	6393058520
350	10	Bodi	6302887033	Ramjanki Nagar	53	20	18	Mohd. Tabish	6393058520
351	10	Radheshyam	8709694453	Shahpur	43	15	16	Mohd. Tabish	6393058520
352	10	Vishnu Soni	8709694453	Vishnupuram	64	18	19	Mohd. Tabish	6393058520
353	10	Krishna Soni	8953577393	Vishwakarmapuram, Baoliya	34	20	18	Mohd. Tabish	6393058520
354	10	Jitendra Soni	9667830199	Lohiya Nagar	36	18	20	Mohd. Tabish	6393058520

अपर नगर आयुक्त
कलकत्ता नगर, गोरखपुर

1063

SN.	Zone	Name of Rag Picker	Contact No.	Ward Name	Ward No.	Quantity of daily waste collection (kg)	Quantity of daily selling waste (kg)	Name of Owner buying collected waste	Contact No.
355	10	Ganesh	6302887033	Shaktinagar	46	18	19	Mohd. Tabish	6393058520

अपर नगर आयुक्त
पुणे नगर, पोस्टर

प्रेषक ,

नगर आयुक्त,
नगर निगम गोरखपुर।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०,
सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पत्रांक :: 28/न.आ./न.नि.गो./एस.बी.एम./2021-2022 दिनांक 2, सितम्बर, 2022

विषय:- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑपरेशन गाइडलान एस०बी०एम०-2.0 में दिये गये निर्धारित प्रारूप City Solid Waste Action Plan (CSWAP) ANNEX 2 Template and ANNEX : IEC Action Plan पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के विषयगत।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या पी.एम.यू०/6214/536/2021 दिनांक 03 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपरेशनल गाइडलाईन एम.बी.एम.-2.0 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर बिन्दुवार City Solid Waste Action Plan (CSWAP) ANNEX 2 and ANNEX : IEC Action Plan तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

नगर निगम आयुक्त
गोरखपुर

19/09/2022
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर

ANNEX 2: CITY SOLID WASTE ACTION PLAN (CSWAP)

(As referred in Chapter 2 and 6)

ULB's City Profile: (demographic and waste generation details)

1.	Name of the ULB	Gorakhpur NN		
2.	Name of the District, State/UT	Gorakhpur, Uttar Pradesh		
3.	No. of Municipal Zones in ULB	05		
4.	No. of wards in the ULB	70		
5.	Population & Households in the ULB as per 2011 Census:			
	Population (P)	Households (HH)		
	673446 + 97326 = 770772	134689 + 19466 = 154155		
6.	Population & Households in the ULB as per current scenario:			
	Population (P)	Households (HH)		
	965777	193155		
7.	Projected Population & Households in the ULB @2025:			
	Population (P)	Households (HH)		
	1032416	206483		
8.	Institutional & Governance framework			
			Yes/No	If no, action to be taken to notify & timeline
a.	Regulatory Framework	Whether Municipal SWM Bylaws notified? (Conforming to SWM Rules 2016) (furnish details)	Yes	
		State SWM Strategy & Plan (available / Not available)	Yes	
b.	Institutional Arrangement	Roles and Responsibilities for dealing with MSWM services	Available	
c.	Governance Reforms	Implementation of e-governance in ULBs (available/ not available)	Available	
d.	ICT based Governance	ICT based monitoring of MSWM operations, services and complaint redressal (furnish details)	Yes	



9. MSWM service Level Benchmarks				
	Indicator	Bench mark	Before implementation of project(s)	After implementation of project(s)
1.	Household level coverage of SWM services	100%	65%	100%
2.	Efficiency of collection of municipal solid waste	100%	100%	100%
3.	Extent of segregation of municipal solid waste	100%	40%	100%
4.	Extent of municipal solid waste recovered	80%	78%	80%
5.	Extent of scientific disposal of municipal solid waste	100%	0%	100%
6.	Efficiency in redressal of customer complaints	80%	80%	80%
7.	Extent of cost recovery in SWM services	100%	20%	80%
8.	Efficiency in collection of SWM related user charges	90%	40%	70%
---	Notified User Fee for MSWM services (provide details)	Yes		

CURRENT MSW Management:

1.	Current MSW total generation in TPD(A): 434.60	Per Capita generation in gms: 450 (Ax10 ⁶ /P ₁)		
2.	Total waste collected (TPD): 434.60			
3.	No. of wards & % of wards practicing source segregation:			
	No. of wards	% of wards		
	28	40%		
4.	No. of wards & % of wards practicing 100% door to door waste collection			
	No. of wards	% of wards		
	46	65%		
5.	Total quantity transported in TPD to:			
	Processing Plants	SLF	Dumpsites	
	265.85	0	168.75	
6.	Secondary collection points/ Transfer Stations (TS) (only if TS is/are existing, otherwise not applicable)			
	Waste stream	Number of TS	Capacity of TS (in TPD)	
	Wet waste	0	0	
	Dry waste	0	0	
	Wards practicing source segregation			
	0			

21
A
SMA

अपर नगर आयुक्त
अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त
नगर आयुक्त



7.	On basis of waste characterization, quantity of segregated waste generated (in TPD), of given waste streams		
	MSW Waste Stream	Quantity in TPD	% of MSW
	Wet waste	239.03	55%
	Dry waste	152.11	35%
	Sanitary waste	0	0%
	Domestic Hazardous waste	21.73	5%
	Other wastes (Drain silt & inert)	21.73	5%
	C&D waste	Qty in TPD	% of MSW
	Total C&D waste generated	30.42	7% (expressed as % of A at row1 above)
8.	Total quantity of MSW currently processed (B) in TPD: 265.85		
9.	Total design capacity* available of all types of processing plants in TPD: 505 *All existing, under construction, approved and defunct plants (defunct plants that have not been written off) Note: This capacity will be equal to or greater than (B)		
10.	Operation & Maintenance and Recovery of SWM fees issues Prepare statement of previous 5 years O&M costs incurred in ULB for O&M and the collections of SWM use fees and analyses for sustainability of O&M		
	Year	Annual O&M Cost (Lakh)	Annual Revenue Generation (Lakh)
	2016-17	3648.66	39.09
	2017-18	5037.62	44.66
	2018-19	5278.12	70.76
	2019-20	6267.71	75.05
	2020-21	6240.29	82.63

Assessment of requirement of processing plants / facilities:

Projected waste generation @ 2025 in TPD: 464.59				
Per capita generation for calculating waste generation				
A	ULBs >10 lakh population @ 550 gms/capita: 550			
	ULBs 1 lakh-10 lakh (both included) population @ 450 gm/capita:			
	ULBs < 1 lakh population @ 300 gm/capita:			
Projected waste generation streams for year 2025:				
B	Waste stream	fraction in MSW (indicative-can be changed as per actuals in ULB)	Projected waste generation in TPD	% of MSW
	Wet waste	55%	255.52	55%
	Dry waste	35%	162.61	35%
	Domestic Hazardous waste	2%	0	0%
	Other waste (drain silt & inert)	8%	46.46	10%
	To SLF (not more than)	20%	92.92	20%

31/10/20
SNA

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त

Other components of MSW Management

Sanitary Landfill (SLF) (Filling CELL for 5 years only)				
C	Waste sent to SLF restricted to 20% of total Municipal Solid Waste (C) = Projected Waste sent to SLF (in MT) * 5		169574.33	
	SLF capacity for 5 years duly adding extra volume for daily cover, top cover etc. (as per Manual on MSWM) (in cum) = (C*1.1/0.85)		199499.21	
D	Estimated cost for proposed components as per GAP analysis			
	Waste Management Component	Total proposed requirement (gap projected @2025) (In TPD & For MRSs in no. s & For Dumpsite Remediation in MT)	Estimated cost/ tonne (in Rs. Crore for 100 TPD & For MRSs Rs. Lakh per machine for MRSs & For Dumpsite Remediation Rs. per MT & For Others Rs. Per Capita)	Proposed estimated cost (in Rs. Crore)
	Wet waste processing	5.52	11.5	0.64
	Dry waste processing	0	18	00.00
	C&D waste processing	0	6	0
	Dumpsite remediation	0	550	0
	sanitary landfill	92.92	6.5	6.04
	Transfer station	186	4.5	8.37
	Mechanical road sweepers (MRSs)	6	55	3.30
	Others	0	605	0

Financing Planning of Fund required for addressing the GAPs (Rs. in Crore)

S.No	Waste management Item	Total Proposed Cost	ACA under SBM-U2.0	State Govt. Fund	ULB Fund/Other Fund (PPP, others)	PPP. Others (In Rs. Crore)
1	For wet waste processing	0.64	0.21	0.14	0.29	
2	For Dry waste processing	00.00	9.00	0.00	0.00	00.00
3	For C&D waste processing	0	0.00	0.00	0.00	
4	For Dumpsite Remediation	0	0.00	0.00	0.00	
5	For Sanitary Landfill	6.04	1.99	1.33	2.72	
6	For Transfer Station	8.37	2.76	1.84	3.77	
7	For Mechanical Road Sweepers	3.30	1.09	0.73	1.49	
8	Others (describe the nature of plants, feed stock should be source segregated waste)	0	0	0	0	
	Grand Total	18.34	6.05	4.04	8.26	

Items not required/applicable in the particular ULB may be deleted

Module 1: MSW processing GAP analysis & Action plan

M1.1 GAP Assessment for 100% Processing of MSW at ULB level			
Processing Facility proposals	Existing Plants capacity (TPD)*	Status of current capacity - Deficit / Surplus	GAP Projected @ 2025 (TPD)
Mixed waste processing facility (continue to be used for either wet or dry waste) - Date taken for assessing capacities	500	NA	(continue to be used for 50% wet waste and 50% for dry waste)
Composting plants (for WET waste)	0	Surplus	0
Bio-methanation plants (for WET waste)	0	NA	0.00
Material recovery facilities MRF - (for DRY waste)	5	NA	0.00
Standalone RDF plants (for DRY waste downstream of MRFs) not part of composting plants)	0	NA	0.00
Waste of Electricity (RDF based - only for ULBs>10 lakh)	0	Deficit	200
Others (describe the nature of plants feed stock should be source segregated waste)	0	NA	0

*(Operational /Under Construction/ in tender process, Non-functional good condition)

Explanation for calculating the GAP

Many ULBs have installed composting plants receiving mess waste, without segregation at source, but carry out segregation within the process. Such plants shall continue to be utilized for either wet or dry waste, for full design capacity with segregation at source. It will result in proposing plants for other waste stream only.

Additional process may be added down the line to process-RDF if not already being done in such plants.

After the GAP analysis, actions need to be taken for preparation of DPRs, Identifying & earmarking land; documents for tenders etc.

M1.2 ULB level action plan for achieving 100% scientific MSW processing			
Processing Facility proposals	Proposed Plant Capacity (TPD)	Estimated cost (in Rs. Crore)	Plant commissioning date
Composting plants (for WET waste)	0	0	
Bio-methanation plants (for WET waste)	0	0	
Material recovery facilities MRF (for DRY waste)	0	0	
Standalone RDF Plants for (DRY waste downstream of MRFs) (not part of composting plants)	0	0	
Waste to Electricity (RDF based - only for	200	36.00	

ULBs>10 lakh)			
Other (describe the nature of plants - feed stock should be source segregated waste)	0	0	
Total	200	36.00	
<i>Other proposals part of MSW</i>			
Construction of SLF	114.87	7.47	
Construction of TS, if required (ULBs>5 lakh and haulage of fully loaded vehicles is > 15 Km.	230	10.35	
Totals	544.87	53.82	

M1.3 ULB commitment timelines for certification under garbage free cities star rating

Sl.No.	GFC star rating certification	Committed Date
1.	1-star GFC rating certification	31.03.2023
2.	3-star GFC rating certification	31.3.2026 (mandatory before 31.3.2026)
3.	5-star GFC rating certification	These certifications are beyond the mandatory requirement under SBM 2.0 ULBs are encouraged to get these certifications.
4.	7-star GFC rating certification	

**M1.4 State/UT- Consolidated Financial Action Plan for MSW Processing:
Financials in Rs. Crore**

	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	Total (equal to SBM 2.0 SWM allocation, processing part only)
Action Plan Amount				
No. of ULBs covered*				All ULBs in the State / UT covered in APs by 2023-24
*Detailed ULB-wise, plant-wise Action Plan statement is to be furnished Action Plan approvals to be obtained by 31.3.2024 for all ULBs.				

M1.5 State/UT - Consolidated certification - cum - implementation Action Plan (only First time GFC certifications to be considered)

Certification	Before SBM 2.0	FY2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2025-26
No. of ULBs rated 1 star	No	No	Yes	All ULBs to be 1-star rated by 31.3.2023		
No. of ULBs rated 3 star	No	No	No	No	No	Yes
No. of ULBs with 100% waste processing	No	No	No	No	No	Yes
*All ULBs to become 3 star GFC rated before 31.3.2026						

Module 2: Legacy Waste Dumpsites Remediation Action Plan

M2.1 ULB's Dumpsite Remediation Plan (applicable only if ULB has an existing dumpsite(s))

Total quantity of existing legacy waste in tonnes	0
Land occupied by the dumpsite Acres	9
Proposed method for remediation*	Bio remediation
Action Plan for recoverable material	Remediated
Indicative Uses/Utilization of Segregated Material	Remediated
Land to be recovered, Acres (extent of land from which waste is completely removed)	9 Remediated
End uses of remediated dumpsite area	Plantation
Estimated cost for remediation	N/A
Most likely date for complete remediation (not beyond 31.3.2023 for ULBs<10lakhs and 31.3.2024 for ULBs>10 lakhs)	N/A

M2.2 State/UT-Consolidated Financial Action Plan for Dumpsite Remediation: Financials in Rs. Crore

	FY 2021-22	FY 2022-23	Total (equal to SBM 2.0 allocation for dumpsite remediation for the State /UT
Action Plan amount			
No. of ULBs covered*			All ULBs in the State/UT
Action Plan approvals to be obtained by 31.3.2022 for all ULBs<10 lakh and by 31.3.2023 for all ULBs >10 lakh			
*Detailed ULB-wise, dumpsite-wise Action Plan statement is to be furnished			

M2.3 State/UT - Consolidated dumpsite remediation implementation action plan

Remediation	Before SBM 2.0	By 31.7.2022	By 31.3.2023	By 31.3.2024	Total
No. of ULBs completing remediation	Yes	Yes	Yes	Yes	All ULBs in the State / UT to complete remediation by 31.3.2024

7/8 Page
GNA

अपर नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Module 3: C&D Waste Processing Action Plan (only for 154 non-complying (NCAP cities) and 5-lakh size ULBs)

M3.1 ULBs Gap Assessment for Processing of Construction and Demolition Waste (Applicable for ULBs>5 lakh population and /or 154 Non-attainment cities)

Estimated C&D waste generated @50gm/capita of total municipal solid waste in TPD	51.62
Add 25% extra for bulk C&D waste generators, depositing with ULB	12.91
Add 20% over and above	10.32
Total C&D waste currently generated in TPD	74.85
Existing capacity of C&D waste processing plant available in TPD	100
Proposed capacity in TPD for 2025	0

M3.2 State/UT - Consolidated Financial Action Plan for C&D Waste Processing: Financials in Rs. Crore

C&D waste processing	FY 2021-22	Total (equal to SBM 2.0 allocation for C&D waste plants)
Action Plan Amount		Approvals to be obtained by 31.3.2022 for all the ULBs concerned in one go, thus prioritizing control of air pollution
Detailed statement of ULB-wise C&D waste processing plant proposals are to be furnished		

M3.3 State/UT - consolidated C&D waste processing plants implementation Action Plan

Setting up C&D waste processing plants	Before/outside SBM 2.0	By 31.7.2022	By 31.3.2023	Total
No. of ULBs	Yes	Yes	Yes	All ULBs>5 lakh + NCAP ULBs in the State/UT to complete the plants by 31.3.2023

Module 4: Mechanical Road Sweepers Action Plan (only for 154 non complying (NCAP) and 5 lakh size ULBs)

M4.1 Mechanical Road Sweepers (Applicable only for ULBs > 5 lakh population and/or 154 Non-attainment cities) - Assessment for a ULB.

Length of road to be swept daily (only those roads which are 4-lane or more lanes)	80 km
Detailed calculation of mechanical sweeping required in Line-KMS	20km/day - 4 lanes = 80 km/day
Proposed No. of machines required to sweep the length	7
No. of Machines currently operating / existing	1
Current requirement of machines (No.s)	6

M4.2 State/UT Consolidated Financial Action Plan for Mechanical Road Sweepers: Financials in Rs. - Crore

	FY 2021-22	Total (equal to SBM 2.0 allocation for Mechanical Road Sweepers)
Action Plan Amount		Approvals to be obtained by 31.3.2022 for all the ULBs concerned in one go, thus prioritizing control of air pollution
Detailed Statement of ULB wise Mechanical Road Sweepers proposals are to be furnished		

M4.3 State Government / UT Administration - Consolidated Mechanical Road Sweepers Implementation Action Plan

Equipping ULBs with Mech. Road Sweepers	Before/Outside SBM2.0	By 31.7.2022	By 31.3.2023	Total
No. of ULBs	Yes	Yes	Yes	All ULBs > 5 lakh + NCAP ULBs in the State/UT to complete procurement of MRSs by 31.3.2023


9/1/20
SMA

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Photographic Evidence of IEC & Community Mobilisation




अपर नगर आयुक्त
अपर विभाग, गोरखपुर



GPS Map
Camera Lite

01, Badgo Chaurha, Pragma Nagar Colony, Rajiv Nagar Colony, Gorakhpur, Pathrara, Uttar Pradesh 273016, India


Latitude	Longitude
26.71976833°	83.36981724°
Local:10:11:13 AM	Altitude:75 meters



GPS Map
Camera Lite

01, Bargo Rd, Pragma Nagar Colony, Shakti Nagar Colony, Gorakhpur, Pathrara, Uttar Pradesh 273016, India

Latitude	Longitude
26.71964315°	83.3697642°



GPS Map
Camera Lite

P999+FGQ, Pragma Nagar Colony, Rajiv Nagar Colony, Gorakhpur, Semaradaviparsad, Uttar Pradesh 273016, India

Latitude	Longitude
26.71842359°	83.36912046°
Local:09:05:41 AM	Altitude:77 meters

Photographic Evidence of Covered vehicles




अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

1077

ICCC

Vehicle Tracking Monitoring System for monitoring of D2D Vehicles



अपर नगर आयुक्त
अपर निष्पन्न, गोरखपुर

Ward wise details of C&T vehicles ,Nagar Nigam Gorakhpur

S. No	Ward No.	Ward Name	Vehicle Type	Vehicle Registration Number	Capacity	No. of trips	Daily Garbage Collection Per vehicle	No. of Compartments
1	1	Mahadev Jharkhandi Tukda no. 1	Auto tripper	UP53HT9420	1100	2	1.54	4
2			Auto tripper	UP53HT9421	1100	2	1.54	4
3			Auto tripper	UP53HT9422	1100	2	1.54	4
4	2	Baba Raghav Das Nagar	Auto tripper	UP53HT9424	1100	2	1.41	4
5			Auto tripper	UP53HT9425	1100	2	1.41	4
6			Auto tripper	UP53HT9426	1100	2	1.41	4
7	3	Ranidiha	Auto tripper	UP53HT9428	1100	2	2.53	4
8			Auto tripper	UP53HT9429	1100	2	2.53	4
9			Auto tripper	UP53HT9430	1100	2	2.53	4
10	4	Madan Mohan Malviya Nagar	Auto tripper	UP53HT9431	1100	2	1.08	4
11			Auto tripper	UP53HT9432	1100	2	1.08	4
12	5	Baba Gambharnath Nagar	Auto tripper	UP53HT9436	1100	2	2.02	4
13			Auto tripper	UP53HT9437	1100	2	2.02	4

14	6	Khorabar	Auto tripper	UP53HT9440	1100	2	2.45	4
15			Auto tripper	UP53HT9441	1100	2	2.45	4
16			Auto tripper	UP53HT9442	1100	2	2.45	4
17	7	Mahadev Jharkhandi Tukda no. 2	Auto tripper	UP53HT9443	1100	2	1.38	4
18			Auto tripper	UP53HT9444	1100	2	1.38	4
19			Auto tripper	UP53HT9445	1100	2	1.38	4
20	8	Chargawa	Auto tripper	UP53HT9448	1100	2	0.89	4
21			Auto tripper	UP53HT9449	1100	2	0.89	4
22			Auto tripper	UP53HT9453	1100	2	0.89	4
23	9	Nakha	Auto tripper	UP53HT9454	1100	2	1.2	4
24			Auto tripper	UP53HT9455	1100	2	1.2	4
25			Auto tripper	UP53HT9458	1100	2	1.2	4
26	10	Madhav Nagar	Auto tripper	UP53HT9459	1100	2	1.41	4
27			Auto tripper	UP53HT9462	1100	2	1.41	4
28			Auto tripper	UP53HT9463	1100	2	1.41	4
29	11	Badgo	Auto tripper	UP53HT9464	1100	2	2.06	4
30			Auto tripper	UP53HT9465	1100	2	2.06	4
31			Auto tripper	UP53HT9466	1100	2	2.06	4

32	12	Ashok Nagar	Auto tripper	UP53HT9467	1100	2	1.09	4
33			Auto tripper	UP53HT9471	1100	2	1.09	4
34	13	Sanjhai	Auto tripper	UP53HT9472	1100	2	1.96	4
35			Auto tripper	UP53HT9473	1100	2	1.96	4
36			Auto tripper	UP53HT9474	1100	2	1.96	4
37	14	Dr. Rajendra Prasad Nagar	Auto tripper	UP53HT9475	1100	2	0.89	4
38			Auto tripper	UP53HT9476	1100	2	0.89	4
39	15	Hanumant Nagar	Auto tripper	UP53HT9482	1100	2	1.58	4
40			Auto tripper	UP53HT9483	1100	2	1.58	4
41			Auto tripper	UP53HT9485	1100	2	1.58	4
42	16	Digvijay Nagar	Auto tripper	UP53HT9486	1100	2	1.84	4
43			Auto tripper	UP53HT9488	1100	2	1.84	4
44			Auto tripper	UP53HT9489	1100	2	1.84	4
45	17	Shivpur	Auto tripper	UP53HT9490	1100	2	0.91	4
46			Auto tripper	UP53HT9494	1100	2	0.91	4
47	18	Gayatri Nagar	Auto tripper	UP53HT9495	1100	2	0.97	4
48			Auto tripper	UP53HT9496	1100	2	0.97	4
49			Auto tripper	UP53HT9508	1100	2	0.48	4

अपर नगा आयुक्त
कलकत्ता नगर, गोरखपुर

50	20	Lachhipur	Auto tripper	UP53HT9512	1100	2	1.17	4
51			Auto tripper	UP53HT9513	1100	2	1.17	4
52			Auto tripper	UP53HT9514	1100	2	1.17	4
53	21	Mohanpur	Auto tripper	UP53HT9517	1100	2	2.33	4
54			Auto tripper	UP53HT9518	1100	2	2.33	4
55			Auto tripper	UP53HT9519	1100	2	2.33	4
56	22	Tulsiram Pashchimi	Auto tripper	UP53HT9520	1100	2	1.31	4
57			Auto tripper	UP53HT9521	1100	2	1.31	4
58			Auto tripper	UP53HT9523	1100	2	1.31	4
59	23	Shaheed Shiv Singh Chhetri Nagar	Auto tripper	UP53HT9524	1100	2	0.8	4
60			Auto tripper	UP53HT9528	1100	2	0.8	4
61			Auto tripper	UP53HT9529	1100	2	0.8	4
62	24	Matsyendra Nagar	Auto tripper	UP53HT9530	1100	2	1.57	4
63			Auto tripper	UP53HT9532	1100	2	1.57	4
64			Auto tripper	UP53HT9533	1100	2	1.57	4
65	25	Girdharganj	Auto tripper	UP53HT9534	1100	2	0.72	4
66			Auto tripper	UP53HT9535	1100	2	0.72	4
67			Auto tripper	UP53HT9536	1100	2	0.72	4

अपर नगर आयुक्त
कलकत्ता नगर, गोरखपुर

68			Auto tripper	UP53HT9537	1100	2	0.72	4
69	26	Betiyahata	Auto tripper	UP53HT9542	1100	2	1.02	4
70			Auto tripper	UP53HT9543	1100	2	1.02	4
71			Auto tripper	UP53HT9547	1100	2	1.02	4
72			27	Jatepur	Auto tripper	UP53HT9548	1100	2
73	Auto tripper	UP53HT9549			1100	2	0.997	4
74	Auto tripper	UP53HT9550			1100	2	0.997	4
75	Auto tripper	UP53HT9551			1100	2	0.997	4
76	28	Mansarovar Nagar	Auto tripper	UP53HT9552	1100	2	1.95	4
77			Auto tripper	UP53HT9553	1100	2	1.95	4
78			Auto tripper	UP53HT9554	1100	2	1.95	4
79			Auto tripper	UP53HT9555	1100	2	1.95	4
80	29	Pt. Ramprasad Bismil Nagar	Auto tripper	UP53HT9556	1100	2	0.98	4
81			Auto tripper	UP53HT9557	1100	2	0.98	4
82			Auto tripper	UP53HT9558	1100	2	0.98	4
83			Auto tripper	UP53HT9559	1100	2	0.98	4
84	30	Gulariha	Auto tripper	UP53HT9560	1100	2	1.55	4
85			Auto tripper	UP53HT9561	1100	2	1.55	4

86			Auto tripper	UP53HT9562	1100	2	1.55	4
87	31	Harsevakpur	Auto tripper	UP53HT9563	1100	2	1.31	4
88			Auto tripper	UP53HT9564	1100	2	1.31	4
89			Auto tripper	UP53HT9565	1100	2	1.31	4
90	32	Shaheed Ashfak Ullah Nagar	Auto tripper	UP53HT9566	1100	2	1.31	4
91			Auto tripper	UP53HT9569	1100	2	1.31	4
92	33	Narsinghpur	Auto tripper	UP53HT9570	1100	2	1.921	4
93			Auto tripper	UP53HT9571	1100	2	1.92	4
94	34	Vishwakarmapuram- Bauliya	Auto tripper	UP53HT9574	1100	2	4.27	4
95	35	Salikram Nagar	Auto tripper	UP53HT9575	1100	2	1.76	4
96			Auto tripper	UP53HT9576	1100	2	1.76	4
97			Auto tripper	UP53HT9577	1100	2	1.76	4
98	36	Lohiya Nagar	Auto tripper	UP53HT9578	1100	2	0.98	4
99			Auto tripper	UP53HT9579	1100	2	0.98	4
100			Auto tripper	UP53HT9580	1100	2	0.98	4
101			Auto tripper	UP53HT9581	1100	2	0.98	4
102	37	Bharvaliya	Auto tripper	UP53HT9582	1100	2	1.52	4

103			Auto tripper	UP53HT9583	1100	2	1.52	4
104			Auto tripper	UP53HT9584	1100	2	1.52	4
105	38	kanha Upvan Nagar	Auto tripper	UP53HT9586	1100	2	1.08	4
106			Auto tripper	UP53HT9587	1100	2	1.08	4
107			Auto tripper	UP53HT9588	1100	2	1.08	4
108	39	Gaayghat	Auto tripper	UP53HT9591	1100	2	2.29	4
109			Auto tripper	UP53HT9592	1100	2	2.29	4
110	40	Krishna Nagar	Auto tripper	UP53HT9593	1100	2	1.79	4
111			Auto tripper	UP53HT9594	1100	2	1.79	4
112			Auto tripper	UP53HT9595	1100	2	1.79	4
113	41	Madhonagar	Auto tripper	UP53HT9596	1100	2	1.65	4
114			Auto tripper	UP53HT9597	1100	2	1.65	4
115			Auto tripper	UP53HT9598	1100	2	1.65	4
116	42	Maharana Pratap Nagar	Auto tripper	UP53HT9599	1100	2	0.65	4
117			Auto tripper	UP53HT9600	1100	2	0.65	4
118			Auto tripper	UP53HT9603	1100	2	0.65	4
119	43	Shahpur	Auto tripper	UP53HT9604	1100	2	0.66	4
120			Auto tripper	UP53HT9605	1100	2	0.66	4

अपर नगर आयुक्त
जगत विहार, गोरखपुर

121			Auto tripper	UP53HT9610	1100	2	0.66	4
122	44	Basantpur	Auto tripper	UP53HT9611	1100	2	0.78	4
123			Auto tripper	UP53HT9615	1100	2	0.78	4
124			Auto tripper	UP53HT9616	1100	2	0.78	4
125			45	Maitripuram	Auto tripper	UP53HT9617	1100	2
126	Auto tripper	UP53HT9618			1100	2	2.65	4
127	46	Shakti Nagar	Auto tripper	UP53HT9619	1100	2	0.72	4
128			Auto tripper	UP53HT9620	1100	2	0.72	4
129			Auto tripper	UP53HT9624	1100	2	0.72	4
130	47	Mahatma Jyotiba Phule Nagar	Auto tripper	UP53HT9625	1100	2	0.89	4
131			Auto tripper	UP53HT9626	1100	2	0.89	4
132			Auto tripper	UP53HT9627	1100	2	0.89	4
133			Auto tripper	UP53HT9628	1100	2	0.89	4
134	48	Dharmshala Bazaar	Auto tripper	UP53HT9629	1100	2	1.4	4
135			Auto tripper	UP53HT9630	1100	2	1.4	4
136			Auto tripper	UP53HT9631	1100	2	1.4	4
137			Auto tripper	UP53HT9632	1100	2	1.4	4
138	49	Beniganj Rudrapur	Auto tripper	UP53HT9633	1100	2	1.14	4

139			Auto tripper	UP53HT9634	1100	2	1.14	4
140			Auto tripper	UP53HT9635	1100	2	1.14	4
141			Auto tripper	UP53HT9636	1100	2	1.14	4
142	50	Kalyanpur	Auto tripper	UP53HT9637	1100	2	1.12	4
143			Auto tripper	UP53HT9638	1100	2	1.12	4
144			Auto tripper	UP53HT9639	1100	2	1.12	4
145			Auto tripper	UP53HT9640	1100	2	1.12	4
146			Auto tripper	UP53HT9641	1100	2	1.12	4
147	51	Deviprasad Nagar	Auto tripper	UP53HT9642	1100	2	1.67	4
148			Auto tripper	UP53HT9643	1100	2	1.67	4
149			Auto tripper	UP53HT9644	1100	2	1.67	4
150	52	Vijay Chowk	Auto tripper	UP53HT9645	1100	2	0.66	4
151			Auto tripper	UP53HT9646	1100	2	0.66	4
152			Auto tripper	UP53HT9650	1100	2	0.66	4
153			Auto tripper	UP53HT9651	1100	2	0.66	4
154	53	Ramjanki Nagar	Auto tripper	UP53HT9652	1100	2	0.83	4
155			Auto tripper	UP53HT9653	1100	2	0.83	4
156			Auto tripper	UP53HT9657	1100	2	0.83	4

अपर नगर आयुक्त
कलकत्ता विभाग, गोरखपुर

157	54	Urvarak Nagar	Auto tripper	UP53HT9658	1100	2	1.05	4
158			Auto tripper	UP53HT9659	1100	2	1.05	4
159			Auto tripper	UP53HT9660	1100	2	1.05	4
160			Auto tripper	UP53HT9661	1100	2	1.05	4
161	55	Bandhu Singh Nagar	Auto tripper	UP53HT9662	1100	2	1.16	4
162			Auto tripper	UP53HT9663	1100	2	1.16	4
163			Auto tripper	UP53HT9664	1100	2	1.16	4
164			Auto tripper	UP53HT9665	1100	2	1.16	4
165	56	Raghupati Sahay Firaq Nagar	Auto tripper	UP53HT9666	1100	2	0.81	4
166			Auto tripper	UP53HT9667	1100	2	0.81	4
167			Auto tripper	UP53HT9668	1100	2	0.81	4
168			Auto tripper	UP53HT9672	1100	2	0.81	4
169	57	Raiganj Dakshin	Auto tripper	UP53HT9673	1100	2	0.8	4
170			Auto tripper	UP53HT9674	1100	2	0.8	4
171			Auto tripper	UP53HT9675	1100	2	0.8	4
172			Auto tripper	UP53HT9676	1100	2	0.8	4
173			Auto tripper	UP53HT9677	1100	2	0.8	4
174	58	Surajkund Dhamnagar	Auto tripper	UP53HT9678	1100	2	1.4	4

175			Auto tripper	UP53HT9679	1100	2	1.4	4
176			Auto tripper	UP53HT9680	1100	2	1.4	4
177			Auto tripper	UP53HT9681	1100	2	1.4	4
178	59	Aatmaram Nagar	Auto tripper	UP53HT9682	1100	2	1.21	4
179			Auto tripper	UP53HT9683	1100	2	1.21	4
180			Auto tripper	UP53HT9684	1100	2	1.21	4
181			Auto tripper	UP53HT9685	1100	2	1.21	4
182			Auto tripper	UP53HT9686	1100	2	1.21	4
183			60	Vikas Nagar	Auto tripper	UP53HT9687	1100	2
184	Auto tripper	UP53HT9688			1100	2	0.79	4
185	Auto tripper	UP53HT9689			1100	2	0.79	4
186	Auto tripper	UP53HT9690			1100	2	0.79	4
187	61	Sahabganj	Auto tripper	UP53HT9695	1100	2	1.11	4
188			Auto tripper	UP53HT9696	1100	2	1.11	4
189			Auto tripper	UP53HT9697	1100	2	1.11	4
190			Auto tripper	UP53HT9698	1100	2	1.11	4
191	62	Maya Bazar	Auto tripper	UP53HT9699	1100	2	1.27	4
192			Auto tripper	UP53HT9700	1100	2	1.27	4

193			Auto tripper	UP53HT9702	1100	2	1.27	4
194	63	Jagannathpur	Auto tripper	UP53HT9703	1100	2	1.14	4
195			Auto tripper	UP53HT9704	1100	2	1.14	4
196	64	Vishnupuram	Auto tripper	UP53HT9707	1100	2	1.73	4
197			Auto tripper	UP53HT9708	1100	2	1.73	4
198	65	Krishnamohan Pandey Nagar	Auto tripper	UP53HT9711	1100	2	1.11	4
199			Auto tripper	UP53HT9712	1100	2	1.11	4
200			Auto tripper	UP53HT9715	1100	2	1.11	4
201	66	Netaji Subhash Nagar	Auto tripper	UP53HT9716	1100	2	1.24	4
202			Auto tripper	UP53HT9717	1100	2	1.24	4
203			Auto tripper	UP53HT9719	1100	2	1.24	4
204	67	Sardar Bhagat Singh Nagar	Auto tripper	UP53HT9720	1100	2	0.98	4
205			Auto tripper	UP53HT9721	1100	2	0.98	4
206			Auto tripper	UP53HT9724	1100	2	0.98	4
207	68	Maharshi Dadhichi Nagar	Auto tripper	UP53HT9725	1100	2	1.01	4
208			Auto tripper	UP53HT9726	1100	2	1.01	4
209			Auto tripper	UP53HT9729	1100	2	1.01	4
210	69	Sri Ram Chowk	Auto tripper	UP53HT9730	1100	2	0.76923	4



211			Auto tripper	UP53HT9731	1100	2	0.769	4
212			Auto tripper	UP53HT9732	1100	2	0.769	4
213	70	Chandrashekhar Aazad Chowk	Auto tripper	UP53HT9735	1100	2	0.78	4
214			Auto tripper	UP53HT9736	1100	2	0.78	4
215			Auto tripper	UP53HT9737	1100	2	0.78	4
216	71	Arya Nagar	Auto tripper	UP53HT9742	1100	2	1.37	4
217			Auto tripper	UP53HT9745	1100	2	1.37	4
218	72	Civil Line- II	Auto tripper	UP53HT9746	1100	2	1.26	4
219			Auto tripper	UP53HT9747	1100	2	1.26	4
220	73	Shivji Nagar	Auto tripper	UP53HT9750	1100	2	1.37	4
221			Auto tripper	UP53HT9752	1100	2	1.37	4
222			Auto tripper	UP53HT9753	1100	2	1.37	4
223	74	Sant Jhulelaal Nagar	Auto tripper	UP53HT9754	1100	2	1.38	4
224			Auto tripper	UP53HT9757	1100	2	1.38	4
225	75	Shivaji Nagar	Auto tripper	UP53HT9758	1100	2	1.37	4
226			Auto tripper	UP53HT9761	1100	2	1.37	4
227	76	Ghantaghar	Auto tripper	UP53HT9762	1100	2	1.81	4
228			Auto tripper	UP53HT9763	1100	2	1.81	4

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

229			Auto tripper	UP53HT9764	1100	2	1.81	4
230	77	Geetapress Nagar	Auto tripper	UP53HT9765	1100	2	1.38	4
231			Auto tripper	UP53HT9768	1100	2	1.38	4
232	78	Purana Gorakhpur	Auto tripper	UP53HT9769	1100	2	1.2	4
233			Auto tripper	UP53HT9770	1100	2	1.2	4
234			Auto tripper	UP53HT9771	1100	2	1.2	4
235	79	Civil Line- I	Auto tripper	UP53HT9773	1100	2	0.59	4
236			Auto tripper	UP53HT9774	1100	2	0.59	4
237			Auto tripper	UP53HT9775	1100	2	0.59	4
238	80	Rapti Nagar	Auto tripper	UP53HT9782	1100	2	0.67	4
239			Auto tripper	UP53HT9783	1100	2	0.67	4

अपर नगर आयुक्त
 गोरखपुर

Photos of Operational RRR Centers



अपर नगा आयुक्त
जगत निरम, योरखपुर

Photos of Operational RRR Centers



अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

1094

समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन
जहाँ विकास ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, नन्दानगर (सी0एल0सी0 नगर निगम)

क्रम	समूह का नाम	नाम	मोबाईल	मोहल्ले का नाम
1	हर्ष स्वयं सहायता समूह	बेबी जिया	7054062652	धर्मशाला बाजार
2	हर्ष स्वयं सहायता समूह	राबिया	9112503441	धर्मशाला बाजार
3	शिवजी स्वयं सहायता समूह	संजू देवी	8960490885	मोहनापुर
4	कृष्ण कन्हैया स्वयं सहायता समूह	आलोक राय	8521679485	नकहा ओम शांती नगर
5	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता	7839075361	रानीडिहा
6	महादेव स्वयं सहायता समूह	प्रियंका	7839075361	डिभिया
7	हर्ष स्वयं सहायता समूह	बेबी जिया	7054062652	दशहरी बाग
8	अदिती स्वयं सहायता समूह	वीना	8081537227	कृष्णानगर (खोराबार)
9	अदिती स्वयं सहायता समूह	वीना	8081537227	प्रेमनगर (खोराबार)
10	अदिती स्वयं सहायता समूह	वीना	8081537227	विद्यानगर (खोराबार)
11	अंजू स्वयं सहायता समूह	अंजू देवी	9696848441	नुरुदिन चक (संझाई)
12	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	पवन विहार कालानी
13	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	यादव टाला दरगाहिया
14	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	दरगाह बाबा हरिश्चन्द्र बस्ती
15	प्रगतिशील स्वयं सहायता समूह	अर्चना	9415378825	थारो लाइन नीला धाप
16	प्रगतिशील स्वयं सहायता समूह	अर्चना	9415378825	आदर्श नगर गैस गोदाम रोड गली नं० 1 से 5 तक

एम्बीशन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी (सी0एल0सी0 धर्मशाला)

17	आदर्श स्वयं सहायता समूह	रिंकी	8762285405	शक्तिनगर
18	आदर्श स्वयं सहायता समूह	रेखा	6393291840	शक्तिनगर
19	सोना स्वयं सहायता समूह	नन्दनी	7388648716	शाहपुर
20	सोना स्वयं सहायता समूह	शीला	8303638438	शाहपुर
21	मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	रुबी देवी	8423253363	जंगल सिकरा
22	मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	अंजली देवी	858750067	जंगल सिकरा

अपर नगा आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

23	विमला स्वयं सहायता समूह	उर्मिला देवी	7523946070	जंगल तिकोनिया
24	विमला स्वयं सहायता समूह	चन्द्रावती देवी	7992179940	जंगल तिकोनिया
25	श्री राधे स्वयं सहायता समूह	पूजा देवी	8957237590	जंगल सालिकराम
26	श्री राधे स्वयं सहायता समूह	लक्ष्मीना देवी	8931813914	जंगल सालिकराम
27	श्री साई स्वयं सहायता समूह	संगीता देवी	8887730819	शाहपुर
28	श्री साई स्वयं सहायता समूह	चन्द्रावती देवी	7705856503	शाहपुर
29	ज्योति स्वयं सहायता समूह	गुडिया देवी	7392009195	रामप्रसाद बिस्मिल नगर
30	ज्योति स्वयं सहायता समूह	नीतू देवी	6386557186	रामप्रसाद बिस्मिल नगर
31	शिव स्वयं सहायता समूह	रीता देवी	8556302214	शक्ति नगर
32	शिव स्वयं सहायता समूह	चन्दा देवी	7753032965	शक्ति नगर
33	माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	गिरिजा देवी	7054147778	वार्ड-30 गुलहरिया
34	विमला स्वयं सहायता समूह	बिन्दु देवी	9519457573	वार्ड-30 गुलहरिया
35	श्री राधे स्वयं सहायता समूह	नीतू देवी	9648140167	वार्ड 28 मानसरोवर नगर
36	श्री साई स्वयं सहायता समूह	उर्मिला देवी	9140182260	वार्ड 28 मानसरोवर नगर

अपर नगा आयुक्त

समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन
जहाँ विकास ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, नन्दानगर (सी0एल0सी0 नगर निगम)

क्रम	समूह का नाम	नाम	मोबाईल	मोहल्ले का नाम
1	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता	7839075361	रानीडिहा
2	महादेव स्वयं सहायता समूह	प्रियंका	7839075361	डिभिया
3	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	पवन विहार कालोनी
4	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	दरगाह बाबा हरिजन बस्ती
5	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	आदर्श नगर सिघडिया
6	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	आदर्श नगर सिघडिया
7	महादेव स्वयं सहायता समूह	ललिता देवी	7839075361	बेनीगंज

७/५

अपर नगा आयुक्त
नन्दानगर निगम

जोन नं०-01 ट्राई साइकिल हेतु सफाई मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
1	सन्तोष कुमार	अर्जून	8433633710
2	दुर्गेश कुमार	अशोक	7607965010
3	योगेश	चिनगी	7458997690

जोन नं०-02 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
4	जोखई	कन्हई	9935365987
5	सुनिल	चौखट	8853106700
6	विक्कु	रामाझा	8853491828

जोन नं०-03 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
7	सुरेश	सुकई	8756403377
8	सर्वेश	बबल्लू	6304127357
9	अजय कुमार		9695074180
10	गंगाधर मिश्रा	यमुना प्रसाद मिश्रा	9120554479
11	मो. फिरोज	सूबराती	7396161131

जोन नं०-04 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
12	रामानन्द पाण्डेय	जगरनाथ पाण्डेय	9076518397
13	राकेश कुमार	गौरी प्रसाद	7084872421
14	तारा देवी	स्व० अमरनाथ	8127961536
15	अरविन्द		7267076845
16	महेश कुमार	यदुवन्श प्रसाद	81821347950
17	कुष्ण कुमार	राकेश कुमार	7080536359
18	मनोज कुमार		7510048448
19	संजय	श्रीकान्त	8009336516
20	गुजां	माझीं	8423183742
21	दिनेश कुमार	राम जतन	9118268990

जोन नं०-05 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
22	बिन्दु देवी	कन्हैया	7618961326
23	धिरज गौड	बच्चू लाल	9307693458

अपर नगा आयुक्त
कमल मिश्र गोरखपुर

24	सूरज	जगदीश साहनी	9076743563
25	रामानन्द पाण्डेय	जगरनाथ पाण्डेय	9076518397
26	आलोक कुमार	राम मूरत	7992122981

जोन नं०-06 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
27	शाजिद अली	आशिक अली	6394238861
28	सुनील कुमार	मोहन	9506559086

जोन नं०-07 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
29	सन्तोष	राम वृक्ष	9930027238
30	आदित्य निषाद	अम्बिका निषाद	8601741533
31	मनोज	राम दरश	9794526696
32	शहजादे	राजू वात्मिकी	9116221157
33	अब्बास		7523828493
34	मो० सलीम	सुलतान अली	8726395676
35	गोविन्द पासवान	सुन्दर पासवान	7054048406
36	हबीब	मोहम्मद युशुफ	8418956058

जोन नं०-08 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
37	प्रदिप	राम सुभाष	9125131759
38	अलताफ हुसैन	मनऊर अली	7524826607

जोन नं०-09 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
39	राम भवन	जवाहिर	6393914744
40	विनोद	बेचई शर्मा	8840957507
41	कौशल कुमार	जसवन्त	9793819510
42	राम निवास	बेचन	8765648581

जोन नं०-10 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
43	सिकन्दर	शंकर	9044633188
44	अनुराग	दिपक	7310438903
45	प्रहलाद	राम दवन	9621986791

N.A. Khan
प्रबन्धकराष्ट्रीय आजीविका केन्द्र
नगर निगम, गोरखपुर

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम, गोरखपुर

जोन नं0-01 ट्राई साइकिल हेतु सफाई मित्रों की सूची

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं0
1	सन्तोष कुमार	अर्जून	8433633710
2	दुर्गेश कुमार	अशोक	7607965010
3	योगेश	चिनगी	7458997690

जोन नं0-02 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं0
4	जोखई	कन्हई	9935365987
5	सुनिल	चौखट	8853106700
6	विक्कु	रामाज्ञा	8853491828

जोन नं0-03 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं0
7	सुरेश	सुकई	8756403377
8	सर्वेश	बबल्लू	6304127357
9	अजय कुमार		9695074180
10	गंगाधर मिश्रा	यमुना प्रसाद मिश्रा	9120554479
11	मो. फिरोज	सूबराती	7398161131

जोन नं0-04 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं0
12	रामानन्द पाण्डेय	जगरनाथ पाण्डेय	9076518397
13	राकेश कुमार	गौरी प्रसाद	7084872421
14	तारा देवी	स्व0 अमरनाथ	8127961536
15	अरविन्द		7267076845
16	महेश कुमार	यदुवन्श प्रसाद	81821347950
17	कुष्ण कुमार	राकेश कुमार	7080536359
18	मनोज कुमार		7510048448
19	संजय	श्रीकान्त	8099336516
20	गुजां	माझीं	8423183742
21	दिनेश कुमार	राम जतन	9118268990

जोन नं0-05 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं0
22	बिन्दु देवी	कन्हैया	7618961326
23	धिरज गौड	बच्चू लाल	9307693458


 अपर नगा आयुक्त
 नगा नगरपालिका, नगा

24	सूरज	जगदीश साहनी	9076743563
25	रामानन्द पाण्डेय	जगरनाथ पाण्डेय	9076518397
26	आलोक कुमार	राम गूरत	7992122981

जोन नं०-06 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
27	शाजिद अली	आशिक अली	6394238861
28	सुनील कुमार	मोहन	9506559086

जोन नं०-07 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
29	सन्तोष	राम वृक्ष	9930027238
30	आदित्य निषाद	अम्बिका निषाद	8601741533
31	मनोज	राम दरश	9794526696
32	शहजादे	राजू वाल्मिकी	9116221157
33	अब्बास		7523828493
34	मो० सलीम	सुलतान अली	8726395676
35	गोविन्द पासवान	सुन्दर पासवान	7054048406
36	हबीब	मोहम्मद युशुफ	8418956058

जोन नं०-08 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
37	प्रदिप	राम सुभाष	9125131759
38	अलताफ हुसैन	मनऊर अली	7524826607

जोन नं०-09 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
39	राम भवन	जवाहिर	6393914744
40	विनोद	बेचई शर्मा	8840957507
41	कौशल कुमार	जसवन्त	9793819510
42	राम निवास	बेचन	8765648581




जोन नं०-10 ट्राई साइकिल हेतु मित्रों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं०
43	सिकन्दर	शंकर	9044633188
44	अनुराग	दिपक	7310438903
45	प्रहलाद	राम दवन	9621986791

N.A. Khan
प्रबन्धक
राष्ट्रीय आजीविका केन्द्र
अपर विभाग, गोरखपुर



अपर नगा आयुक्त

Capacity Building Workshops of Sanitary Workers





अपर नगर आयुक्त
नगर विभाग, पोखरा

1102




अपर नगर आयुक्त

Compost produced from Decentralized pit composting
used in parks



अपर नगर आयुक्त
गोखपुर नगर निगम



OHM LABORATORY PRIVATE LIMITED.

1104

Certified By- ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

Plot No.281, Udyog Kendra-II, Ecotech-3 Greater Noida, Uttar Pradesh, India-201306.

Tel: 0120-6552502, Cell +91-8130221266, 8368513734

E-mail: Info.ohmlaboratory@gmail.com, Website: www.ohmlaboratory.com

TEST REPORT

Issued to : M/s Nagar Nigam Gorakhpur, Ward No-79,Pratham, Gorakhpur-273001	REPORT NO.	OHM2024121200007
	SAMPLE ISSUE DATE	12/12/2024
	REPORT ISSUE DATE	19/12/2024

Sample Name	Vermi Compost(PIT Based)
Quantity Received	500 gm
Date of Manufacturing	NM
Analysis Duration	12/12/2024 to 19/12/2024
Packing Condition	Good
Sampled By	Customer
Environment Condition	Ambient

Analysis Report

Sr. No	Test Parameters	Units	Results	Specification	Test Method
Physical Parameters:					
1	Color	-	Dark brown to black	Dark brown to black	Visual Examination
2	Moisture	%	20.12	15-25	Oven Drying
3	Odor	-	Earthy smell	-	Sensory Evaluation
4	Bulk density	g/cm ³	0.93	Should not exceed 1	Cylinder
5	Partical size	%	94	Minimum 90% material should pass through a 4 mm sieve	Sieve Analysis
6	Earthworm Cocoons and Living Worms	NA	Should be Absent	Should be Absent	Visual Examination and Manual Count
7	Texture	-	Loose and well-decomposed	Loose and well-decomposed	Hand Feel
8	Water Holding Capacity	-	Should be high	Should be high	Saturation and Draining
9	pH	NA	7.12	6.5-7.5	pH Meter
10	Organic Carbon (OC)	%	15.38	Minimum 9-17	FCO-1985



(Authorized Signator)

Terms & Conditions: 1) Test reports are valid only for the samples tested in our laboratory. 2) Samples will be destroyed after 30 days from the date of issue of test reports unless otherwise specified. 3) Samples tested are non-returnable until specified at time of sample submission. 4) This report will not be valid for judicial purpose or for advertisement. 5) Any complaints about this report should be communicated in writing within 7 days of issue of this report. 6. Total liability of our laboratory is limited to invoiced amount.

Certified By- ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

Plot No.281, Udyog Kendra-II, Ecotech-3 Greater Noida, Uttar Pradesh, India-201306.

Tel: 0120-6552502, Cell +91-8130221266, 8368513734

E-mail: Info.ohmlaboratory@gmail.com, Website: www.ohmlaboratory.com

Analysis Report

Report No: OHM202412120007

Sr. No	Test Parameters	Units	Results	Specification	Test Method
Chemical Parameters:					
11	Nitrogen (N)	%	1.91	Minimum 0.5-1.0	FCO-1985
12	Phosphorus (as P ₂ O ₅)	%	0.95	Minimum 0.2-0.5	FCO-1985
13	Potassium (as K ₂ O)	%	0.89	Minimum 0.2-0.5	FCO-1985
14	C-Ratio (Carbon to Nitrogen Ratio)		15.32	Should not exceed 20:1	FCO-1985
15	Electrical Conductivity (EC)	dS/m	2.28	Should not exceed 4	FCO-1985
16	Zinc (Zn)	mg/kg	98.58	Minimum 50	FCO-1985
17	Copper (Cu)	mg/kg	27.12	Minimum 10	FCO-1985
18	Iron (Fe)	mg/kg	8987	Minimum 5000	FCO-1985
19	Manganese (Mn)	mg/kg	382	Minimum 20	FCO-1985
20	Boron (B)	mg/kg	0.59	Minimum 0.5	FCO-1985
21	Molybdenum (Mo)	mg/kg	0.25	Minimum 0.1	FCO-1985
Heavy Metals:					
22	Cadmium (as Cd)	mg/kg	4.12	Max 5.0	FCO-1985
23	Chromium (as Cr)	mg/kg	22.12	Max 50	FCO-1985
24	Lead (as Pb)	mg/kg	51.38	Max 100	FCO-1985
25	Nickel (as Ni)	mg/kg	20.12	Max 50	FCO-1985

Remark: Vermicompost must be tested for the above parameters to ensure it meets the standards set by the FCO. Producers must obtain certification from the relevant agricultural or regulatory authorities to market their vermin compost.



(Authorized Signatory)

Page No. 2/2

*****End of Test Report*****

Terms & Conditions: 1) Test reports are valid only for the samples tested in our laboratory. 2) Samples will be destroyed after 30 days from the date of issue of test reports unless otherwise specified. 3) Samples tested are non-returnable until specified at time of sample submission. 4) This report will not be valid for judicial purpose or for advertisement. 5) Any complaints about this report should be communicated in writing within 7 days of issue of this report. 6. Total liability of our laboratory is limited to invoiced amount.

1106

Garbage Transfer Station- Laldiggi

Capacity- 200 TPD



अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

1107

Garbage Transfer Station- Chargawa

Capacity- 200 TPD



अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

1108

Letter No-12107AMC/NNG/2025-26

Date: 24/09/25

To

The Director

Varun Beverages Ltd.

GIDA, Gorakhpur

Subject: Compliance with Solid Waste Management Rules, -2016.

Dear Sir,

This is to inform you that the Municipal Corporation, Gorakhpur, is bound to implement the Solid Waste Management (Rules), 2016 in their entirety. Section 17 of the said Rules outlines the duties of manufacturers and brand owners of disposable products, sanitary napkins, and diapers. The provisions are as follows:

1. All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastic packaging, etc., or PIBOs (Producers, Importers, and Brand Owners) introducing such products into the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for the establishment of waste management systems.
2. All brand owners who sell or market their products in non-biodegradable packaging material shall establish a system to collect back the packaging waste generated due to their production.
3. Manufacturers, brand owners, or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the use of recyclable materials in their products. Alternatively, they shall provide a pouch or wrapper for the safe disposal of each napkin or diaper along with the packet of their sanitary products.
4. All such manufacturers, brand owners, or marketing companies shall undertake initiatives to educate the public on the proper wrapping and disposal of their products.

You are hereby directed to comply with these provisions to ensure the safe disposal of waste generated by your units situated in Gorakhpur.


Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Gorakhpur

Copy to: -Municipal Commissioner Gorakhpur

Letter No-121(2)AMC/NNG/2025-26

Date: 24/09/2025

To

The Director

Gyan Dairy

GIDA, Gorakhpur

Subject: Compliance with Solid Waste Management Rules, - 2016.

Dear Sir,

This is to inform you that the Municipal Corporation, Gorakhpur, is bound to implement the Solid Waste Management (Rules), 2016 in their entirety. Section 17 of the said Rules outlines the duties of manufacturers and brand owners of disposable products, sanitary napkins, and diapers. The provisions are as follows:

1. All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastic packaging, etc., or PIBOs (Producers, Importers, and Brand Owners) introducing such products into the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for the establishment of waste management systems.
2. All brand owners who sell or market their products in non-biodegradable packaging material shall establish a system to collect back the packaging waste generated due to their production.
3. Manufacturers, brand owners, or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the use of recyclable materials in their products. Alternatively, they shall provide a pouch or wrapper for the safe disposal of each napkin or diaper along with the packet of their sanitary products.
4. All such manufacturers, brand owners, or marketing companies shall undertake initiatives to educate the public on the proper wrapping and disposal of their products.

You are hereby directed to comply with these provisions to ensure the safe disposal of waste generated by your units situated in Gorakhpur.


Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Gorakhpur

Copy to: -Municipal Commissioner Gorakhpur


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

To,

Director
Varun Beverages Ltd.
GIDA, Gorakhpur

Respected Sir,

We would like to inform you that Municipal Corporation Gorakhpur is bound to implement Solid Waste Management (Rules) 2016 in its full spirit. Section 17 of SWM 2016 rules state that Sec-17 Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers.

(1) All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for establishment of waste management system.

(2) All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.

(3) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.

(4) All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses for wrapping and disposal of their products.

We would request you to comply these provisions for safe disposal of waste generated by your unit situated in Gorakhpur.

Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Gorakhpur

Copy to:- Municipal Commissioner Gorakhpur.

Latter No-133(1) /AMC/NNG/2024-25 Date 08/10/2024

S.T-436 | a m c

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम गोरखपुर
08/10/2024

Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Gorakhpur

To,

Director

Gyan Dairy

GIDA, Gorakhpur

Respected Sir,

We would like to inform you that Municipal Corporation Gorakhpur is bound to Implement Solid Waste Management (Rules) 2016 In its full spirit Section 17 Of SWM 2016 rules state that See-17 Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers.

(1) All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for establishment of waste management system.

(2) All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.

(3) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.

(4) All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses for wrapping and disposal of their products.

We would request you to comply these provisions for safe disposal of waste generated by your unit situated in Gorakhpur.

Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Gorakhpur

Copy to:- Municipal Commissioner Gorakhpur.

Letter No-133(2)/AMC/NNG/2024-25 Date 08/10/2024 along with the